रजि० सं० डी-(डी) 73 Regd. No. D-(D)73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 24, 1977 (पौष 3, 1899)
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 24, 1977 (PAUSA 3, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 29 नवम्बर 1977

स० क० 11013/2/74-प्रशा० II—संघ लोक सेवा आयोग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4-10-1977 के अनुक्रम में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग एतद्द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों/सहायकों को आयोग के कार्यालय में 1-12-1977 से दो मास की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, अनुभाग अधिकारी (विशेष) के पद पर तदर्थ आधार में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं :—

क्रम संख्या	नाम	के० स० से० के संवर्ग में पद
1.	श्री बी० एस० जगोपोटा	अनुभाग अधिकारी
2.	श्री आर० एन० खुराना	अनुभाग अधिकारी
3.	श्री एस० श्रीनिवासन	अनुभाग अधिकारी
4.	श्री एस० के० अरोड़ा	सहायक
5.	श्री जी० वी० माथुर	सहायक

उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति अनुभाग अधिकारी (विशेष) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर होगा और उनका वेतन समय समय पर संशोधित वित्त मंत्रालय के का० ज्ञा० सं० एफ० 1024-ई० III/60 दिनांक 4-5-1961 में निहित शर्तों के अनुसार विनियमित होगा।

प्र० ना० मुखर्जी
अवर सचिव
कृते सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011 दिनांक 24 नवम्बर 1977

सं० ए० 32013/3/76-प्रशा० I—भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश को, राष्ट्रपति द्वारा 1-10-1977 से तदर्थ आधार में 6 मास की अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी (सलाहकार नामिका) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 30 नवम्बर 1977

स० ए० 38013/3/76-प्रशा० III —संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी अनुभाग

अधिकारी श्री जी० पी० विज को राष्ट्रपति द्वारा कार्मिक विभाग के का० ज्ञापन सं० 33/12/73-स्था० (क) दिनांक 24 नवम्बर, 1973 की शर्तों के अनुसार 30 नवम्बर, 1977 के अपराह्न से वार्द्धक्य निवर्तन आयु हो जाने के कारण सरकारी सेवा से निवृत्ति की सहर्ष अनुमति प्रदान की गई है।

प्रभात नाथ मुखर्जी
अवर सचिव
(प्रशासन प्रभारी)
संघ लोक सेवा आयोग

प्रवर्तन निदेशालय

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम

नई दिल्ली-1, दिनांक 11 नवम्बर 1977

सं० ए०-11/28/77—श्री एन० एन० मुरंजन, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बम्बई को प्रवर्तन निदेशालय के बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 27-10-77 से अगले आदेशों तक के लिए प्रवर्तन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 16 नवम्बर 1977

सं० ए०-11/29/77—श्री ए० के० बनर्जी, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वाराणसी को प्रवर्तन निदेशालय के कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 1-11-1977 से अगले आदेशों तक के लिए प्रवर्तन अधिकारी के पद पर स्थानान्तरण के आधार पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया जाता है।

सं० ए०-11/30/77—श्री एम० के० बाबू, निरीक्षक, सीमा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कोचीन को प्रवर्तन निदेशालय के कालीकट उप-क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 1-11-77 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए प्रवर्तन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 21 नवम्बर 1977

सं० ए०-11/31/77—श्री एस० के० राय, निरीक्षक, आयकर, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, को प्रवर्तन निदेशालय के कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 2-11-1977 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए प्रवर्तन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 1 दिसम्बर 1977

सं० ए०-11/34/77—श्री डी० के० सिंह वर्मा, निरीक्षक, आयकर, जिला जालंधर को प्रवर्तन निदेशालय के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 11-11-77 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए प्रवर्तन अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया जाता है।

जे० एन० अरोड़ा
उप निदेशक (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 1977

सं० के०-52/65-प्रशासन-5—निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री कृपाल सिंह, उप-विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो प्रवर्तन निदेशालय में उप-विधि सलाहकार के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे, ने दिनांक 31-10-77 (अपराह्न) से उप-विधि सलाहकार के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

राजेन्द्र प्रकाश गुप्ता
प्रशासन अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 दिसम्बर 1977

सं० डी० एफ० 12/77-स्थापना—श्री आर० के० यादव की सेवाएं आई० टी० बी० पी० द्वारा के० रि० पु० बल को निवर्तित करने के फलस्वरूप, उप-पुलिस अधीक्षक के पद पर 17-11-1977 (पूर्वाह्न) से 34 वाहिनी में नियुक्त किए जाते हैं।

सं० ओ०-11-201/77-स्थापना—राष्ट्रपति, मेजर एस० के० मिक्का (आई० सी० नं० 8473) सिगनल, भारतीय स्थल सेना के अधिकारी, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में प्रतिनियुक्ति पर अस्थाई रूप से सहायक कमाण्डेंट के पद पर आगामी आदेश जारी होने तक, नियुक्त करते हैं।

2 मेजर मिक्का ने संयुक्त सहायक निदेशक (संचार) महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स नई दिल्ली के पद का कार्यभार दिनांक 15 नवम्बर, 1977 के पूर्वाह्न से संभाला।

ए० के० बन्द्योपाध्याय
सहायक निदेशक (प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110024, दिनांक 2 दिसम्बर 1977

सं० ई०-16014(3)/10/73-कार्मिक—के० औ० सु० ब० में प्रतिनियुक्ति का समय पूरा हो जाने पर श्री बी० डी० बहुखण्डी ने 5 नवम्बर, 1977 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट के सी० सी० खेतड़ी नगर के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई०-16014 (3)/22/73-कार्मिक—राज्य में निवर्तन की आयु पूरी होने पर, केरल सशस्त्र पुलिस के सहायक कमांडेंट श्री ए० कृष्णा नायर, जो के० औ० सु० ब० में प्रतिनियुक्ति

पर है, ने 31 अक्तूबर 1977 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट आई० एम० आर० ओ०, थुम्बा के सहायक कमाडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई०-16014(1)/5/76-कार्मिक—प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित होने पर, मध्यप्रदेश पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सी० पी० सिंह ने 14 नवम्बर, 1977 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, बैंक नोट प्रेस, देवास में कमाडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

स० ई०-38013(3)/17/76-कार्मिक—श्री जी० आर० धर ने 13 जनवरी 1977 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट बोंगाइगाँव रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लि० में सहायक कमाडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

स० ई०-38013(3)/17/76-कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री जी० आर० धर को, 3 जनवरी, 1977 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० प्रशिक्षण रिजर्व (मुख्यालय के साथ) बोंगाइगाँव में स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं।

स० ई०-32015(3)/4/77-कार्मिक—पुनर्नियुक्ति पर राष्ट्रपति, श्री ए० कृष्णन् नायर को 1 नवम्बर, 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के० औ० सु० ब० यूनिट आई० एम० आर० ओ० थुम्बा का सहायक कमाडेंट नियुक्त करते हैं।

सं० ई०-38013(3)/9/77-कार्मिक—दुर्गापुर से स्थानांतरित होने पर श्री एन० एस० यादव ने 17 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट एन० एम० डी० सी० मेघाहातूबुरू में सहायक कमाडेंट के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई०-38013(3)/13/77-कार्मिक—बड़ौदा में स्थानांतरित होने पर श्री जी० एम० नूरपुरी ने 31 अक्तूबर, 1977 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट यू० सी० आई० एल० जादुगुड़ा के सहायक कमाडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

जादूगुड़ा में अस्थाई ड्यूटी के लिए भेजे जाने पर, श्री आर० के० जौली ने 31 अक्तूबर 1977 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट यू० सी० आई० एल० जादुगुड़ा में सहायक कमाडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई०-38013(3)/15/77-कार्मिक—बडौदा से स्थानांतरित होने पर, श्री पी० एम० नदन ने 29 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट एफ० सी० आई० ट्रॉम्बे में सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार सम्भाल लिया है।

सं० ई०-38013(3)/17/77-कार्मिक—झरिया से स्थानांतरित होने पर, श्री ओ० पी० शर्मा ने 16 नवम्बर, 1977 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट यू० सी० आई० एल० जादूगुड़ा में सहायक कमाडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

दिनांक 3 दिसम्बर 1977

सं० ई०-16014(1)/5/76-कार्मिक—प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित होने पर, आन्ध्र प्रदेश पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बी० माला रेड्डी ने 1 नवम्बर 1977 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट आई० डी० पी० एल० हैदराबाद में कमांडेंट के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सी० सि० बिष्ट
महानिरीक्षक/के० औ० सु० ब०

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 3 दिसम्बर 1977

स० 11/5/77-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की उनमें से प्रत्येक के नाम के समक्ष दर्शित जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालयों में सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के पदों पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को तारीख 1-10-1977 से तारीख 31-12-1977 तक तीन महीने की और अवधि के लिए या जब तक ये पद नियमित आधार पर भरे जाएंगे, जो भी समय इनमें कम हो, सहर्ष बढ़ाते हैं।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय	मुख्यालय	पिछली मंजूरी का सदर्भ
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1	के० एस० डे	असम	गोहाटी	11/5/77-प्रशा०-1 तारीख 9-9-1977
2	एज० एल० कल्ला	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	—यथोक्त—
3	जे० आर० वशिष्ठ	हरियाणा	चण्डीगढ़	—यथोक्त—
4	एस० जयशंकर	केरल	त्रिवेन्द्रम	11-5-77-प्रशा०-1 तारीख 5-9-1977

पी० पदमनाभ
भारत के महापंजीकार

स० व० प० राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद, दिनांक 26 नवम्बर 1977

स० 41/18/74-स्थापना—सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में मुख्य कवायद अनुदेशक के रूप में प्रतिनियुक्त उड़ीसा राज्य पुलिस के स्थायी सहायक सेनानायक श्री जी० पी० मिश्र को दिनांक 8-6-1975 (पूर्वाह्न) से 31-3-1977 (अपराह्न) की अवधि के लिए 1100 50-1600 रुपये के वेतनमान में 200 रुपये विशेष वेतन तथा

अन्य केन्द्रीय सरकार के नियमानुकूल मान्य भत्ते के साथ सहायक निदेशक (आउटडोर) के पद पर स्थानापन्न रूप में तदर्थ नियुक्त किया जाता ह।

2. यह गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 10/6/74-पर्स I दिनांक 14-11-77 द्वारा अनुमोदित है।

राजदेव सिंह
निदेशक

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
प्रतिभूति कागज कारखाना

होशंगाबाद, दिनांक 28 नवम्बर 1977

सं० सी०/4/6920—चूंकि श्री पी० एल० नारायणन, सहायक मुख्य नियंत्रण अधिकारी स्वैच्छिक निवृत्ति के पहिले अर्जि० अव० पर जा रहे हैं, इसलिये श्री एस० एस० जौहरी निरीक्षक (नियंत्रण) को रुपया 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में सहायक मुख्य नियंत्रण अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए दिनांक 20-11-1977 पूर्वाह्न से पदोन्नत किया जाता है।

रा० विश्वनाथन
महा प्रबन्धक

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 2 दिसम्बर 1977

सं० 4649-रा० स्था० I/एस०-66/पी० एफ०-II/दिनांक 1-11-77—श्री डी० बी० एस० सचदेव, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा, को 1-6-77 से सार्वजनिक हित में उनके त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड में स्थायी रूप से विलयकरण के फलस्वरूप केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 37 के अनुसार उसी तारीख से सरकारी सेवा से निवृत्त माना जाता है।

सं० 4736-रा० स्था० I/सी-8/पी० एफ०-II/दिनाक 7-11-1977—श्री पी० सी० कल्ला, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा, 8 सितम्बर, 1977 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

सं० 4737-रा०स्था०I/जी-13/पी०एफ०/दिनांक 8-11-77—श्री पी०वाई० गोडबोले, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा, 22 जुलाई, 1977 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

सं० 4755-रा०स्था०I/सी-5/पी०एफ०-III/दिनांक 9-11-77 श्री जी० बी० वित्तल, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा, 25 अप्रैल, 1977 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

एम० एम० बी० अन्नावी
सहायक नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कार्मिक)

महालेखाकार कार्यालय, महाराष्ट्र-1

बम्बई-400020, दिनांक 30 सितम्बर 1977

सं० प्रशासन-I/आय० ए० डी०/5(283)/2970ए—श्री पी० पी० वकटेश्वरन, इस कार्यालय के स्थायी लेखा अधिकारी के टैरिफ़ सलाहकार समिति, बम्बई मे दिनाक 28-1-77 से स्थायी रूप से मा लेने के फ़लस्वरूप केन्द्रीय नागरी सेवा (निवृती वेतन) नियमावली 1972 के नियम-37, जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 44-(1) इव्ही/71 दिनांक 13-4-73 के साथ पढ़ा जाये, के अन्तर्गत दिनांक 28-1-77 से सेवा निवृत्त समझा जायेगा।

वित्त मंत्रालय ने श्री पी० पी० वेंकटेश्वरन, लेखा अधिकारी का टैरिफ़ सलाहकार समिति में स्थायी रूप से दिनांक 28-1-77 से सम्भालना मंजूर किया है।

श्रीमती आर० कृष्णन कुट्टी
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

नई दिल्ली- दिनांक 30 नवम्बर 1977

का० आदेश सं०प्रशासन-5/663/23(ए)(2)—मुख्य लेखा परीक्षक, डाक-तार ने डाक-तार लेखा परीक्षा कार्यालय (भण्डार वर्कशाप तार जाच) कलकत्ता के अनुभाग अधिकारी श्री नकुलेश्वर घोष को "उससे नीचे नियम" के अन्तर्गत स्थानापन्न क्षमता में दिनांक 16-2-1976 से अगले आदेशों तक लेखाधिकारी (अब लेखा परीक्षाधिकारी) के रूप में पदोन्नत कर दिया है।

उनकी पदोन्नति तदर्थ आधार पर है और परिशोधनाधीन है।

लक्ष्मी चन्द्र पाटनी
उप मुख्य लेखा परीक्षक

रक्षा मंत्रालय
महानिदेशालय, आर्डनेन्स फ़ैक्टरिया
भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरियां सेवा

कलकत्ता, दिनांक 24 नवम्बर 1977

सं० 77/जी०/77—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियो को स्थानापन्न उप-महाप्रबन्धक / ए० डी० जी० ओ० एफ० ग्रेड-II/प्रिंसिपल के पद पर, उनके सामने दर्शायी गई तारीख से, आगामी आदेश होने तक, नियुक्त करते हैं :—

(1)	श्री पी० वासुदेवन्, स्थायी प्रबन्धक	20 अगस्त, 1977
(2)	श्री पी० के० सोनी, स्थायी प्रबन्धक	20 अगस्त, 1977
(3)	श्री बी० के० दत्ता, स्थायी प्रबन्धक	20 अगस्त, 1977
(4)	श्री डी० एन० सरकार, स्थायी वरिष्ठ डी०ए० डी०जी०ओ० एफ०	20 अगस्त, 1977
(5)	श्री ए० के० गहा, स्थायी प्रबन्धक	20 अगस्त, 1977

सं० 78/जी०/77—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को स्थानापन्न प्रबन्धक/वरिष्ठ डी० ए० डी० जी० ओ० एफ़० के पद पर, उनके सामने दर्शायी गई तारीख से, आगामी आदेश होने तक, नियुक्त करते हैं —

सर्वश्री

(1) बी० एम० गुप्ता, स्थायी उप-प्रबन्धक 30 जून, 1977
(2) सी० पी० अग्रवाल, स्थायी उप-प्रबन्धक 30 जून, 1977
(3) आर० मोहनरंजन, स्थायी उप-प्रबन्धक 30 जून, 1977
(4) जे० सिंह, स्थायी उप-प्रबन्धक 30 जून, 1977
(5) एन० वेंकटरायन्, स्थायी उप-प्रबन्धक 30 जून, 1977
(6) के० सुन्दरमूर्ती, स्थायी उप-प्रबन्धक 30 जून, 1977
(7) एस० लक्ष्मीनारायणन्, स्थायी उप-प्रबन्धक 30 जून, 1977
(8) बी० सी० पाल, स्थायी उप-प्रबन्धक 30 जून, 1977
(9) एच० एल० शर्मा, स्थायी उप-प्रबन्धक 30 जून, 1977
(10) आर० शिव प्रसाद, स्थायी उप-प्रबन्धक 20 अगस्त, 1977
(11) एस० के० घोष, स्थायी उप-प्रबन्धक 20 अगस्त, 1977
(12) बी० दत्त, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक 20 अगस्त, 1977
(13) ए० के० चटर्जी, स्थानापन्न उप-प्रबंधक 20 अगस्त, 1977
(14) ए० बी० लाल, स्थानापन्न डी० ए० डी० जी०। 20 अगस्त 1977
(15) जी० एन० बनर्जी, स्थायी उप-प्रबन्धक 20 अगस्त, 1977

सं० 79/जी०/77—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को स्थानापन्न उप-प्रबन्धक के पद पर, उनके सामने दर्शायी गई तारीख से, आगामी आदेश होने तक, नियुक्त करते हैं —

(1) श्री ए० के० विश्वास, सहायक प्रबन्धक (परखावधि) 30 जून, 1977
(2) श्री ए० के० मुखोपाध्याय, सहायक प्रबन्धक (परखावधि) 30 जून, 1977
(3) श्री के० विश्वनाथन्, सहायक प्रबन्धक (परखावधि) 30 जून, 1977
(4) श्री बेनेडिक्ट मीज, सहायक प्रबन्धक (परखावधि) 30 जून, 1977
(5) श्री मुन्नी लाल, सहायक प्रबन्धक (परखावधि) 30 जून, 1977
(6) श्री गौरी शंकर, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक 30 जून, 1977
(7) श्री अमरजीत सिंह, सहायक प्रबन्धक (परखावधि) 30 जून, 1977
(8) श्री आर० पी० पाण्डे, सहायक प्रबन्धक (परखावधि) 30 जून, 1977

सं० 80/जी/77—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक के पद पर उनके सामने दर्शायी गई तारीख से, आगामी आदेश होने तक, नियुक्त करते हैं:—

(1) श्री वाई० आर० मण्डल, स्थायी फ़ोरमैन 20 अगस्त, 1977
(2) श्री एस० एफ० मैरियाडोज, स्थानापन्न स्टोरहोल्डर 20 अगस्त, 1977

दिनांक 26 नवम्बर 1977

सं० 81/77/जी—वार्धक्य निवृत्ति आयु (58 वर्ष) प्राप्तकर, श्री नीलरतन दे, स्थानापन्न टी० एस० ओ० (मौलिक एवं स्थायी फ़ोरमैन) दिनांक 30 सितम्बर, 1977 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

एम० एन० शुक्ला,
सहायक महानिदेशक, आर्डनेन्स फ़ैक्टरियां

श्रम मंत्रालय

कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था

धनबाद, दिनांक दिसम्बर 1977

स० प्रशासन-12(7)72—निर्वतन आयु की प्राप्ति के फ़लस्वरूप कोयला खान कल्याण संस्था, धनबाद के वर्ग 'अ' अधिकारी श्रीमती एन० बनर्जी, कल्याण प्रशासन 30 सितम्बर, 1977 के अपराह्न से कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था की सेवा से निवृत्त हो गईं।

एच० एच० कुरैशी,
अपर कोयला खान कल्याण आयुक्त

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

कार्यालय विकास आयुक्त (लघु उद्योग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 23 नवम्बर 1977

सं० 12/745/72-प्रशासन (राजपत्रित)—लघु उद्योग, विकास संगठन में सहायक निदेशक (वर्ग 1) (चमड़ा/पादुका) श्री बी० एस० कदम का सरकारी सेवा से त्यागपत्र राष्ट्रपति जी दिनांक 11 मई, 1977 (पूर्वाह्न) से सहर्ष स्वीकृत करते हैं।

वी० वेंकटरायुलु,
उप-निदेशक (प्रशासन)

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण-I

कलकत्ता-12, दिनांक 5 दिसम्बर 1977

सं० एफ० 92-82/77-स्थापना/26516—डा० आर० एच० काम्बले को, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र पुणे के अंतर्गत सहायक प्राणी वैज्ञानिक (ग्रुप 'बी') के पद पर रु० 650—1200 रु० के वेतन मान में अस्थायी आधार पर 30 नवम्बर, 1977 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक नियुक्त किया जा रहा है।

डा० टी० एन० अनन्तकृष्णन, निदेशक

प्रादेशिक अभियन्ता (पूर्व) का कार्यालय

आकाशवाणी

कलकत्ता-700001, दिनांक 18 अक्तूबर 77

आदेश

स० 1(752)—केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम 1965 के नियम 5 के उपनियम (1) के मुताबिक, और कार्यालय के प्रधान की हैसियत से निम्न हस्ताक्षरित द्वारा श्री नित्यानंद सरकार, स्थानापन्न अवर, प्रादेशिक अभियन्ता (पूर्व) का कार्यालय, आकाशवाणी, कलकत्ता, को यह नोटिस दिया जाता है कि सरकारी गजट में इस नोटिस के प्रकाशित होने की तिथि से एक महीने बाद उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी।

देवेन्द्र नाथ दे,
उप-प्रादेशिक अभियंता

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 1977

स० 3/96/60-एस० टी०—महानिदेशक, आकाशवाणी श्री ईरशाद अली, वरिष्ठ लेखाकार, केन्द्रीय विक्रय एकक, आकाशवाणी, बम्बई को दिनांक 14-11-77 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक आकाशवाणी, इम्फाल में स्थानापन्न रूप में प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

एस० वी० सेषाद्री,
प्रशासन उप-निदेशक
कृते महानिदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 1977

स० ए० /2025/6/76-डी०—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री के० एम० वर्मा को 3 नवम्बर, 1977 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक सहायक औषध नियंत्रक (भारत) के बम्बई कार्यालय में तकनीकी अधिकारी के पद पर बिल्कुल अस्थायी आधार पर तैनात किया है।

आर० बालसुब्रह्मण्यन,
उप औषधि नियंत्रक (भारत),
कृते स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 1977

स० ए० 31014/3/77-(एच० क्यू०) प्रशासन-2—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 29 जून, 1976 से श्री एस० सी० जैन को केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) के स्थायी पद पर स्थायी आधार पर नियुक्त किया है।

दिनांक 30 नवम्बर 1977

स० ए० 12024/1/76-प्रशासन-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा० कुलदीप कौशिक को 4 मार्च, 1977 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद में दन्त शल्य-चिकित्सक के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

दिनांक 3 दिसम्बर 1977

स० 19-20/74-प्रशासन-I—सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो, मद्रास में सहायक निदेशक (औषधि विज्ञान) के पद पर अपना चयन हो जाने के फलस्वरूप डा० एस० जयसुन्दर ने 31 अक्तूबर, 1977 अपराह्न से जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

स० ए० 12026/19/77-(ज० स्ना० सं०) प्रशासन-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में डेमोन्स्ट्रेटर कुमारी जी० अनुराधा को 7 नवम्बर, 1977 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी संस्थान में वैज्ञानिक अधिकारी-कम-ट्यूटर (शरीर विज्ञान) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

शुद्धि-पत्र

स० ए० 31013/4/77 (एच० क्यू०)/प्रशासन-I—निदेशालय की दिनांक 30 सितम्बर, 1977 की अधिसूचना संख्या ए० 31013/4/77-(एच० क्यू०)/प्रशासन-I में "उप चर्या सलाहकार" के स्थान पर कृपया "उपचर्या अफसर" पढ़ें।

शाम लाल कुठियाला,
उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 1977

स० ए० 12025/5/76-भण्डार-I—राष्ट्रपति ने डा० एस० जयसुन्दर को 1 नवम्बर, 1977 पूर्वाह्न से जीव विज्ञान प्रयोगशाला तथा पशु गृह चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो, मद्रास में सहायक निदेशक (औषध विज्ञान) के पद पर नियुक्त किया है।

सगत सिंह,
उप-निदेशक प्रशासन

कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,

फरीदाबाद, दिनांक 6 दिसम्बर 1977

सं० फाइल 4-5(88)/77-प्र०III,—श्री के० सूर्यनारायण, सहायक विपणन अधिकारी को नागपुर में दिनांक 31 अक्तूबर, 1977 (पूर्वाह्न) से, तीन माह से अधिक अवधि के लिए नहीं,

या जब तक नियमित आधार पर कोई प्रबंध किए जाते हैं, दोनों में से पहले जो भी घटित हो, पूर्ण रूप से अल्पकालीन आधार पर स्थानापन्न विपणन अधिकारी वर्ग I नियुक्त किया जाता है।

2. विपणन अधिकारी के रूप में पदोन्नति होने पर श्री सूर्यनारायण ने दिनांक 29 अक्तूबर, 1977 के अपराह्न में हैदराबाद में सहायक विपणन अधिकारी के पद का कार्यभार छोड दिया है।

सं० 4-5(89)/77-प्र०III —श्री जे० नागेश्वर राव, सहायक विपणन अधिकारी, को नागपुर में दिनांक 14 नवम्बर, 1977 (पूर्वाह्न) से पूर्णतया अशकालीन आधार पर तीन माह से अधिक के लिए नहीं, या जब तक नियमित प्रबंध किए जाते हैं, दोनों में पहले जो घटित हो, स्थानापन्न रूप से विपणन अधिकारी (वर्ग I) नियुक्त किया जाता है।

2. विपणन अधिकारी के रूप में पदोन्नति होने पर श्री राव ने दिनांक 2 नवम्बर, 1977 के पूर्वाह्न में गुन्टूर में सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग I) के पद का कार्यभार छोड दिया है।

सं० 4-6(116)/77-प्र०III —इस निदेशालय की अधिसूचना संख्या सम दिनांक 11-4-77 और 3-10-77 द्वारा 24-12-77 तक स्वीकृत सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग I) के पद पर श्री एच० एन० शुक्ला की अशकालीन नियुक्ति को, आगे की अवधि के लिए, जो तीन माह से अधिक नहीं है, या जब तक नियमित प्रबंध किए जाते हैं, दोनों में से पहले जो भी घटित हो, बढाया जा चुका है।

सं० 4-6(117)/प्र० तृ०—इस निदेशालय की अधिसूचना संख्या सम दिनांक 10 जून, 1977 द्वारा 17 मई, 1977 (पूर्वाह्न) से 6 माह की अवधि के लिए अधिसूचित सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग I) के पद पर श्री एस० पी० सक्सेना की अशकालीन नियुक्ति को, आगे की अवधि के लिए जो तीन माह से अधिक नहीं है, या जब तक नियमित प्रबन्ध किए जाते हैं, दोनों में से पहले जो भी घटित हो, बढाया जा चुका है।

सं० 4-6(118)/77प्र० III—इस निदेशालय की अधिसूचना संख्या सम दिनांक 18 जुलाई, 1977 द्वारा 13 जून, 1977 से 6 माह की अवधि के लिए अधिसूचित सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग I), के पद पर अशकालीन आधार पर श्री एन० जी० शुक्ला की नियुक्ति को आगे की अवधि के लिए, जो तीन माह से अधिक नहीं है या जब तक नियमित प्रबंध किए जाते हैं, दोनों में से पहले जो भी घटित हो, बढाया जा चुका है।

सं० 4-6(119)/77-प्र०III—इस निदेशालय की अधिसूचना संख्या सम दिनांक 19 मार्च, 1977 और 1 अक्तूबर, 1977 द्वारा 8 दिसम्बर, 1977 तक स्वीकृत सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग I) के पद पर श्री रमेश चन्द्र सिंघल की अशकालीन नियुक्ति को आगे की अवधि के लिए जो तीन माह से अधिक नहीं है, या जब तक नियमित प्रबंध किए जाते हैं, दोनों में से पहले जो भी घटित हो, बढाया जा चुका है।

वी० पी० चावला,
निदेशक, प्रशासन
कृते कृषि विपणन सलाहकार

नागपुर, दिनांक 5 नवम्बर 1977

सं० 5/11/77-वि० II—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सीमा शुल्क अधिसूचना सं० 124 दिनांक 15-9-1962 के लिए मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से हरड, जिनका श्रेणीकरण समय समय पर संशोधित और कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) के खण्ड 3 के अधीन सूत्रीकृत हरड श्रेणीकरण और चिह्न नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जा चुका है, के सम्बन्ध में श्रेणीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

नाम	पद
1 श्री एम० एम० धूमे	उप वरिष्ठ विपणन अधिकारी
2 श्री जी० एच० धनकर	सहायक विपणन अधिकारी

जे० एस० उप्पल,
कृषि विपणन सलाहकार

दिल्ली दुग्ध योजना

नई दिल्ली-8, दिनांक 2 नवम्बर 1977

सं० 3-20/77-स्था० (विशेष)—अध्यक्ष, दिल्ली दुग्ध योजना श्री मादु राम को लेखा अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 18-11-77 (अपराह्न) से अगले आदेश जारी होने तक दिल्ली दुग्ध योजना में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

गोरख राम,
अध्यक्ष

परमाणु ऊर्जा विभाग

विद्युत् परियोजना इंजीनियरी प्रभाग

बम्बई-5, दिनांक 8 नवम्बर 1977

सं० पी० पी० ई० डी०/3(262)/76-प्रशासन/15212—इस प्रभाग की 21 सितम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, इस विभाग के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक एवं स्थानापन्न प्रवरण कोटि लिपिक श्री एच० एच० शाह जिनकी नियुक्ति सहायक कार्मिक अधिकारी श्री टी० टी० पिशौरी के स्थान पर, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, अस्थायी रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर 1 सितम्बर, 1977 के पूर्वाह्न से 11 अक्तूबर 1977 के अपराह्न तक की गई थी, सहायक कार्मिक अधिकारी के पद का कार्यभार 13 अक्तूबर, 1977 के अपराह्न तक अस्थायी रूप से संभाल रहे।

दिनांक 21 नवम्बर 1977

स० पी० पी० ई० डी०/3(236)/77-प्रशा०-15539—विद्युत् परियोजना इंजीनियरी प्रभाग के निदेशक, इस प्रभाग के सर्वश्री एस० के पंडित, स्थायित्वत् ड्राफ्टसमैन 'सी' एवं आई० के भाटिया, अस्थायी वैज्ञानिक सहायक 'बी' की इसी प्रभाग में 1 अगस्त, 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर—ग्रेड 'एस बी' नियुक्त करते हैं।

वी० वी० भट्टे,
प्रशासन-अधिकारी

बम्बई-5, दिनांक 16 नवम्बर 1977

स० पी० पी० ई० डी०/3(240)/77-शासन/15364—निम्नलिखित कार्मिकों को, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के उन यूनिटों में कार्य कर रहे हैं जो नीचे उनके नामों के सामने लिखे हुए हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग के केन्द्रीय-कृत संवर्ग में 1 अगस्त, 1977 से रु० 650-30-740-880-द० रो०-40-960 के वेतनमान में सहायक प्रशासन अधिकारी के पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है :—

क्रम सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान पद	उस परियोजना/यूनिट का नाम जिसमें कार्य कर रहे हैं	टिप्पणी
1.	श्री टी० टी० पिशौरी	सहायक कार्मिक अधिकारी	विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग।	विद्युत् परियोजना इंजीनियरी प्रभाग में स्थायीवत् सहायक कार्मिक अधिकारी।
2.	श्री आर० के० बाली	प्रशासन अधिकारी	भारी पानी परियोजना	विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग के पूल में स्थायी निजी सहायक एवं भारी पानी परियोजना कोटा में प्रशासन अधिकारी-III

एम० आर० श्रीनिवासन,
निदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग

क्रय एवं भंडार निदेशालय

मुम्बई-400 039, दिनांक 8 नवम्बर 1977

सं० डी०पी० एस०/2/1(16)/77-प्रशासन/32987—इस निदेशालय की दिनांक 22 अगस्त, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय एवं भंडार निदेशालय के निदेशक, भंडार यूनिट (क्रय एवं भंडार निदेशालय) के स्थानापन्न भंडारी श्री परारी किज़ाक्कोडन राधाकृष्णन को उसी निदेशालय के कलकत्ता स्थित परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान में 31 दिसम्बर, 1977 तक की और अवधि के लिये तदर्थ आधार पर सहायक भंडार अधिकारी नियुक्त करते हैं।

बी० जी० कुलकर्णी,
सहायक कार्मिक अधिकारी

मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना

कलपक्कम- 603 102, दिनांक 22 अक्तूबर 1977

स० एम० ए० पी० पी० /5(27)/73-प्रशासन—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी आशुलिपिक तथा मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी श्री एन० बी० रमणन, को मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना में 650-30-740-35-880-द० रो०-40-960 रुपये के वेतनमान में सहायक कार्मिक अधिकारी के स्थायी पद के बदले बनाए गए पद पर केन्द्रीय संवर्ग के सहायक प्रशासन अधिकारियों के ग्रेड में 1 अगस्त, 1977 से मौलिक रूप से नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 24 अक्तूबर 1977

स० एम० ए०पी० पी०/5(27)/73-प्रशासन—मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के स्थानापन्न प्रशान अधिकारी-III श्री के० बालकृष्णन को मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना में सहायक कार्मिक अधिकारी के स्थायी पद के बदले बनाए गए पद पर 650-30-740-35-880-द० रो०-40-960 रुपये के वेतनमान में केन्द्रीय संवर्ग के सहायक प्रशासन अधिकारियों के ग्रेड में 1 अगस्त, 1977 से मौलिक रूप से नियुक्त किया जाता है।

एम० आर० श्रीनिवासन, निदेशक
विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग

पर्यटन और नागर विमान विभाग

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 30 नवम्बर 1977

स० ई० (1) 03302—निदेशक, प्रादेशिक मौसम केन्द्र, मद्रास, भारत मौसम विज्ञान विभाग के कार्यालय में सहायक

मौसम विज्ञानी श्री जे० वी० नारायण, निवर्तन की आयु पर पहुंचने पर 31 अक्तूबर, 1977 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

दिनांक 6 दिसम्बर 1977

सं० ई० (I) 00939—वेधशालाओं के महानिदेशक श्री सूर्यबली को भारत मौसम सेवा, ग्रुप-बी (केन्द्रीय सिविल सेवा ग्रुप बी) में 2 नवम्बर 1977 से आगामी आदेश तक सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री बली को वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली में तैनात किया जाता है।

गुरमुख राम गुप्ता
मौसम विज्ञानी
कृते वेधशालाओं के महानिदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 1977

सं० ए० 32014/2/77-ई०सी०—महानिदेशक नागर विमानन ने निम्नलिखित दो संचार सहायकों को 7 सितम्बर 1977 (पूर्वाह्न) से तथा अन्य आदेश होने तक नियमित आधार पर सहायक संचार अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है और उन्हें प्रत्येक के नाम के सामने दिये गये स्टेशन पर तैनात किया है:—

क्रम सं०	नाम	तैनाती स्टेशन
1.	वाई० वी० भापटकर	वैमानिक संचार, स्टेशन, बम्बई
2.	श्री ए० विश्वनाथन	वैमानिक संचार स्टेशन, बम्बई

दिनांक 3 दिसम्बर 1977

सं० ए० 12025/3/76-ई० डब्ल्यू०—राष्ट्रपति ने श्री एल० सी० गुप्ता को 24 अक्तूबर, 1977 पूर्वाह्न से तथा अन्य आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में रुपये 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 के वेतनमान में, नागर विमानन विभाग में विद्युत और यांत्रिक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

श्री एल० सी० गुप्ता को क्षेत्रीय नियन्त्रक विमान क्षेत्र, बम्बई क्षेत्र, बम्बई के कार्यालय में नियुक्त किया जाता है।

एम० डी० शर्मा,
उप निदेशक प्रशासन

वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय,

देहरादून, दिनांक 3 दिसम्बर 1977

सं० 20/378/75-स्थापना-I—अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून, श्री के० एस० पृथी, अनुसंधान सहायक वर्ग-I (वरण ग्रेड) को दिनांक 5 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर सहर्ष अनुसंधान अधिकारी, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून नियुक्त करते हैं।

पी० आर० के० भटनागर
कुल सचिव,
वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय

गुन्टूर-4, दिनांक 26 अक्तूबर 1977

सं० 5/77—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निम्नलिखित उप-अधीक्षक (मौज०) तथा वरिष्ठ ग्रेड के निरीक्षकों को अगला आदेश जारी किए जाने तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय गुन्टूर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, ग्रुप 'बी' के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने-अपने नाम के सामने दिखाई गई तिथियों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक ग्रुप 'बी' के रूप में उक्त पद का कार्यभार संभाल लिया है:—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	स्थान	के० उ० शु० अधीक्षक ग्रुप 'बी' के रूप में कार्यभार संभालने की तिथि
	सर्वश्री		
1.	बी० वी० सुब्बैया उप अधीक्षक (मौज०)	एम० ओ० आर० कांचि कचरेला	11-7-77
2.	टी० लक्ष्मण राव	नरसापुर शोर गार्ड पार्टी।	4-8-77
3.	ए० वेंकट सुब्बाराव	मासुलिपटनम शोर गार्ड पार्टी।	4-8-77
4	पी० सी० चेरियन	कोथापटनम शोर गार्ड पार्टी मुख्यालय ओंगले।	22-9-77
5	आर० एल० नरसिंह राव	कालिंगापटनम् शोर गार्ड पार्टी मुख्यालय सीरीकाकुलम।	27-8-77
6	के० दुर्गा प्रसाद	आई० डी० ओ०-II गुन्टूर।	9-8-77
7.	एन० नरसिंह राव	एम० ओ० आर० चन्टिलापुडी।	9-8-77

स० 6/77—ग्रुप 'बी' के निम्नलिखित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक वार्धक्य के कारण अपने-अपने नाम के सामने दिखाई गई तिथियो से सेवा निवृत्त हो गये :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	स्थायी/ स्थानापन्न	स्थान	नौकरी से सेवा निवृत्त होने की तिथि
सर्वश्री				
1.	के०आर० के० शर्मा	स्थाई	एम०ओ०आर० II, ईलूरु	31-7-77 (अपराह्न)
2	टी० सूर्यराव	स्थानापन्न	आई०डी०ओ० II, विशाखा-पटनम ।	31-7-77 (अपराह्न)
3.	के० सुन्दररामन्	स्थाई	एम०ओ०आर० वाटपलेम	30-9-77 (अपराह्न)

सी० भुजंगस्वामी, समाहर्ता

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

मुख्य यांत्रिक अभियन्ता का कार्यालय

पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन

जेपुर, दिनाक 29 नवम्बर 1977

सं० पी० 2/97/77-खड-II—श्री छेदालाल गुप्ता कार्यालय अधीक्षक, मुख्य यांत्रिक अभियन्ता का कार्यालय, पुनर्वास भूमि उद्धार सगठन, जेपुर (उडीसा) को विभागीय पदोन्नति समिति की सिफोरिश पर दिनांक 24-11-77 के पूर्वाह्न से सहायक प्रशासन अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप बी) के पद पर 650-30-740-35-880-ब० रो०-40-960 रुपये के वेतनमान में पदोन्नति दी जाती है । उपर्युक्त दिन से 2 वर्ष की अवधि के लिये उन्हे परिवीक्षा पर रखा जाता है ।

श्री छेदालाल गुप्ता ने दिनांक 24 11-77 के पूर्वाह्न से सहायक प्रशासन अधिकारी के पद का कार्यभार मंडल-4, पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन, शाहपुर, जिला बेतुल (म०प्र०) में सभाला ।

एम० पट्टनायक
ले० कर्नल (सेवा-निवृत्त)
मुख्य यांत्रिक अभियन्ता

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

(कम्पनी विधि बोर्ड)

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445(2) के अधीन सूचना

कम्पनी अधिनियम, 1956 और कैलाश कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

बम्बई, दिनाक 1 दिसम्बर 1977

सिविल अर्जी सं० 315 के 1975 में बम्बई हाईकोर्ट में स्थित उच्च न्यायालय के तारीख 30-4-1976 के आदेश द्वारा कैलाश कास्टिंग्ज प्राईवेट लिमिटेड का परिसमापन करने का आदेश दिया गया है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और एनविको प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

बम्बई, दिनाक 1 दिसम्बर 1977

सिविल अर्जी स० 577 के 1976 में बम्बई हाईकोर्ट में स्थित उच्च न्यायालय के तारीख 16-11-1975 के आदेश द्वारा एनविको प्रायवेट लिमिटेड का परिसमापन करने का आदेश दिया गया है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं न्यु कर्नाटक ट्रेडिंग कं० प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

बम्बई, दिनाक 1 दिसम्बर 1977

स० 5203/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यु कर्नाटक ट्रेडिंग कम्पनी (प्रायवेट) लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं श्री कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के विषय में ।

बम्बई, दिनांक 1 दिसम्बर 1977

सं० 6356/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि श्री कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एव मसर्स थरमोमीटर्स एण्ड ग्लास इन्स्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय मे ।

बम्बई, दिनांक 1 दिसम्बर 1977

सं० 13112/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण से एतद्

द्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स थरमामीटर्स एण्ड ग्लास इन्स्ट्रूमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स सदेश ट्रेडिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनाक 1 दिसम्बर, 1977

सं० 16488/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि मसर्स संदेश ट्रेडिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स केमीका इन्डिया प्रायवेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनाक 1 दिसम्बर 1977

स० 7875/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मेसर्स केमीका इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स दी इन्डस्ट्रीयल स्टोर्स कं० हैदराबाद प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई- दिनाक 1 दिसम्बर 1977

सं० 8434/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1965 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स दी इन्डस्ट्रीयल स्टोर्स क० (हैदराबाद) प्रायवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एव पोली प्रापोलीन प्रोडक्ट्स (प्रायवेट) लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनाक 1 दिसम्बर 1977

सं० 17310/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर पोली प्रोपोलीन प्रोडक्ट्स (प्रायवेट) लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स विदर्भ सिमेंट लिमिटेड के विषय में।

बम्बई, दिनांक 1 दिसम्बर 1977

स० 17623/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मसर्स विदर्भ सिमेंट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श्रीराम
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और चन्डी ब्रादर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनाक 29 नवम्बर, 1977

स० 8564/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर चन्डी ब्रादर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और देवेन्द्र मिल्स लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनाक 29 नवम्बर 1977

स० 12724/560(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर देवेन्द्र मिल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम० सी० नाथ
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार,
पश्चिम बंगाल

अहमदाबाद-38 0009, दिनाक 3 दिसम्बर, 1977

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मेसर्स सिगुल बेनीफीट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

स० 1464/लिक्वीडेशन—कम्पनी अरजी न० 5/1977 में अहमदाबाद स्थित उच्च न्यायालय के तारीख 4-7-1977 के आदेश द्वारा मसर्स सिगुल बेनीफिट प्राइवेट लिमिटेड का परिसमापन का आदेश दिया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मसर्स एशियन रेयान एंड सिल्क, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद, दिनांक 6 दिसम्बर, 1977

स० 560/2132—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मसर्स एशियन रेयान एंड सिल्क मैन्युफैक्चरिंग कपनी प्राइवेट लिमिटेड

का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

पी० टी० गजवानी
प्रमण्डल पंजीयक, गुजरात राज्य,
अहमदाबाद

कपनी अधिनियम, 1956 और मोबैल्स

एंड स्ट्रक्चुरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

मद्रास, दिनांक 1 दिसम्बर 1977

सं० 4686/लिक्वी०/445/77—एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि न्यायालय कार्यवाही सं० 47/1976 में उच्च न्यायालय, मद्रास की फाइल पर दिये गये दिनांक 2 अगस्त, 1977 के आदेश द्वारा कम्पनी मोबेल्स एण्ड स्ट्रक्चुरल्स प्राईवेट लिमिटेड को समाप्त कर दिया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं जन्नट चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

मद्रास, दिनांक 1 दिसम्बर 1977

सं० 5800/लिक्वी०/445/77—एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि न्यायालय कार्यवाही सं० 80/1972 में उच्च न्यायालय, मद्रास, की फाइल पर दिये गये दिनांक 2-2-1973 के आदेश द्वारा कम्पनी जन्नट चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड को समाप्त कर दिया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और अखिला उलग तमिल एलुत्तालर मन्ड्रम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

मद्रास, दिनांक 6 दिसम्बर 1977

सं० 5256/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अखिला उलग तमिल एलुत्तालर मन्ड्रम प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मद्रास इनसुल एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे

मद्रास, दिनांक 6 दिसम्बर 1977

सं० 5417/560(5)/77—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मद्रास इनसुल एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

सी० अच्युतन,
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
मद्रास

कम्पनी अधिनियम, 1956 और के० उमा होटेल प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे ।

कटक, दिनांक 3 दिसम्बर 1977

सं० ए० 630/77-4251(2)—कम्पनी अधिनियम, की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण मे एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उमा होटेल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

डी० के० पाल
कम्पनियों का रजिस्ट्रार, उड़ीसा

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 2 दिसम्बर 1977

निदेश सं० पी० आर० 537/ए० सी० क्यू० 23-959/7-4/77-78—यतः मुझे, एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० वार्ड० नं० 6 स० नं० 266/1 टीका नं० 56, सी० टी० एस० नं० 3042 पैकी प्लाट नं० 10 और 11 है, तथा जो आशाबाग सोसायटी, नवसारी, जिला . वलसाड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19-4-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री दयालजीभाई गोविंदजी पटेल सुधाबिल्डंग, 7वें और 12वें मार्ग का कोना, खार, बम्बई-52 (अन्तरक)

2 (1) मंजुलाबेन कविनचन्द्र परीख 111-बी०, एटलास एपार्टमेन्ट्स, 11वां मजला, हारकनस रोड, बम्बई-6

(2) श्री सरयुबेन जितेन्द्र परीख, क्वीन्स क्यू०, डी-1, चौथा फ्लोर, वालकेश्वर रोड, बम्बई-6 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका कुल माप 12510.6 वर्ग फुट है तथा जो वार्ड नं० 6 स० नं० 266/1 टीका नं० 56 सिटी सर्वे नं० 3042 पैकी प्लाट नं० 10 और 11 आशाबाग सोसायटी, नवसारी में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवसारी के अप्रैल 1977 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1822 में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 2-12-1977
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ध(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 3 दिसम्बर 1977

निदेश सं० आर०—123/ए० सी० क्यू०—अतः, मुझे, अमर सिंह बिसेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

जिसकी संख्या —— है तथा जो सिविल लाइन मुरादाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुरादाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अप्रैल 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् .——

(1) श्री चुन्नी लाल चड्ढा (अन्तरक)

(2) श्रीमती राज रानी, श्रीमती शान्ति रानी व श्रीमती शकुन्तला रानी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किला कोठी का 1/3 भाग जो कि सिविल लाइन मुरादाबाद में स्थित है या जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 753 माह अप्रैल 1977 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुरादाबाद में लिखा है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 3-12-1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 3 दिसम्बर 1977

निदेश नं० बी०-36 (ए० सी० क्यू०) .——अत, मुझे अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० 253 बी० है तथा जो मोहल्ला मोहब्बतिया बाग, शहर इलाहाबाद मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सब रजिस्ट्रार, इलाहाबाद मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-4-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

(1) श्री ओम प्रकाश व राम प्रकाश पुत्र श्री गया प्रसाद, इलाहाबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्री वासुदेव मिश्र

(अन्तरिती)

(3) श्री वासुदेव मिश्र

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

(4) श्री ओम प्रकाश व राम प्रकाश ।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :——इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नम्बरी 253-बी० मोहल्ला सोहबतिया बाग, शहर इलाहाबाद मे जमीन व मकान, कुल क्षेत्रफल 115 73 वर्ग मीटर दो मंजिला ।

उत्तर से दक्षिण जानिब पूर्व ——54 फीट 6 इंच ।

उत्तर से दक्षिण जानिब पश्चिम——44 फिट 6 इंच ।

पूरब से पश्चिम जानिब दक्षिण——25 फिट ।

सीमा :——

पूरब : मकान श्री विशम्भर नाथ सिंह ।

पश्चिम . मकान नं० 254 श्रीमती बेला देवी ।

उत्तर . सड़क ।

दक्षिण : मकान न० 253-बी शीतला प्रसाद; जैसा कि प्रपत्र सख्या 36 जी० नम्बर 1338 दिनाक 22-4-77 मे दिया गया है जोकि सब-रजिस्ट्रार इलाहाबाद मे दर्ज है ।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 3-12-77
मोहर :

प्ररूप भाई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनाक 2 दिसम्बर 77

सं० नं० 520 ——यत:, मुझे एन० के. नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 11-64-49 मे 52 है, जो विजयवाडा मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विजयवाडा मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-4-77 को

पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के पयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

(1) 1 श्रीमती गुनडुपल्लि, बगारम्मा } विजयवाडा
2 श्री गुनडुपल्लि परसुराम }

(अन्तरक)

(2) 1. श्री शेक हास्सन साहेब } विजयवाडा
2 श्री शेक नन्द साहेब }

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूं।

उक्त सपत्ति के अर्जन के सबंध मे कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

विजयवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-4-77 मे पजीकृत दस्तावेज नं० 527/77 मे निगमित अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख 2-12-77
मोहर .

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 2 दिसम्बर 1977

निदेश सं० 521 :—यत, मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 14-11-1 है, जो वैजाग मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, विसाखापटनम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908का 16) के अधीन, तारीख 11-4-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप मे कथित नही किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री डि० विश्वनाथन राव (2) डि० वेंकटरामाराव बरहमपुर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती लिल्ली कुट्टनन नायर विसाखापटनम

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

विशाखापटनम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-4-77 में पंजीकृत दस्तावेज न० 774/77 मे निगमित अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 2-12-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 2 दिसम्बर, 1977

सं० नं० 522 :— यतः, मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— रुपये से अधिक है,

और जिसकी सं० 38/2, 40/1 और 40/2 है, जो चेरुकुवाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उन्डी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के, अधीन, तारीख 14-4-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री नगरगनेनि उमामहेस्वरराव
2. श्री नरगनेनि सिवशकर कुमार
3. श्री नरगनेनि दुर्गामल्लेस्वर गगरिन
4. श्री नरगनेनि श्री सैला ब्रमरान्नेस्वरलाल
5. श्री नरगनेनि तिरुमलेस्वरा अमंस्टाग
6. श्री नरगनेनि किशोर

} उन्डी

(अन्तरक)

(2) 1. श्री करिनेरका सत्यनारायना
2. श्री करिनेरका नरसिंहमूर्ति

} उन्डी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

उन्डी रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-4-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 456/77 में निगमित अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख : 2-12-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 3 दिसम्बर 1977

सं० नं० 526.—यतः, मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० 817 है, जो अमलापुरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमलापुरम, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-4-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती नेपोल्लु लक्ष्मी कातम अमलापुरम
(अन्तरक)

(2) श्रीमती बुबला सत्यवती अमलापुरम
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अमलापुरम रिजिस्ट्री अधिकारी के पांक्षिक अत 15-4-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 1208/77 में निगमित अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेज काकिनाडा

तारीख : 3-12-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 3 दिसम्बर, 1977

सं० नं० 525—अत, मुझे एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० न० 33/1, है, जो राजुलपाडु मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुडिवाडा मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-5-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री टि० राजगोपाल राव गुन्टूर (अन्तरक)

(2) श्रीमती गोल्लाचिट्टेम्मा रावुलपाडु (अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गुडिवाड रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अत 31-5-77 मे पजीकृत दस्तावेज न० 1262/77 मे निगमति अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज, काकिनाडा

तारीख : 3-12-77
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 3 दिसम्बर, 1977

सं० नं० 524 —यत ,मुझे एन० के० नागराजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० 26/5 है, जो रावुलपाडु में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुडिवाडा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-4-77
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री टि० राजगोपालराव गुन्टूर।

(अन्तरक)

(2) श्री जि० गाधी, रावुलपाडु

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध मे कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गुडिवाडा रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अत 15-4-77 मे पंजीकृत दस्तावेज नं० 713/77 मे निगमित अनुसूची सपत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेज, काकिनाडा

तारीख : 3-12-77।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 3 दिसम्बर 77

सं० नं० 523.—यतः, मुझे एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,

और जिसकी स० डी० 2 एवं डी० 3 है, जो चिमकलपूडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मचलीपटनम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-4-77।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम; के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन के निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पि० सरसाराव (2) पी० वि० के० मोहनराव मचलीपटनम

(अन्तरक)

(2) श्री सिंगराजू गुरुलाथ प्रसाद मचलीपटनम

(अन्तरिती)

(4) आन्ध्र प्रदेश स्टेट फैनानसियल कापोरेशन हैदराबाद।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मचलीपटनम रिजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अत 30-4-77 में पंजीकृत दस्तावेज न० 1005/77 मे निगमति अनुसूची संपत्ति।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकिनाडा

तारीख . 3-12-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज काकिनाडा

काकिनाडा, दिनांक 3 दिसम्बर 1977

सं० नं० 527.—यत., मुझे एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 817 है, जो अमलापुरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमलापुरम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-4-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती वंपुला लक्ष्मीकनतम अमलापुरम

(अन्तरक)

(2) श्रीमती गुद्दप अवीलक्ष्मी अमलापुरम

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अमलापुरम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 30-4-77 में पंजीकृत दस्तावेज न० 1670/77 मे निगमित अनुसूची सपत्ति।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेज, काकिनाडा

तारीख : 3-12-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 1977

निदेश नं० 514 ए०/ अर्जन/ देहरादून/ 7778/ 5321:—

अतः, मुझे आर० पी० भार्गव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० है तथा जो देहरादून में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-5-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) कर्नल श्रवण सिंह सिन्धू पुत्र सरदार भगवान सिंह सिन्धू मकान नं० 319 सेक्टर 33 ए०, चन्डीगढ़ 160020 ।

(अन्तरक)

(2) श्री जगदीश राज बामी पुत्र स्वर्गीय श्री केशराज बामी मैकनेल एण्ड मेगर लिमिटेड 2 फेयर्ली प्लेस कलकत्ता 700001 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति मकान स्थित ग्राम मजरा परगना, सेन्ट्रल दून जिला देहरादून 1,15,000) के विक्रय मूल्य में बेची गयी) ।

आर० पी० भार्गव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
(अर्जन रेंज), कानपुर

तारीख : 4-12-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 6 दिसम्बर, 77

निर्देश संख्या राज०/सहा०/आयुक्त (अर्जन)/376 :—यतः, मुझे, चुन्नी लाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 28/बी जो झोटवाड़ा, जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-3-1977।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती बी० के० पाटोदिया, प्रो० म० नारायण उद्योग, कृष्ना मार्ग, सी० स्कीम- जयपुर।

(अन्तरक)

(2) मै० प्रताप इंजीनियरिंग वर्क्स, 28/बी०, इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाड़ा, जयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लाट न० 28/बी० इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर, में जो और विस्तृत रूप से उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रमांक 330 दिनांक 10/3/77 को पंजिबध व विक्रय पत्र में विवरणित है।

चुन्नी लाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख 6/12/77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज भुवनेश्वर

भुवनेश्वर, दिनांक 5 दिसम्बर 77

निर्देश सं० 59/77-78 / आई० ए० सी० (ए०/आर०)-भुवनेश्वर —अतः, मुझे अमरेन्द्र नाथ मिश्र आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मुटि नं० 1324 है, जो खेट राजपुर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सबलपुर मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-3-1977 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् :—

(1) श्री श्याम सुन्दर पोदर

(अन्तरक)

(2) श्री आबजीभाई पटेल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसम प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रयटि जमीन खेटराजपुर मौजा, संबलपुर जिला मे स्थित है। वह जमीन संबलपुर सबरजिस्ट्रार आफिस मे 24-3-77 तारीख मे रजिस्टर हुआ, जिसके डाकुमेंट नं० 511 है।

अमरेन्द्र नाथ मिश्र,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भुवनेश्वर

तारीख : 5-12-77
मोहर .

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज भुवनेश्वर

भुवनेश्वर, दिनाक 5 दिसम्बर 77

निर्देश स० 60/77-78/ आई० ए० सी० (ए०/आर०) भुवनेश्वर .—अतः, मुझे अमरेन्द्र नाथ मिश्र आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० थाना नं० 25 है, जो मौजा रिमेड मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सबलपुर म भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-5-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, म, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राधा किशन अग्रवाला (2) सीताराम अग्रवाला (3) श्रीमती सावित्री देवी (4) नन्द किशोर अग्रवाला ।

(अन्तरक)

(2) श्री नारन भाई आत्मारामदास पटेल पार्टनर मैसर्स पारस सर्जिकल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है

अनुसूची

एक एकड़ जमीन , मौजा रिमेड, जिला सबलपुर मे स्थित है । वह जमीन सबलपुर सबरजिस्ट्रार आफिस मे 16-5-77 तारिख में रजिस्ट्रर । जिसका डाकुमेंट नं० 957 है।

अमरेन्द्र नाथ मिश्र,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेज, भुवनेश्वर,

तारीख : 5-12-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, II मद्रास

मद्रास, दिनांक 21 नवम्बर 77

निदेश स० 3813/ 76-77 —यत , मुझे , के० पोन्नन, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० मदुरान्तगम, डाकुमेंट 380/77 है तथा जो स्थावर सम्पत्ति मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मदुरान्तगम (डाकुमेन्ट 380/77) मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य स उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1)के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात:—

(1) श्री रामस्वामी पिल्लै और श्रीमती गोविन्दम्माल
(अन्तरक)

(2) श्री दुरैसामि , नेटसन, चिन्नप्पन, अरुमुगम, रेंगसामि, और जयराम गौण्डर ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सातमै गाव मे स्थावर सम्पत्ति (डाकुमेन्ट सं० 380/77 मदुरान्तगम) ।

के० पोन्नन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II मद्रास

तारीख : 21-11-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 24 नवम्बर, 1977

निदेश सं० 3816/ 76-77 —अतः, मुझे के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 9 तिल्लै लाज, है तथा जो पान्डिचेरि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ओल्लकरै (डाकुमेंट 197/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8-3-1977 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात्:—

(1) श्री तिल्लै कनकराज और श्रीमती तिल्लै पेराम्बीगै (अन्तरक)

(2) श्री पि० एन० वेंकटेसन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

पान्डिचेरि 9, वीमकउन्डणपालयम, तिल्लै लाज । (डाकुमेण्ट 197/77) ।

के० पोन्नन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II मद्रास

तारीख : 24-11-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 21 नवम्बर 1977

निदेश सं० 3821/76-77.—यत', मुझे के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० टी० एस० स० 2319/पी०, ब्लाक 72, वार्ड स० 3, तन्जाऊर (खाली भूमि) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, करुतटाण्णुडि (डाकुमेन्ट 213/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-3-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ए० ओय० एस० परिसुत नाडार

(अन्तरक)

(2) श्री पी० अम्बुरोस

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद म समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तन्जाऊर वार्ड सं० 2, ब्लॉक स० 72 टी० एस० 2319/पी० में 15033 स्क्वयर फीट का खाली भूमि ।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 21-11-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 24 नवम्बर, 1977

निदेश सं० 4257/76-77.—यतः, मुझे के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० 25, कृसणामूर्ति तोट्टम, करुगल्पालयम, ईरोड मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० 1 ईरोड (डाकुमेण्ट 793/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-3-1977। पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री ए० जगन्नाथन

(अन्तरक)

(2) मारुती केसल्स प्राइवेट लिमिटेड

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ईरोड, करुगल्पालयम, कृशणमूर्ति तोट्टम, डोर सं० 25 में भूमि और मकान।

के० पोन्नन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 24-11-77
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II मद्रास

मद्रास, दिनाक 5 दिसम्बर, 1977

निदेश सं० 4245/ 76-77 —यत., मुझे के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० ब्लु, मौन्ट एस्टेट , कोटघिरि और माडुहट्टि में 13 01 एकर (आर० एस० 60) मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोटघिरि (डाकुमेण्ट 219/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-3-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित म वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के

(1) श्री अल्लान जान गण्माल्वस और जार्ज ग्यानसिरोमनि (अन्तरक)

(2) श्री जी० टी० सौन्दर पान्डियराज और मेरिलिन जयन्ती पान्डिचेरि (मनर) (श्रीमती जानकी सौन्दर राज के द्वारा) ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कोटघिरि मे ओर सं० 3/32, 3/34, 3/35 और 3/36 और 9.38 एकर जिसका आर० एस० सं० 674, 676/1 ए०, 676/11, 676/12 और 676/13, 1 माडुहट्टि गांव में 13 01 एकड़ (आर० एस० 60) ।

के० पोन्नन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, मद्रास

दिनाक : 5-12-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 5 दिसम्बर, 77

निदेश सं० 4245/ 76-77 :—यतः, मुझे के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० कोलि डी० डिविजन और होब्लि, कोटघिरि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोटघिरि (डाकुमेण्ट 220/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-3-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री जी० टी० सौन्दर पान्डियराज

(अन्तरक)

(2) जी० प्रेम्साघर पान्डियराज (मैनर)
(श्रीमती जानकी सौन्दरराज के द्वारा) ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कोटघिरि में 20.30 एकर (आर० एस० सं० 544, 549, 551/1, 551/2, 550/8 और 963) और 2.59 एकर (आर० एस० सं० 550/3, 550/5 और 936/5) और डोर सं० 5/37, 4/38 और 5/39 ।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज मद्रास

तारीख : 5-12-77
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 5 दिसम्बर, 77

निदेश सं० 4245/ 76-77 :—यतः, मुझे, के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० कोर्सलि बी० डिविजन, कोटधिरि, और एस० सं० 2/1 और 2/2 और डोर स० 1/367-373, 373 ए०, 374-377 जाकनौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोटधिरि (डाकुमेण्ट 221/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-3-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जी० टी० सौन्दर पान्डिय राज

(अन्तरक)

(2) श्रीमती जानकी सौन्दर राज

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कोटधिरि में 19.47 एकर (आर० एस० सं० 542, 544, 545 [और 964) और जाकनौर में 4 18 एकर (एस० स० 2/1 और 2/2) और डोर सं० 1/367-373, 373 ए०, 374-377 ।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज II मद्रास

तारीख : 5-12-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 5 दिसम्बर 77

निदेश सं० 4245/ 76-77 —यत , मुझे के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० कोटघिरि में कोर्सलि बी० डिविजन और बेलवडेर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोटघिरि डाकुमेण्ट 222/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-3-77

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

(1) श्री जी० टी० सौन्दर पान्डिय राज

(अन्तरक)

(2) जी० वसन्तसगर (मैनर)
(श्रीमती जानकी सौन्दरराज के द्वारा) ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सपत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है ।

अनुसूची

कोटघिरि मे 20.22 एकर (एस० सं० 544, 545,547/1, 548, 547 और 937/2 और 2.07 एकर (आर० एस० सं० 548 और 967 और डोर स० 5/2, 5/3 और 5/4 ।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख 5-12-77
मोहर •

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 5 दिसम्बर 77

निदेश सं० 4256/ 76-77 :—यतः, मुझे के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी पं० ओडन्तुरै गांव में 7.58 एकर (एस० सं० 98 ए/2) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेट्टुपालयम (डाकुमेण्ट 277/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मार्च, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री एम० साहिब राउतर

(अन्तरक)

(2) श्री एस० वीरासामि (मैनर)
(श्रीमती प्रेमा सुब्रमनियम के द्वारा)

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ओडन्तुरै गांव में 7.58 एकर जिसका एस सं० 99-ए/2।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज II, मद्रास

तारीख : 5-12-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 5 दिसम्बर 1977

निदेश सं० 4256/ 76-77 :—यत:, मुझे के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० एस० सं० 98 ए०/1, 98 ए०/4, 100/2 (13 20 एकर) ओडन्तुरै गांव, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेट्टुपालयम (डाकुमेण्ट 276/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख, मार्च 1977 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० साहिब राउतर

(अन्तरक)

(2) श्री एस० हरि (मैनर)
(श्रीमती प्रेमा सुब्रमनिययम के द्वारा) ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कोयम्बतूर जिल्ला, अविनाशि तालुक, ओडन्तुरै गांव में 13.20 एकर जिसका एस० सं० 98 ए०/1, 98 ए०/4, और 100/21 ।

के० पोन्नन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 5-12-77
मोहर ।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 दिसम्बर, 1977

निदेश सं० 3812/76-77 :—यत, मुझे के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० सिलम्बिमंगलम गाव में 8.23 एकर (एस० सं० 137/3, 137/4 137/1) म स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पोर्टोनोवो (डाकुमेण्ट 150/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14 3-1977।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल

का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण म, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती आयिशा बीबी और श्री ए० बशीर अहमद साहिब।

(अन्तरक)

(2) मनिपिल्लै (मैनर) (सिन्नपोथु अम्माल के द्वारा)

(अन्तरिती)

अनुसूची

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सिलम्बिमंगलम गाव मे 7.23 एकर (एस० सं० 137/3, 137/4 और 137/1)।

के० पोन्नन
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II मद्रास

तारीख : 7-12-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II/123, माउन्ट रोड, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 7 दिसम्बर 77

निदेश सं० 3817/76 77 ——यत:, मुझे के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० इरुंकाट्टुकोटे गांव मे पुन्जा भूमि मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, श्रीपेरुम्बुकर (डाकुमेण्ट 244/77) म, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-3-77 ।

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री के० तम्बैया रेड्डियार

(अन्तरक)

(2) मद्रास मोटार स्पोर्ट्स क्लब।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

इरुंकाट्टुकोटै गांव म पुन्जा भूमि (डाकुमेण्ट 244/77)

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज II मद्रास

तारीख : 7-12-77
मोहर ।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण

अर्जन रेंज II/123, माउन्ट रोड, मद्रास

मद्रास 600006, दिनांक 7 दिसम्बर 77

निदेश सं० 3817/76-77 :—यतः, मुझे के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० इरुंकाट्टुकोटै गांव में पुन्जा भूमि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, श्री पेरम्बूर (डाकुमेण्ट 245/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-3-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ओ० पोन्नुसामि और जगदीसन

(अन्तरक)

(2) मद्रास मोटार स्पोर्ट क्लब

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इरुंकाट्टुकोटै गांव में पुन्जा भूमि (डाकुमेण्ट 245/77)

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज II, मद्रास

तारीख : 7-12-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 दिसम्बर 77

निदेश सं० 3817/76-77 —यत:, मुझे, के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० इरुकाट्टुकोटै गाव में पून्जा भूमि मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, श्रीपेरुम्बुदूर (डाकुमेण्ट 246/77) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-3-1977 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पी० इसैया नायडु; पी० जोजम्माल और ओय० सान्तम्माल

(अन्तरक)

(2) मद्रास मोटार स्पोर्स क्लब।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इरुकाट्टुकोटै गाव मे पून्जा भू० (डाकुमेन्ट 246/77)

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज II मद्रास

तारीख : 7-11-1977
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 7 दिसम्बर 1977

निदेश स० 3817/ 76-77 :—यतः, मुझे के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसको स० इरुकाट्टुकोटै गांव में पून्जा भमि मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, श्री पेरुम्बुदूर (डाकुमेन्ट 247/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-3-1977 ।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्रीय० सूल्वराज और श्रीय तेरसा

(अन्तरक)

(2) मद्रास मोटार स्पोर्ट्स क्लब

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है ।

अनुसूची

इरुकाट्टुकोटै गांव म पून्जा भूमि (डाकुमेन्ट 247/77) ।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जुन रेंज II मद्रास

तारीख : 7-12-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार

पटना, दिनांक 5 दिसम्बर 1977

निदेश सं० III 263 अर्जन/77-78/2179—अतः मुझे, एस० सरुप

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० तौजी नं० 172 है तथा जो मौजे बहौनी हरशंकर प्र० सरैया थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय समस्तीपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8 अप्रैल, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) Shri Jyant Kumar S/o
Shri Deoraj of Mohalla Moolchand Road,
Dt. Samastipur.
Dt. Samastipur.

(2) M/s. Mohan Steel & Re-Rolling Mills
H.O. Samastipur through Shri Bharat Bhushan,
Managing Partner S/o
Shri Mohanlal of Mohalla Moolchand Road,

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एराजी 1 बीघा, 2कठ्ठा, 1 1/2 धूर जो मौजे बहौनी हरशंकर प्रगना सरैया थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर मे स्थित है जिसका वसीका नं० 3011 तिथि 8-4-77 है।

एस० सरुप
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, पटना।

तारीख : 5-12-1977
मोहर :

संघ लोक सेवा आयोग

नोटिस

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, मई, 1978

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 1977

सं० फा० 8/9/77-प० 1 (ख)—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नांकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 2 मई, 1978 से एक सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी :—

पाठ्यक्रम का नाम	रिक्तियों की संभावित संख्या
भारतीय सेना अकादमी, देहरादून (जनवरी 1979 में प्रारम्भ होने वाला 66वां पाठ्यक्रम)	150 (एन० सी० सी० 'ग' प्रमाण-पत्र सेवा स्कंध प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 32 रिक्तियां सम्मिलित हैं)
नौ सेना अकादमी, कोचिन (जनवरी, 1979 में प्रारम्भ होने वाला पाठ्यक्रम)	42
अधिकारी प्रशिक्षण शाला मदरास (मई, 1979 में प्रारम्भ होने वाला 29वां पाठ्यक्रम)	150

नोट I एन० सी० सी० 'सी०' प्रमाण-पत्र (सेना स्कन्ध) प्रमाण-पत्र प्राप्त उम्मीदवार नौ सेना अकादमी तथा अल्पकालिक सेवा कमीशन (गैर तकनीकी) पाठ्यक्रमो की रिक्तियों के लिए भी प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं । चूकि अभी तक उनके लिए इन पाठ्यक्रमों में कोई आरक्षण नही है, अत: इन पाठ्यक्रमों में रिक्तयों को भरने के लिए उन्हें सामान्य उम्मीदवारो की तरह समझा जाएगा जिन उम्मीदवारो को अभी भी एन० सी० सी० 'सी०' प्रमाणपत्र (सेना स्कन्ध) परीक्षा अभी उत्तीर्ण करनी है, किन्तु अन्यथा वे आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता में बैठने के पात्र हो तो वे भी आवेदन कर सकते है, किन्तु उन्हें एन० सी० सी० 'सी' प्रमाण-पत्र (सेना स्कन्ध) परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-प्रस्तुत करना होगा, जो कि आयोग के कार्यालय में 30 दिसम्बर, 1978 तक पहुंच जाए ।

नोट II—भारतीय सेना अकादमी पाठ्यक्रमो मे आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त एन० सी० सी० 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त उम्मीदवारो के पर्याप्त संख्या के न मिलने के कारण न भरी गई आरक्षित रिक्तियो को अनारक्षित समझा जाएगा और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा ।

आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा म योग्यता प्राप्त उम्मीदवारो के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त पाठ्यक्रमो मे प्रवेश दिया जाएगा (क) परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्यचर्या (ख) अकादमी/शाला मे प्रवेश हेतु शारीरिक क्षमता-स्तर तथा (ग) भारतीय सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण शाला मे प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारो की सेवा आदि की संक्षिप्त सूचना के सम्बन्ध मे क्रमश: परिशिष्ट I, II और III में विस्तार से समझाया गया है ।

नोट:—परीक्षा के समस्त विषयो के प्रश्न पत्रो में केवल वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएगे । नमूने के प्रश्नों सहित विस्तृत विवरण कृपया परिशिष्ट V पर "उम्मीदवारो के लिए सूचना पुस्तिक मे देखिए ।"

2. परीक्षा के केन्द्र : अहमदाबाद, इलाहाबाद, बगलौर, भूपाल, बंम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ कोचीन, कटक, दिल्ली दिसपुर (गौहाटी), हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, जम्मू, मद्रास नागपुर, पणजी (गोवा), पटियाला, पटना, शिलाग, शिमला त्रिवेन्द्रम और वाराणसी ।

3. पात्रता की शर्तें :

(क) राष्ट्रिकता :

उम्मीदवार या तो

(i) भारत का नागरिक हो, या

(ii) भूटान की प्रजा हो, या

(iii) नेपाल की प्रजा हो, या

(v) तिब्बती शरणार्थी जो स्थायी रूप से भारत मे रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले आ गया हो, या

( ) भारतीय मल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप मे रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे कीन्या, उगांडा तथा तांजानिया का संयुक्त गणराज्य या जांबिया, मलावी, जेयरे तथा इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हो ।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग (iii) (iv), और (v) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता-प्रमाण पत्र प्रदान किया हो ।

पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता-प्रमाण पत्र आवश्यक नही होगा ।

जिस उम्मीदवार के लिए यह पात्रता-प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, उसको इस शर्त पर परीक्षा मे प्रवेश दिया जा सकता है और अकादमी या शाला में भी, जैसी भी स्थिति हो, प्रवेश दिया जा सकता है कि बाद में भारत सरकार द्वारा वह उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करे ।

(ख) आयु-सीमाये, स्त्री या पुरुष और वैवाहिक स्थिति.—

(1) भा० से० अकादमी और नौ सेना अकादमी के लिए:

केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार पात्र है जिनका

जन्म 2 जनवरी, 1957 से पहले और 1 जनवरी 1960 के बाद न हुआ हो :

(ii) अधिकारी प्रशिक्षण शाला के लिए केवल वही पुरुष उम्मीदवार (विवाहित या अविवाहित) पात्र है जिनका जन्म 2 जनवरी, 1956 से पहले और 1 जनवरी, 1960 के बाद न हुआ हो।

नोट :—जन्म की तारीख केवल वही मान्य होगी जो मट्रिकुलेशन/हायर सैकण्डरी या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में लिखी गई हो ।

(ग) शैक्षिक योग्यता :—किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष । जो उम्मीदवार अभी डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले है, वे भी आवेदन कर सकते है, परन्तु उनको डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण नीचे की तारीख तक आयोग के कार्यालय में पहुचाना होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी ।

(i) भा० से० अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश के लिए—30 दिसम्बर, 1978 को या उससे पहले ।

(ii) अधिकारी प्रशिक्षण शाला में प्रवेश के लिए—4 अप्रैल, 1979 को या उससे पहले ।

जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं हों, जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यताप्राप्त हों, वे भी परीक्षा मे प्रवेश के लिए पात्र होंगे ।

अपवाद की परिस्थितियो मे, आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योगयताओ मे से किसी से मुक्त न होने पर भी, शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है जिसके पास ऐसी योग्यताए हो जिनका स्तर, आयोग के विचार से, इस परीक्षा मे प्रवेश पाने योग्य हो ।

नोट I —जो उम्मीदवार रक्षा मन्त्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित है, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नही होगे । अगर प्रवेश दिया गया तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी ।

नोट II :—विशेष सेवा अनाप्तो को छोड़कर बाकी अनाप्त नाविक (जिनमे किशोर और कारीगर प्रशिक्षु सम्मिलित है) जिनको अपने नियत कार्य पूरे करने में छह महीने से कम समय बाकी है, इस परीक्षा मे बैठने के पात्र नही होगे । जिन विशेष सेवा अनाप्तों को अपने नियत कार्य पूरे करने मे छह महीने से कम समय बाकी है, उनके आवेदन पत्र तभी लिए जायेगे जब वे उनके कमाडिंग अफसरो के द्वारा विधिवत् अनुशसित हो ।

4. आवेदन के साथ देय शुल्क .—रु० 28.00 (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियो के लिए रु० 7.00) जिन आवेदन पत्रों के साथ यह निर्धारित शुल्क नही भेजा जाएगा उनको एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

5. शुल्क से छूट :—आयोग, यदि चाहे तो, निर्धारित शुल्क में छूट दे सकता है जब उनको इस बात का आश्वासन हो कि आवेदक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से वस्तुत विस्थापित व्यक्ति है जो 1-1-1964 और 25-3-1971 के बीच मे भारत मे प्रव्रजन कर आया है या वह बर्मा मे वस्तुत प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति है जो 1-6-1963 को या उसके बाद भारत मे प्रव्रजन कर आया है या वह श्रीलका से वस्तुत: प्रत्यावर्तित मूलत. भारतीय व्यक्ति है जो अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलका समझौते के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत आया है या आने वाला है और निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थिति में नही है ।

6 आवेदन कैसे किया जाए —केवल सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा मई, 1978 के लिए निर्धारित प्रपत्र मे छपे हुए आवेदन पत्र ही लिए जाएगे जो इस परीक्षा के नोटिस के साथ लगे हुए है । आवेदन पत्र भर कर सचिव, सघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली—110011 को भेजे जाने चाहिए । आवेदन प्रपत्र और परीक्षा के पूरे विवरण निम्नांकित स्थानो से प्राप्त किए जा सकते है :—

(i) दो रुपए का मनीआर्डर या सघ लोक सेवा आयोग के सचिव को नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर देय रेखाकित भारतीय पोस्टल आर्डर भेज कर सचिव, सघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 के यहां से डाक द्वारा,

(ii) दो रुपए नकद देकर आयोग के कार्यालय के काउन्टर पर,

(iii) निकटतम भर्ती कार्यालय, मिलिटरी एरिया/सब एरिया मुख्यालय, एन० सी० सी० एकक तथा नौ सेना प्रतिष्ठानो के यहा से नि.शुल्क ।

नोट :—आवेदन-पत्र तथा परीक्षा के पूर्ण विवरण डाक द्वारा मंगाने के लिए भेजे जाने वाले अनुरोध आयोग के कार्यालय में 30 जनवरी, 1978 के पहले पहुच जाने चाहिए । परन्तु ये प्रपत्र आयोग के कार्यालय मे काउन्टर पर स्वयं जाकर मगाने वालो को 6 फरवरी, 1978 तक मिल सकते है ।

सभी उम्मीदवारो को, चाहे वे पहले से ही सरकारी नौकरी में हों, जिनमें सशस्त्र सेना में सेवारत कर्मचारी भी शामिल है, या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों या इसी प्रकार के सगठनों में काम कर रहे हो या गैर सरकारी संस्थाओ मे नियुक्त हों, आयोग को सीधे आवेदन पत्र भेजने चाहिए । अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंच जाए तो उस आवेदन पत्र पर विचार नही किया जाएगा, भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो ।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी मे, जिसमे सशस्त्र सेना भी शामिल है, स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहे हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो जिनमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नही है, उनको इस परीक्षा में अन्तिम रूप में प्रवेश पाने के

पहले अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष या कमैंडिंग अफसर की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। उनको चाहिए कि वे अपने आवेदन-पत्र को उसके अंत में संलग्न प्रमाण-पत्र की दो प्रतिया निकालकर, आयोग में सीधे भेज दें और प्रमाण पत्र की उन प्रतियों को तत्काल अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष या कमैंडिंग अफसर को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत करें कि उक्त प्रमाण पत्र की एक प्रति विधिवत भर कर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को जल्दी से जल्दी और किसी भी हालत में प्रमाण पत्र की फार्म में निर्दिष्ट तारीख से पहले भेज दी जाए।

7. आयोग के कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति की अन्तिम तारीख :—

(i) भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से 6 फरवरी, 1978 ।)

(ii) विदेश में या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों से 20 फरवरी, 1978,

8. प्रलेख, जो आवेदन के साथ प्रस्तुत हों।

(क) सभी उम्मीदवारो द्वारा :—

(1) रु० 28·00 (अनुसूचित जातियो/जन जातियो के उम्मीदवारो के लिए रु० 7·00) का शुल्क जो सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में हो या सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के नाम भारतीय स्टेट बैंक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली पर देय भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से जारी किया गया रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारो को चाहिए कि वे अपने यहा के भारत के उच्च आयुक्त या राजदूत या विदेशी प्रतिनिधि के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करें जिससे वह "051 लोक सेवा आयोग-परीक्षा शुल्क" के खाते में जमा हो जाए और उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ भेज दें।

(ii) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 सें० मी० × 7 सें० मी०) के फोटो की एक जैसी दो प्रतिया जिनके ऊपरी हिस्से पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर विधिवत अंकित हों।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा :—

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का होने के दावे के समर्थन में, जहा उम्मीदवार या उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आम तौर पर रहते हो, उस जिले की किसी सक्षम प्रमाण पत्र के नीचे उल्लिखित) प्राधिकारी से परिशिष्ट IV में दिए गए प्रपत्र में लिए गए प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ग) शुल्क से छूट चाहने वाले उम्मीदवारो के द्वारा :—

(1) किसी जिला अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी या समद या राज्य विधान मंडल के सदस्य से लिए गए प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमे यह प्रमाणित किया गया हो कि उम्मीदवार निर्धारित शुल्क देने की स्थिति मे नही है।

(ii) वस्तुत: विस्थापित/प्रत्यावर्तित व्यक्ति होने के दावे के समर्थन में निम्नलिखित प्राधिकारियो से लिए गए प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि :—

(क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति

(1) दडकारण्य परियोजना के ट्रैन्जिट केन्द्रों या विभिन्न राज्यों के राहत शिविरो का शिविर सचालक,

अथवा

(ii) उस इलाके का जिला मैजिस्ट्रेट जहां पर वह, फिलहाल, रह रहा हो,

अथवा

(iii) अपने जिले के शरणार्थी पुनर्वास का प्रभारी अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट,

अथवा

(iv) सब डिविजनल अफसर अपने अधीनस्थ सब-डिविजन की सीमा तक,

अथवा

(v) शरणार्थी पुनर्वासन उपायुक्त, पश्चिमी बगाल/निदेशक (पुनर्वासन) कलकत्ता।

(ख) श्रीलका से प्रत्यावर्तित :—

श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त।

(ग) बर्मा से प्रत्यावर्तित

भारतीय दूतावास, रंगून, या जहा का वह रहने वाला हो, उस क्षेत्र का जिला मैजिस्ट्रेट।

(घ) भा० से० अ० पाठयक्रम म आरक्षित रिक्तियो के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एन० सी० सी० (सी) प्रमाण-पत्र (सेना स्कन्ध) प्राप्त उम्मीदवारो द्वारा

यह दिखाने के लिए कि उसके पास एन० सी० सी० 'सी' प्रमाण-पत्र (सेना स्कन्ध) है अथवा वह एन० सी० सी० 'सी' प्रमाण-पत्र (सेना स्कन्ध) परीक्षा में प्रवेश ले रहा है/प्रवेश ले चुका है, इस आशय के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।

9. शुल्क की वापसी :—आवेदन के साथ आयोग को अदा किया गया शुल्क, वापस करने के किसी अनुरोध पर नीचे की परिस्थितियो को छोड़कर विचार नही किय जा सकता और न वह किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता :—

(1) जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क दे दिया है, पर जिसको आयोग ने परीक्षा में बैठने नही दिया, उसको रु० 15.00 (अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में रु० 4.00) वापस कर दिया जाएगा। परन्तु अगर कोई आवेदन यह सूचना प्राप्त होने पर अस्वीकार कर दिया गया हो कि उम्मीदवार डिग्री परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ

है या डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत नही कर पाएगा तो उसके लिए शुल्क की वापसी मजूर नहीं की जाएगी।

(ii) जो उम्मीदवार नवम्बर, 1977 की सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा में बैठा हो और उस परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी पाठ्यक्रम के लिए उसका नाम अनुशंसित हुआ हो तो उनके मामले में रु० 15.00 (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के मामलें में रु० 4.00) का शुल्क वापस दिया जा सकता है, पर यह जरूरी है कि मई 1978 की सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी रद्द कराने और शुल्क वापस पाने के लिए उस उम्मीदवार का अनुरोध आयोग के कार्यालय में 16 अक्तूबर, 1978 को या उससे पहलें पहुंच जाए।

10. आवेदन प्राप्ति की सूचना :—इस परीक्षा के लिए निर्धारित फार्म में मिलें सभी आवेदनो के पहुंचने की सूचना भेजी जाएगी। अगर किसी उम्मीदवार को अपने आवेदन पहुचने की सूचना इस परीक्षा के आवेदन पहुंचने की अन्तिम तारीख से एक महीने के अन्दर न मिले तो उसको प्राप्ति सूचना पाने के लिए तत्काल आयोग से सम्पर्क करना चाहिए।

11. आवेदन का परिणाम :—अगर किसी उम्मीदवार को अपने आवेदन के परिणाम की सूचना परीक्षा शुरू होने की तारीख से एक महीने पहले तक आयोग से प्राप्त न हुई हो उसे परिणाम की जानकारी के लिए आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। अगर इस बात का पालन नहीं हुआ, तो उम्मीदवार अपने मामले में विचार किए जाने के अधिकार से वंचित हो जाएगा।

12. परीक्षा में प्रवेश :—किसी उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। आयोग से प्राप्त प्रवेश-प्रमाण पत्र के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

13. कदाचार के दोषी उम्मीदवारो के खिलाफ कार्रवाई:—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन-पत्र भरते समय कोई गलत विवरण न दें और न किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपा लें। उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी प्रमुख या उसकी अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि में किसी भी हालत में वे किसी तरह का संशोधन या परिवर्तन या कोई फेर—बदल न करें और न फेर बदल किए गए/गढ़े हुए प्रलेख को वे प्रस्तुत करे। अगर इस प्रकार के दो या अधिक प्रलेखो में या उनकी अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियो में कोई अशुद्धि या असंगति हो तो इस असंगति के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है—

(i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या

(ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वय प्रस्तुत होना, या

(iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत कराना, या

(iv) जाली प्रलेख या फेर बदल किए गए प्रलेख प्रस्तुत करना, या

(v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपाकर रखना, या

(vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के समर्थन मे किसी अनियत या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना, या

(vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाए हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिका (ओ) पर/असगत बातें लिखी हो जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किस प्रकार का दुर्व्यहार किया हो,

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(xi) ऊपर के खण्डो मे उल्लिखित सभी या किसी कदाचार की ओर प्रवृत्त होना या आयोग को उत्तेजित कराना।

वह अपने को दंड-अभियोजन का शिकार बनाने के अतिरिक्त :—

(क) वह जिस परीक्षा का उम्मीदवार है, उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा

(ख) (i) आयोग द्वारा उनकी किसी भी परीक्षा या चयन के लिए,

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए स्थायी रूप से या कुछ निर्दिष्ट अवधि के लिए अपवर्जित किया जा सकता है, और

(ग) अगर वह पहले से सरकारी नौकरी मे हो तो उचित नियमावली के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई का पात्र होगा।

14. मूल प्रमाण-पत्र—प्रस्तुतीकरण :—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं, उनको, लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता आदि के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। लिखित परीक्षा के परिणाम संभवतः जुलाई, 1978 में घोषित किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के समय भी इन मूल प्रमाण पत्रो को प्रस्तुत करना पड सकता है।

15. आवेदन के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार : आवेदन के सम्बन्ध मे सभी पत्र व्यवहार सचिव, सघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली:110011 के पते पर करना चाहिए और उसमें निम्नांकित विवरण अवश्य होना चाहिए :—

(1) परीक्षा का नाम

(2) परीक्षा का वर्ष और महीना

(3) रोल नम्बर या जन्म की तारीख (अगर रोल नम्बर नहीं मिला हो)।

(4) उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)।

(5) पत्र व्यवहार का पता, जैसा आवेदन पत्र में दिया है।

ध्यान दें :—जिन पत्रों के साथ ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

16. पते में परिवर्तन —उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन पत्र में दिए पते पर भेजे जाने वाले पत्र आदि आवश्यक होने पर उनके नए पते पर भिजवा दिए जाएं। पते में जो भी परिवर्तन हो उसे ऊपर के पैरा 15 में उल्लिखित विवरण के साथ आयोग को यथाशीघ्र सूचित कर देना चाहिए।

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशसित उम्मीदवारों ने अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता तत्काल सेना मुख्यालय, ए० वी० ब्रांच रिक्रूटिंग, 6 (एस० पी०) (ए) वेस्ट ब्लाक 3, विंग 1, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110022 को सूचित कर देना चाहिए। जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए सम्मन पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

यद्यपि प्राधिकारी इस प्रकार के परिवर्तनों पर पूरा पूरा ध्यान देते हैं, फिर भी इस संबंध में वे अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

17. लिखित परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के संबंध में पूछताछ :—जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए अनुशसित हैं, उनको अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ और अनुरोध सीधे सेना मुख्यालय, ए०जी० ब्रांच रिक्रूटिंग, 6 (एस० पी०) (ए) वेस्ट ब्लाक, 3, विंग 1, रामकृष्ण-पुरम, नई दिल्ली-110022 के पते पर लिखने चाहिए।

जिन उम्मीदवारों को किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठना हो, उनको चाहिए कि वे लिखित परीक्षा के परिणाम निकलते ही अपनी उस परीक्षा की तारीखें सूचित करते हुए सेना मुख्यालय को लिखें ताकि अगर संभव हो तो साक्षात्कार की तारीखें तय करते समय वे इस बात को ध्यान में रख सकें।

18. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों को साक्षात्कार, अंतिम परिणाम की घोषणा और अंतिम रूप से योग्य पाए गए उम्मीदवारों का, प्रशिक्षण पाठयक्रम में, प्रवेश :—

संघ लोक सेवा आयोग, लिखित परीक्षा में आयोग के निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। ये उम्मीदवार बौद्धिक तथा व्यक्तित्व परीक्षणों के लिए सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होंगे।

जो उम्मीदवार आई० एम० ए० (डी० ई०) कोर्स और/या नेवी (एस० ई०) कोर्स की लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, चाहे वे एस० एस० सी० (एन० टी०) कोर्स के लिए अर्हता प्राप्त करें या नहीं, उनको अगस्त/सितम्बर 1978 में सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों के लिए भेजा जाएगा और जो उम्मीदवार केवल एस० एस० सी० (एन० टी०) कोर्स के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, उनको दिसम्बर, 1978/जनवरी, 1979 सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों के लिए भेजा जाएगा।

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपनी ही जोखिम पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के वे हकदार नहीं होंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों को आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में इस आशय के एक प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकृति हेतु, उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में अलग अलग अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा, उनके निर्णय के अनुसार, निश्चित किए जाएंगे लिखित परीक्षा तथा से० च० बोर्ड परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्यता-क्रम में रखा जाएगा। अलग अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किए जाएं, इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से भारतीय सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण शाला में, जैसी स्थिति हो, प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अंतिम चयन शारीरिक क्षमता और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को दृष्टि में रखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा।

19 प्रशिक्षण पाठयक्रम में प्रवेश के लिए अर्हताएं :—जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सेना अकादमी, वायुसेना उड्डयन महाविद्यालय, नौसेना अकादमी, कोचिन और अधिकारी प्रशिक्षणशाला, मदरास में पहले प्रवेश पा चुके हैं, पर अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिए गए हैं, उनको भारतीय सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी या थलसेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन में प्रवेश देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण पहले भारतीय सेना अकादमी से वापस लिया गया हो उनको भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एण्ट्री नेवल केडेट्स के रूप में पहले चुन लिया गया हो, पर बाद में एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौ सेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों से वापस लिया गया हो, वे भारतीय नौ सेना में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण भारतीय सेना अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षणशाला,

एन० सी० सी० तथा स्नातक पाठ्यक्रम मे वापस लिया गया हो, उनके बारे मे थल सेना मे अल्पकालिक सेवा कमीशन देने की बात पर विचार नही किया जाएगा ।

जिन उम्मीदवारो को, एक अधिकारी मे अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण, एन० सी० सी० तथा स्नातक पाठ्यक्रम से पहले वापस लिया गया हो, उनको भारतीय सेना अकादमी मे प्रवेश नही दिया जाएगा ।

20. भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी मे प्रशिक्षण के समय विवाह पर प्रतिबंध :—भारतीय सेना अकादमी और नौ सेना अकादमी के पाठ्यक्रमो के उम्मीदवारो को इस बात का वचन देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नही होगा, तब तक वे शादी नही करेगे । जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है, उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा, चाहे वह इस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा मे भले ही सफल हो । जो उम्मीदवार प्रशिक्षणकाल में शादी कर लेगा, उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है, वह सब उससे वसूल किया जाएगा ।

अल्पकालिक सेवा कमीशन (एन० टी०) के पाठ्यक्रम का कोई भी उम्मीदवार ।

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की हो या शादी के लिए संविदा कर ली हो जिसकी पहले से कोई जीवित पति —है या था

(ख) जिसने, पहले से जीवित पति-पत्नी होते हुए भी, किसी व्यक्ति से शादी की हो या शादी के लिए संविदा कर ली हो ।

अधिकारी प्रशिक्षणशाला मे प्रवेश/अल्पकालिक सेवा कमीशन की प्रवृति का पात्र नही होगा ।

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस तरह की शादी ऐसे व्यक्तियो के लिए और शादी की दूसरी तरफ के व्यक्तियों के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार अनुमोदनीय है और ऐसा करने के ठोस कारण हैं तो किसी व्यक्ति को वह इस नियम के अनुपालन से छूट दे सकती है ।

21. भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी मे प्रशिक्षण के समय अन्य प्रतिबंध :—भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी मे प्रवेश प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार किसी दूसरे कमीशन के लिए विचार योग्य नही होंगे । भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी मे प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से उनका चयन हो जाने के बाद उनको और किसी भी साक्षात्कार या परीक्षा मे उपस्थित होने की अनुमति नही दी जाएगी ।

22. बौद्धिक परीक्षण संबंधी सूचना :—रक्षा मंत्रालय (मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय) में सेवा चयन बोर्डों मे उम्मीदवारो की बौद्धिक परीक्षण उपलब्धियो का अध्ययन (ए स्टडी आफ इंटलिजन्स टेस्ट स्कोर्स आफ कंडिडेट्स एट सर्विसेस सेलेक्शन बोर्डस) शीर्षक पुस्तक प्रकाशित है । इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य यह है कि उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के बौद्धिक परीक्षणों के स्वरूप और स्वभाव से परिचित हो जाए ।

7—386GI/77

यह पुस्तक सामूल्य प्रकाशन है और बिक्री के लिए प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110006 के यहां मिल सकती है । डाक द्वारा आदेश देकर या नकद भुगतान के द्वारा उनसे यह सीधे प्राप्त की जा सकती है । केवल नकद भुगतान के द्वारा यह (i) किताब महल, रिवोली सिनेमा के सामने, एम्पोरिया बिल्डिंग, सी-ब्लाक, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 (ii) उद्योग भवन की प्रकाशन शाखा और संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 के बिक्री केंद्रों पर तथा (iii) भारत सरकार पुस्तकालय, 8, के० एस० राय रोड, कलकत्ता-700001 पर भी मिल सकती है ।

23. जिन पुस्तिकाओं में नियमावली तथा पिछली परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों का ब्यौरा सम्मिलित होता है उसके बारे में सूचना ।

जिन पुस्तिकाओं में नियमावली तथा पिछली परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों का ब्यौरा सम्मिलित होता है, उनकी बिक्री प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110006 के द्वारा की जाती है और उन्हें यहां से मेल आर्डर अथवा नकद भुगतान द्वारा सीधे प्राप्त किया जा सकता है । उन्हे (i) किताब महल, रिवोली सिनेमा के सामने एम्पोरिया बिल्डिंग, "सी" ब्लाक, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 और (ii) प्रकाशन शाखा के बिक्री काउंटर, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001, और कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 और (iii) गवर्नमेंट आफ इंडिया बुक डिपो, 8, के० एस० राय रोड, कलकत्ता-1, से भी केवल नकद पैसा देकर खरीदा जा सकता है । ये पुस्तिकाएं विभिन्न मुफस्सिल नगरों में भारत सरकार के प्रकाशन एजेंटों से भी प्राप्त की जा सकती हैं ।

आर० एस० गोयल
उप सचिव

परिशिष्ट I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्यविवरण)

क. परीक्षा की योजना

1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :—

(क) नीचे के पैरा 2 मे निर्दिष्ट रीति से लिखित परीक्षा,

(ख) उन उम्मीदवारो का बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण (इस परिशिष्ट के भाग ख के अनुसार) के लिए साक्षात्कार जिन्हें किसी भी एक सर्विसेज सैलक्शन सैंटर मे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए ।

2. लिखित परीक्षा के विषय, उनके लिए दिया जाने वाला समय और प्रत्येक विषय के लिए नियत अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :—

क—भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
अनिवार्य :—		
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100
3. प्रारंभिक गणित	2 घंटे	100

वैकल्पिक—निम्नलिखित में से कोई एक विषय

विषय	कोड संख्या	नियत समय	अधिकतम अंक
भौतिकी	01	2 घंटे	150
रसायन विज्ञान	02	2 घंटे	150
गणित	03	2 घंटे	150
वनस्पति विज्ञान	04	2 घंटे	150
प्राणि विज्ञान	05	2 घंटे	150
भूविज्ञान	06	2 घंटे	150
भूगोल	07	2 घंटे	150
अंग्रेजी साहित्य	08	2 घंटे	150
भारत का इतिहास	09	2 घंटे	150
सामान्य अर्थशास्त्र	10	2 घंटे	150
राजनीति विज्ञान	11	2 घंटे	150
समाज शास्त्र	12	2 घंटे	150
मनोविज्ञान	13	2 घंटे	150

(ख) नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	नियत समय	अधिकतम अंक
आनवार्य :—		
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100
वैकल्पिक		
*3. प्रारम्भिक गणित या प्रारम्भिक भौतिकी	2 घंटे	100
*4 गणित या भौतिकी	2 घंटे	150

*जो उम्मीदवार प्रारंभिक गणित लेंगे उन्हे चौथे प्रश्न पत्र में भौतिकी विषय लेना होगा तथा जो उम्मीदवार प्रारंभिक भौतिकी लेंगे उन्हे चौथे प्रश्न-पत्र में गणित विषय लेना होगा ।

(ग) अधिकारी प्रशिक्षण शाला में प्रवेश के लिए

विषय	नियत समय	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए जो अधिकतम अंक नियत किए गए हैं वे प्रत्यक विषय के लिए समान होंगे अर्थात भारतीय सेना अकादमी, नौसेना अकादमी और अफसर ट्रेनिंग स्कूल में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए नियत अधिकतम अंक क्रमश: 450, 450 और 200 होंगे ।

3. समस्त विषयो के प्रश्न-पत्रो मे केवल वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे । नमूने के प्रश्नो सहित विस्तृत विवरण कृपया परिशिष्ट V पर 'उम्मीदवारो के लिए सूचना पुस्तिका' मे देखिए ।

4. प्रश्न-पत्रो मे जहा भी आवश्यक होगा, केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से सबधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा ।

5. सब प्रश्न-पत्रो के उत्तर अंग्रेजी मे दिए जाएं, जब तक कि प्रश्न-पत्र मे विशेष रूप से अन्यथा न कहा जाए ।

6. उम्मीदवारो को प्रश्न पत्रो के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए । किसी भी दशा मे उन्हे प्रश्नो के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नही की जाएगी ।

7. परीक्षा के एक या सभी विषयो के अर्हक अंको का निर्धारण आयोग की विवक्षा पर है ।

8. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नही दिए जाएंगे ।

9. लिखित विषयों मे अपाठ्य हस्तलेख होने पर अधिकतम अंकों मे से उनके 5 प्रतिशत तक अक काट लिए जाएंगे ।

ख—परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

स्तर

प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्रों के स्तर मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होगा, प्रारम्भिक भौतिकी के प्रश्न-पत्र का स्तर उच्चतर माध्यमिक परीक्षा जैसा होगा ।

अन्य विषयों में प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जिस की किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है ।

इनमें से किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नही होगी ।

पाठ्य-विवरण

अंग्रेजी

प्रश्न-पत्र इस प्रकार होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी और अंग्रेजी के शब्दों के बोध की परीक्षा ली जा सके ।

सामान्य ज्ञान

सामान्य ज्ञान तथा साथ मे समसामयिक घटनाओ और दिन प्रतिदिन देखे और अनुभव किए जाने वाले इसी तरह के मामलों के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी, जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो । प्रश्न-पत्र मे भारत के इतिहास और भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को, उन विषयों का विशेष अध्ययन किए बिना, देना चाहिए ।

प्रारंभिक गणित

अंकगणित

संख्या पद्धतियां—धनपूर्ण सख्याएं, पूर्णांक परिमेय और वास्तविक संख्याएं, मूल संक्रियाएं-जोड़, घटाना, गुणन, और विभाजन, वर्ग मूल, दशमलव भिन्न ।

ऐकिक विधि—समय तथा दूरी, समय तथा कार्य, प्रतिशतता—साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज मे अनुप्रयोग, लाभ तथा हानि, अनुपात और समानुपात, विचरण ।

प्रारम्भिक सख्या सिद्धान्त —विभाजन की कलन विधि, अभाज्य और भाज्य संख्याए । 2, 3, 4, 5, 9 और 11 द्वारा विभाज्यता के परीक्षण । अपवर्त्य और गुणन खड । गुणन खंडन प्रमेय । महत्तम समापवर्तक तथा लघुतम समापवर्तर्य, यूकिलड की कलन विधि ।

आधार 10 तक लघुगणक, लघुगणक के नियम, लघुगणकीय सारणियो का प्रयोग ।

बीज गणित

आधारभूत संक्रियाए: साधारण गुणन खंड । शेष फल प्रमेय, बहुपदो का महत्तम समापवर्तक और लत्तधुम समापवर्त्य । द्विघात समीकरणो का हल, इसके मूलो और गुणाको के बीच संबध । (केवल वास्तविक मूलों पर विचार किया जाए) । दो अज्ञात राशियों मे युगपत् रैखिक समीकरण विश्लेषण और ग्राफ सम्बन्धी हल । दो चरों मे युगपत रैखिक असमिकाए और उनके हल । प्रायोगिक प्रश्न जिनसे दो चरो में दो युगपत रैखिक समीकरण या असमिकाए बनती है या एक चर में द्विघात समीकरण तथा उनके हल, समुच्चय भाषा तथा समुच्चय अंकन, पद्धति, परिमेय व्यंजक तथा सप्रतिबंध तत्समक घाताक नियम ।

त्रिकोणमिति :

ज्या X, कोटिज्या X, स्पर्श रेखा X जब $O^\circ \angle x \angle 90^\circ$
ज्या X, कोटिज्या X स्पर्श रेखा X का मान
क्योंकि X , O° , 30°, 45°, 60° और 90° ।
सरल त्रिकोण मितीय तत्समक ।
त्रिकोणमितीय सारणियो का प्रयोग ।
ऊचाइयों और दूरियों के सरल कोश ।

ज्यामिति ·

रेखा और कोण, समतल और समतल आकृति । निम्नलिखित पर प्रमेय :—(i) किसी बिन्दु पर कोणों के गुण धर्म । (ii) समांतर रेखाएं । (iii) किसी त्रिभुज की भुजाएं और कोण । (iv) त्रिभुजो की सर्वांगसमता । (v) समरूप त्रिभुज (vi) माध्यिकाओ और शीर्ष लम्बो का संगमन । (vii) समातर चतुर्भुजो, आयत और वर्ग के कोणो, भुजाओं व विकर्णों के गुण धर्म । (viii) वृत्त और उमके गुण धर्म जिसमें स्पर्श रेखा तथा अभिलम्ब भी शामिल है, (ix) स्थानिक संघक ।

ऐसे प्रयोगिक प्रश्न तथा रचनाएं जिनमे ज्यमितीय उपकरणो का प्रयोग करना पड़े अर्थात किसी कोण या रेखाखंड का समद्विभाजन, लम्ब, समान्तर रेखाएं तथा त्रिभुजों की रचना । किसी वृत्त की स्पर्श रेखा ।

विस्तार कलन

वर्गों, आयतों, समान्तर चतुर्भुजों, त्रिभुजो और वृत्तों के क्षेत्रफल । उन आकृतियो के क्षेत्र फल जो इन आकृतियों में विभाजित की जा सकती हैं । (क्षेत्रबही) । घनाभो का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन । लम्ब वृतीय शकुओं और बेलनों का पार्श्व-पृष्ठ तथा आयतन । गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन । इन विषयो से सम्बन्धित प्रायोगिक प्रश्न पूछे जाएंगे और यदि आवश्यकता हुई तो प्रश्न-पत्र मे सूत्र भी दे दिए जाएगे ।

साख्यिकी

साख्यिकीय तथ्यो का सग्रहण तथा सारणीयन । आलेखी निरूपण-बारम्बारता बहुभुज, आयत चित्र, शलाका चार्ट, पाई चार्ट आदि केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप ।

प्रारम्भिक भौतिकी

(क) विस्तार कलन —मापन के मात्रक, सी० जी० एस० और एम० के० एस० मात्रक । अदिश और सदिश । बल और वेग का सयोजन तथा वियोजन । एक समानत्वरण । एक समानत्वरण के अधीन ऋजु-रेखीय गति । न्यूटन का गति नियम । बल की सकल्पना । बल के मात्रक । मात्रा और भार ।

(ख) पिड का बल विज्ञान —गुरुत्व के अधीन गति । समानान्तरण बल । गुरुत्व केन्द्र । साम्यावस्था । साधारण मशीन । वेग अनुपात । आनत समतल पेच और गियर सहित विभिन्न साधारण मशीनें । घर्षण, घर्षण कोण, घर्षण गुणाक । कार्य, शक्ति और ऊर्जा । स्थितिज और गतिज ऊर्जा ।

(ग) तरल गुणधर्म —दाब और प्रणोद । पास्कल का नियम । आर्कमिडीज का नियम । घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व । पिंडों और द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्वों को निर्धारित करने के लिए आर्कमिडीज के नियम का अनुप्रयोग । प्लवन का नियम । गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए दाब का मापन । बायल नियम । वायु पम्प ।

(घ) ताप —पिण्डो का रैखिक विस्तार और द्रव्यों का घनाकार विस्तार । द्रव्यो का वास्तविक तथा आभासी विस्तार। चार्ल्स नियम, परम शून्य, बायल और चार्ल्स नियम, पिण्डों और द्रवों का विशिष्ट ताप, कैलोरीमिति । ताप का संचरण, धातुओ की ताप सवाहकता । स्थिति परिवर्तन । सलयन और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा । एम० वी० पी० नमी (आर्द्रता), ओसांक और आपेक्षिक आर्द्रता ।

(ङ) प्रकाश —ऋजुरेखीय संचरण । परावर्तन के नियम । गोलीय दर्पण, अपवर्त्तन अपवर्तन के नियम लैन्स, प्रकाशिक यंत्र कमरा, प्रक्षेपित्र, पारापार चित्रदर्शी, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, वाइमो ग्यूलर तथा परिदर्शी । प्रिज्म, प्रकीर्ण के माध्यम से अपवर्तन ।

(ज) ध्वनि :—ध्वनि संचरण, ध्वनि परावर्तन, अनुनाद । ध्वनि ग्रामोफोन का अभिलेखन ।

(झ) चुम्बकत्व तथा विद्युत :—चुम्बकत्व के नियम, चुम्बकीय क्षेत्र । चुम्बकीय बल रेखाएं, पार्थिव चुम्बकत्व । चालक और रोधी । ओम-नियम, पी० डी० प्रतिरोधक, विद्युत चुम्बकीय बल, श्रेणी पार्श्व में प्रतिरोधक । विभवमापी विद्युत् चुम्बकीय बल की तुलना । विद्युत्धारा का चुम्बकीय प्रभाव । चुम्बकीय क्षेत्र में संवाहकता । फ्लेमिंग का वामं हस्तनियम । मापक यंत्र—धारामापी, ऐमीटर, वोल्ट मीटर, वाटमीटर, विद्युत् धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत् लेपन, विद्युत्, चुम्बकीय प्रेरण, फेराडे नियम; बेसिक ए० सी० तथा डी० सी० जनित्र ।

भौतिकी (कोड 01)

1. पदार्थ के सामान्य गुण और यांत्रिकी

यूनिटें और विभाएं, स्केलर और वैक्टर मात्राए, जडत्व आघूर्ण, कार्य ऊर्जा और संवेग । यांत्रिकी के मूल नियम; घूर्णी गति, गुरुत्वाकर्षण, सरल आवर्त गति, सरल और असरल लोलक, केटरलोलक, प्रत्यास्थता—पृष्ठतनाव, द्रव की श्यानता रोटरी पम्प; मैकलियोड गेज ।

2. ध्वनि

अवमंदित, प्रणोदित और मुक्त कम्पन, तरंग-गति, डाप्लर प्रभाव, ध्वनि तरंग वेग; किसी गैस में ध्वनि के वेग पर दाब, तापमान, आर्द्रता का प्रभाव, डोरियो, छडों, प्लेटों और गैस स्तम्भो का कम्पन, अनुनाद विस्पद, स्थिर तरंगे, ध्वनि का आवृति वेग तथा तीव्रता, स्वर ग्राम, स्थापत्यकला में ध्वनिकता, पराश्रव्य के मूल तत्व; ग्रामोफोन टाकीज और लाउड स्पीकरो के प्रारम्भिक सिद्धान्त ।

3. ऊष्मा और ऊष्मा गति विज्ञान

तापमान और उसका मापन; तापीय प्रसार; गैसो मे समतापी तथा रुद्धोष्म (ऐडियानेटिक) परिवर्तन । विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा चालकता; द्रव्य के अणुगति सिद्धान्त के तत्व, बोल्टसमन के वितरण नियम का भौतिक बोध; वाडरवाल का अवस्था समीकरण, जूल थाम्पसन प्रभाव; गैसों का द्रवण; ऊष्मा इंजन, कानो-प्रमेय, ऊष्मागति-विज्ञान के नियम और उनका सरल अनुप्रयोग, कृष्णिका विकिरण ।

4. प्रकाश

ज्यामितीय प्रकाशिकी, प्रकाश का वेग, समतल और गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन; प्रकाशीय प्रतिबिम्बो में दोष और उनका निवारण; नेत्र और अन्य प्रकाशिक यंत्र, प्रकाश का तरंग सिद्धान्त; व्यतिकरण, सरल व्यतिकरणमापी, विवर्तन, विवर्तन ग्रेटिंग, प्रकाश का ध्रुवण, स्पेक्ट्रस विज्ञान के तत्व ।

5. विद्युत और चुम्बकत्व

सरल मामलो में विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव का परिकलन, गाउस प्रमेय और उसके सरल अनुप्रयोग; विद्युत् मापी, विद्युत्क्षेत्र के कारण ऊर्जा, द्रव्य के वैद्युत् और चुम्बकीय गुण धर्म, हिस्टेरिसिस चुम्बकशीलता और चुबकीय प्रवृत्ति; विद्युत् धारा से उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र, मूविंग मेग्नेट एण्ड मूविंग कवायल गैल्वेनोमीटर, धारा और प्रतिरोध का मापन, रिऐक्टिव सर्किट एलिमेन्ट्स के गुण धर्म और उनका निर्धारण, ताप-विद्युत् प्रभाव, विद्युत् चुम्बकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धाराओ का उत्पादन, ट्रांसफार्मर और मीटर । इलैक्ट्रानिक वाल्व और उनके सरल अनुप्रयोग ।

बोर के परमाणु सिद्धान्त के तत्व, इलैक्ट्रांस, कैथोड रे और एक्सरे, इलैक्ट्रानिक चार्ज और द्रव्यमान का मापन ।

रसायन विज्ञान (कोड 02)

1. अकार्बनिक रसायन विज्ञान

तत्वो का इलैक्ट्रानिक विन्यास, आफ-बाऊ सिद्धान्त, तत्वो का आवर्ती वर्गीकरण । परमाणु क्रमाक । सक्रमण तत्व और उनके लक्षण ।

परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं, आयनन विभव । इलेक्ट्रान बंधुता और विद्युत् ऋणात्मकता ।

प्राकृतिक और कृत्रिम विघटनामिकता । नाभिकीय विखण्डन और सलयन ।

सयोजकता का इलैक्ट्रानिक सिद्धान्त, सिग्मा और पाई बन्ध के बारे में प्रारम्भिक विचार, सहसयोजी आबन्ध की सकरण और दिशिक प्रकृति ।

वारनेर का समन्वय मिश्रण सिद्धान्त । उभयनिष्ठ धातुकर्मीय तथा विश्लेषीय प्रचालनो में निहित सम्मिश्रों का इलेक्ट्रानिक विन्यास ।

आक्सीकरण स्थितिया और आक्सीकरण सख्या । सामान्य उपचायक तथा अपचायक आक्सीकारक । आयनिक समीकरण ।

ल्यूइस और ब्रन्सटेद के अमल और क्षर सिद्धान्त ।

सामान्य तत्वो का रसायन विज्ञान और उनके आमिश्र जिनकी विशेष रूप से आवर्ती वर्गीकरण की दृष्टि से अभिक्रिया की गई हो । निष्कर्षण के सिद्धान्त । महत्वपूर्ण तत्वो का वियोजन (और धातुकी) ।

हाइड्रोजन पर आक्साईड की संरचना, डाईबोरेन, ऐलूमिनियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन और गन्धक के महत्वपूर्ण आक्सीऐसिड ।

अक्रिय गैस : वियोजन तथा रसायन ।

अकार्बनिक रसायन विश्लेषण के सिद्धान्त ।

सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाईड्रोक्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, गन्धकीय अम्ल, सीमेंट, ग्लास और कृत्रिम उर्वरको के निर्माण की रूप रेखा ।

2. कार्बनिक रसायन विज्ञान

सहसयोजी आबधन की आधुनिक सकल्पनाए । इलैक्ट्रान विस्थापन—प्रेरणिक, मेसोमरी और अति सयुग्मन प्रभाव । अनुनाद और कार्बनिक रसायन मे उसका अनुप्रयोग । वियोजन स्थिरांक (डिसो-सिएशन कास्टेंट) पर संरचना का प्रभाव ।

ऐल्केन, ऐल्कीन और ऐल्काइन । कार्बनिक मिश्रण के स्रोत के रूप में पेट्रोलियम । एलिफेटिक मिश्रणो के सरल व्युत्पन्न । ऐल्कोहल, ऐल्डी हाइड्स, कीटोन, अम्ल, हैलाइड, एस्टर्स, इथर, अम्ल ऐनीड्राइड क्लोराइड और अमिड । एक्षारकी हाइड्रोक्सी कीटेनी और ऐमीनो अम्ल । कार्बधात्विक मिश्रण और एसीटो-एसीटिक एस्टर । टार्टरिक, सिट्रिक, मैलेइक और फूमैरिक अम्ल । कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण और सामान्य अभिक्रिया । ग्लूकोस, फल शर्करा और इक्षु शकरा ।

त्रिविम रसायन . प्रकाशकीय और ज्यामितीय समावयक्ता । संरूपण की संकल्पना ।

बेन्जीन और इसके साधारण व्युत्पन्न; टालूईन, जाइलीन, फीनाल, हैलाइड, नाइट्रो और ऐमीनो मिश्रण । बेन्जाइक सेलिसिक, सिनेमिक, मेंडलिक और सल्फोनिक अम्ल, एरोमेटिक ऐल्डिहाइड और कीटोन । डाइजो, एजो और हाइड्रेजो मिश्रण, एरोमेटिक प्रतिस्थापन । नेफथलीन, पिरिडीन और क्यूनोलिन ।

3. भौतिक रसायन

गैसो और गैस नियमों का गतिक सिद्धान्त । मेक्सवेल का वेग वितरण नियम । वानडेरवाल का समीकरण । सगत अवस्थाओ का नियम । गैसो का द्रावण । गैसो की विशेष ऊष्मा । सी० पी०/सी० वी० का अनुपात ।

ऊष्मागतिकी

ऊष्मागतिकी का पहला नियम । समतापी और रुद्धोष्म प्रसार । पूर्ण ऊष्मा । ऊष्मा धारिता । ऊष्मरसायन–अभिक्रिया । ऊष्मा, विरचन, विलयन और दहन । आबध ऊर्जा की गणना । किरखोफ समीकरण ।

स्वत: प्रवर्तित परिवर्तन का मानदण्ड । ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम । एन्ट्रापी । मुक्त ऊर्जा । रासायनिक सन्तुलन का मानदण्ड ।

घोल .—पारासरण दाब, वाष्प दाब को कम करना, वाष्प-हिमाक अवनयन, क्वथनाक बढ़ाना । घोल में अणु भार निश्चित करना । विलेयो का सगुणन और वियोजन ।

रासायनिक सतुलन । द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया और समागी तथा विषमागी संतुलन । ला-शातेलिए नियम । रासायनिक संतुलन पर ताप का प्रभाव ।

विद्युत् रसायन —फ़ैराडे विद्युत् अपघटन नियम; विद्युत् अपघटन की चालकता; तुल्यांकी चालकता और तनुता में उसका परिवर्तन; अल्प विलेय लवणों की विलेयता, विद्युत् अपघटनी वियोजन। ओस्टवाल्ड तनुता नियम, प्रबल विद्युत् अपघटको की असंगति, विलेयता गुणनफल, अम्लों और क्षारको की प्रबलता, लवणों का जल अपघटन; हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता, उभय प्रतिरोध क्रिया (बफ़र क्रिया) सूचक सिद्धान्त।

उत्क्रमणीय सेल। मानक हाइड्रोजन और कैलोमेल इलेक्ट्रोड और रैडाक्स विभव। सान्द्रता सेल। पी० एच० का निर्धारण। अभिगमनांक। मानी का आयनी गुणनफल। विभव मूलक अनुमापन।

रासायनिक बलगतिविज्ञान। अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और दूसरी कोटि की अभिक्रिया। तापमान अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, अपक्रान्तिकता तापाक और सक्रियण ऊर्जा। अभिक्रिया दरो का सघट्ट सिद्धान्त। संक्रियित सकुल सिद्धान्त।

प्रावस्था नियम :—इसकी शब्दावलियो की व्याख्या। एक और दो घटक तन्त्र का अनुप्रयोग। वितरण नियम।

कोलाइड :—कोलाइडी विलयन का सामान्य स्वरूप और उनका वर्गीकरण; कोलाइड के विरचन और गुणो की सामान्य रीति। स्कन्दन। रक्षक क्रिया और स्वर्णांक। अधिशोषण।

उत्प्रेरण . समाग और विषमांग उत्प्रेरण। विषाकतन वर्धक।

प्रकाश रसायन .—प्रकाश रसायन के नियम। सरल संख्यात्मक।

गणित (कोड 03)

भाग—क

बीजगणित :

समुच्चयो का बीजगणित संबध और फलन का प्रतिलोम, संयुक्त फलन, तुल्यता, संबध।

संख्याएं :

पूर्ण संस्था, परिमेय सख्या, वास्तविक संख्या (गुणो का वितरण), सम्मिश्र सख्या, सम्मिश्र संख्याओ का बीजगणित।

समूह, उप-समूह, प्रसामान्य उप समूह, चक्रीय और क्रमचय समूह, लाग्राज प्रमेय, समरूपता।

परिमेय सूचकाक के लिये द-मौयवर का प्रमेय और उसका सरल अनुप्रयोग।

समीकरण सिद्धान्त —

बहुपद समीकरण, रूपान्तर समीकरण, बहुपद समीकरण के मूल और गुणाको के बीच सबध, त्रिघात और चतुर्घात् समीकरणो के मूलो का सममित फलन, मूलो की अवस्थिति और मूल निकालने की न्यूटन पद्धति।

मैट्रिसेस मैट्रिसेस की बीजक्रिया, सारणिक सारणिको के सरल गुण, सारणिको के गुणनफल, सहखंडन-आव्यूह, मैट्रिसेसो का प्रतिलोभन, मैट्रिक्स की जाति, रैखिक समीकरण के हल निकालने के लिये मैट्रिसेसो का अनुप्रयोग (तीन अज्ञात संस्थाओ में)।

असमताए .

समान्तर और ज्यामितीय माध्य, कोशी, श्वार्ज असमता (केवल परिमित योगों के लिये)।

द्विविम और त्रिविम की विश्लेषिक ज्यामिति .

द्विविम की विश्लेषिक ज्यामिति :— सरल रेखाएं, सरल परिकलय रेखाओं की जोडी, वृत्त, वृत्त निकाय। परकलय दीर्घवृत्त, अति- (मुख्य अशों के संदर्भ में) । द्वितीय अंश समीकरण का मानक रूप मे लघुकरण। स्पर्शरेखाए और अभिलंब।

त्रिविम की विश्लेषिक ज्यामिति

समतल, सीधी रेखाएं और गोलक (केवल कार्तीय निर्देशाक)।

कलन (कैलकुलस) और विभिन्न समीकरण.

अवकल गणित : सीमात की सकल्पना, वास्तविक वर फलन का सातत्य और अवकलनीयता, मानक फलन का अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन। रोल का प्रमेय। मध्यमान प्रमेय, मैक्लारिन और टेलर सीरिज (प्रमाण आवश्यक नही है) और उनका अनुप्रयोग, परिमेय सूचकाकों के लिये द्विपद-प्रसरण, यरघाताकी प्रसरण, लघु-गणकीय त्रिकोण-मितीय और अति पर वलयिक फलन। अनिर्वारित रूप, एकर चर फलन का उच्चिष्ठ और अल्पिष्ठ, स्पर्शरेखा, अभिलम्ब, अथ स्पर्शी, अधोलम्ब, अनन्तस्पर्शी वक्रता (केवल कार्तीय निर्देशांक) जैसे ज्यामितीय अनुप्रयोग। एनवेलप, आंशिक अवकलन। समांगी फलनों से सबंधित आयलर प्रमेय।

समाकलन—गणित (इंटीग्रल कैलकुलस) : समाकलन की मानक प्रणाली, सत फलन के निश्चित समाकलन की रीमान—परिभाषा। समाकलन गणित के मूल सिद्धान्त । परिशोधन, क्षेत्रकलन, आयतन और परिक्रमण घनाकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संख्यात्मक समाकलन के बारे मे सिम्पसन का नियम।

अनुक्रम और सिरीज का अभिसरण, घनात्मक पदो के साथ सीरिजेज के अभिसरण का परीक्षण अनुपात, मूल और ग्राउज परीक्षण एकान्तर श्रेणी।

अवकल समीकरण : प्रथम कोटि के मानक अवकल समीकरण का हल निकालना नियम गुणांक के साथ द्वितीय और उच्चतर कोटि के रैखिक समीकरण का हल निकालना वृद्धि और क्षय की समस्याओं का सरल अनप्रयोग सरल हारमोनिक रूपान्तरण साधारण पेन्डुलम और समदिश ।

भाग ख

यात्रिक (वैक्टर पद्धति का उपयोग किया जा सकता है)

स्थिति विज्ञान :—बल का निरूपण, बल-समांतर चतुर्भुज, बल-समोजन और बल-वियोजन और समतलीय तथा सगामी बलों की साम्यावस्था की स्थिति। बल-त्रिभुज। जातीय और विजातीय समानान्तर-बल। आघूर्ण । बल-युग्म। समतलीय बलो की साम्यावस्था की सामान्य स्थिति। साधारण तत्वों के गुरुत्व केन्द्र, स्थैतिक घर्षण, साम्याघर्षण और सीमान्त घर्षण। घर्षण-कोण। रूक्ष आनत समतल पर के कण की साम्यावस्था। सरल निमेय। साधारण मशीन (उत्तोलक, घिरनी की निर्देश पद्धति, गियर) कल्पित कार्य (दो आयामो मे)।

गति-विज्ञान—शुद्ध गति-विज्ञान—कण का त्वरण, वेग, चाल और विस्थापन, आपेक्षिक वेग। निरन्तर त्वरण की अवस्था मे सीधी रेखा की गति। न्यूटन के गति सबंधी सिद्धात। सकेन्द्र कक्षा। सरल प्रसववा गति। (निर्वात म) गुरुत्वावस्था मे गति। आवेग कार्य और ऊर्जा। रैखिक संवेग और ऊर्जा का संरक्षण। एम समान वर्तुल गति ।

खगोल विज्ञान :

गोलीय त्रिकोणमिति : ज्या एवं कार्टिज्या फार्मूला। समकोण यक्त गोलीय त्रिकोणो के गुण।

गोलीय खगोल विज्ञान—खगोलीय गोलक, समन्वित प्रणाली और उसका रूपान्तरण। दैनिक गति। नाक्षत्र समय, सौर समय, माध्य सौर समय, स्थानीय और मानक समय, समय-समीकार। सूर्य और नक्षत्रो का उदय और अस्त, क्षितिज नीति। खगोलीय अपवर्तन। साध्य-प्रकाश, लंबन, अपेरण, पुरस्सरण और विदोलन। केपलर के नियम। ग्रह कक्ष और स्तब्ध बिन्दु। चन्द्रमा की दृष्ट गति। चन्द्रमा की प्रावस्थाए।

खगोली यंत्र :—सैक्सटेट प्रेषण यंत्र।

सास्थकी

प्रायिकता—प्रायिकता की शास्त्रीय और सांख्यकीय परिभाषा, सचयात्मक प्रणाली की प्राथमिकता का परिकलन, योग एवं गुणन सिद्धान्त, सप्रतिबध प्रायकता। यादृच्छिक चर (विविक्त और अविरत), घनत्व फलन, गणितीय प्रत्याशा।

मानक वितरण—द्विपद-परिभाषा, माध्य और प्रसरण, वैषम्य सीमान्त रूप, सरल अनुप्रयोग, प्वासो परिभाषा-माध्य और प्रसरण योग्यता, उपलब्ध आकड़ों मे प्यासों बटन का समंजन। सामान्य सरल समानुपात और सरल अनुप्रयोग, उपलब्ध आकड़ो मे सामान्य में प्रसामान्य बटन का समंजन।

द्विचर वितरण : सह संबंध, दो चरों का रैखिक समाकयण, सीधी रेखा का समंजन, परवलयिक और चलघाताकी वक्र, सह संबंधित गुणाक के गुण।

सरल प्रतिदर्श वितरण और परिकल्पनाओ का सरल परीक्षण —यादृच्छिक प्रतिदर्श। साख्यकी। प्रतिदर्शी बटन और मानक त्रुटि। मध्य पदो के अन्तर की अर्थवत्ता के परीक्षण में प्रसामान्य टी० सी० एच० आई० $(Chi)^2$ और एफ० का सरल वितरण।

टिप्पणी—उम्मीदवारो को पाठ्यविवरण के भाग 'क' मे से तीन विषयो मे से नामत. (1) बीजगणित (2) द्विविम और त्रिविम विश्लेषिक ज्यामिति, तथा (3) कलन (कैलकुलस) और विभिन्न समीकरण, प्रत्येक पर एकएक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। पाठ्यविवरण के भाग 'ख' मे से तीन विषयों में से नामत. (1) यात्रिकी, (2) खगोल विज्ञान और (3) साख्यकी, प्रत्येक पर एकएक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा।

वनस्पति विज्ञान (कोड 04)

1. वनस्पति जगत का सर्वेक्षण—प्राणियों और पौधो मे अन्तर :—जीवित जीव की विशेषताएं : एक कोशिक और बहु कोशिक जीव : वाथरस . वनस्पति जग के विभाजन का आधार।

2 आकृति विज्ञान :—(i) एक कोशिक पौधे—कोशिका, इसकी सरचना और अन्तर्वस्तु कोशिकाओं का विभाजन और संवर्धन।

(ii) बहुकोशिक पौधे—असंवहनी और संवहनी पौधों के कार्य मे भेद : सवहनी पौधों का वाह्य और आतरिक आकृति विज्ञान।

3. जीवन वृत्त . इन पादप वर्गों के प्रत्येक वर्ग के कम से कम एक पौधे का जीवनवृत्त—बैक्टीरिया, नील रहित शैवाल वर्ग

(साइनोफाइसी), क्लोरोफाइसी : भूरा शैवाल वर्ग, क्रियाफालाल शैवाल वर्ग (रोडोफाइसी), पाइकम्पामाइमिटीज, एस्कोमाईसिटीज; बैसिडियमी कवक, लिवरवर्ट; मासेस, टैरिडोफाइटीज, जिम्नोस्पर्म और ऐन्जियोस्पर्म।

4. वर्गिकी—वर्गीकरण के नियम, ऐन्जियोस्पर्म के वर्गीकरण की मुख्य पद्धतियां :

निम्नलिखित कुलों के विशिष्ट लक्षण और आर्थिक महत्व —

ग्रामिनी सिटामिनी, पामेसी, लिलिएसी, आर्विडेसी, मोरेसी, लोरेन्थेसी; मेग्नोलिएसी, लारेसी; क्रुसिफेरी, लेग्युमिनोसी; रुटेसी; मीलिएसी; यूफोर्नियासी, ऐनाकार्डिएसी, मालवेसी; एसोसाइनेसी; एस्क्लीपिएडेसी; डिप्टरोकारमेसी, मर्टैसी, अम्बेलीफेरी; तुलसीकुल (लिबिएटी), सोलेनेसी; रुबिएस्सी, कुकरबिटेरिएसी; बर्नीनेसी और कम्पोजिटी।

5. पादप शरीर क्रिया विज्ञान—स्वपोषण, परपोषण, जल और पोषक तत्वों का अन्तर्ग्रहण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण; खनिज पोषण; श्वसन, वृद्धि, जनन; मादप-प्राणि संबंध, सहजीवन, परिजीविता, ऐन्जाइम; आविसन; हारमोन; दीप्तिकालिता।

6. पादप रोग विज्ञान—पौधों की बीमारियों के कारण और उनके उपचार; रोग जीव; वाइरस; हीनता जन्य रोग; प्रतिरोध।

7. पादप परिस्थिति विज्ञान—विशेष रूप से भारतीय पेड़-पौधों और भारत के वनस्पति क्षेत्रों के संदर्भ में परिस्थिति विज्ञान और पादप भूगोल से संबंधित आधार भूत तत्व।

8. सामान्य जीव विज्ञान—कोशिका-विज्ञान, आनुवंशिक विज्ञान, पादप प्रजनन मेण्डेलवाद, संकर-बीज, उत्परिवर्तन, विकास।

9. आर्थिक वनस्पति विज्ञान—पौधों का विशेषतः अनाजों, दालों, फलों, चीनी, स्टार्च, तिलहनों, मसालों, पेय पदार्थों, रेशों, लकड़ियों, रबर, औषधियों और वाष्पशील तेलों आदि वनस्पति उत्पादों से संबंधित पुष्प पादपों का मानव कल्याण के लिये लाभकारी उपयोग।

10. वनस्पति विज्ञान का इतिहास—वनस्पति विज्ञान संबंधी विज्ञान के विकास की सामान्य जानकारी।

प्राणि विज्ञान : (कोड 05)

प्राणि जगत का प्रमुख समूहों में वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण।

रज्जु रहित (नान—कार्डेट) किस्म के प्राणियों के बनावट, आवतें और जीवन-वृत्त :

अमीबा, मलेरिया—परजीवी। स्पंज, हाइड्रा, लिवरफ्लू, फीता कृमि; गोल कृमि; केंचुआ; जोंक; तिलचट्टा, गृह मक्खी, मच्छर; बिच्छू, ताजे पानी का मस्ल, ताल घोंघा और स्टार-फिस (केवल बाह्य लक्षण)।

कीटों का आर्थिक महत्व। निम्नलिखित कीटों की परिस्थिति और जीवन-वृत :—

दीमक; टिड्डी; शहद की मक्खी और रेशम का कीड़ा।

रज्जुकी—क्रम वर्गीकरण।

निम्नलिखित प्रकार के रज्जुमान प्राणियों की बनावट और तुलनात्मक शरीर —

ब्रैन्किओस्टोमा, स्कोलिडोडान, मेंढक, यूरोमेस्टिक्स या कोई अन्य छिपकली (वेरनस का अस्थिपंजर); कबूतर (कुक्कुट का अस्थि पंजर); और खरगोश, चूहा या गिलहरी।

मेंढक और खरगोश के संदर्भ में जन्तु कार्य के विभिन्न अंगों के ऊतकविज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की प्रारम्भिक जानकारी, अन्त: स्रावी ग्रंथियों और उनका कार्य।

मेंढक और चूजे के विकास की रूपरेखा, स्तनी जन्तुओं की बनावट और कार्य।

विकास के सामान्य नियम; विविधता, आनुवंशिकता, अनुकूलन; पुनरावर्तन परिकल्पना, मेंडेलीय आनुवंशिकता; अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की विधियां, अनिषेक जनन (पार्थेनोजेनसिस); कायांतरण, पीढ़ी एकान्तरण,

विशेष रूप से भारतीय जन्तु समूह के संदर्भ में जन्तुओं का पारिस्थितिक और भूवैज्ञानिक वितरण।

भारत के वन्य प्राणि जिनमें विषैले और विषहीन सांप भी शामिल हैं। शिकार पक्षी।

भूविज्ञान : (कोड 06)

1. सामान्य भूविज्ञान :

पृथ्वी की उत्पत्ति, काल और आंतरिक भाग, विभिन्न भू-वैज्ञानिक एजेंसियां और स्थलाकृति, अपक्षय और अपरदन (इरोजन) पर उनका प्रभाव, मृदा के प्रकार, उनका वर्गीकरण और भारत के मृदा समूह, भारत के भू-आकृति उप-भाग, वनस्पति और स्थलाकृति, ज्वालामुखी, भूकम्प, पर्वत पटलविरूपण (डयास्ट्रोफिज्म)।

2 संरचनात्मक भूविज्ञान :

आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें, नति, नतिलम्ब और वलन वलन, भ्रंश और विषम विन्यास और वृश्याशों पर उनका प्रभाव, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचित्रण की विधियों के संबंध में प्रारंभिक जानकारी।

3. क्रिस्टल विज्ञान और खनिज विज्ञान :

क्रिस्टल समिति के बारे में प्रारम्भिक जानकारी। क्रिस्टल विज्ञान के नियम, क्रिस्टल की प्रवृत्ति और यमलन (ट्विनिंग)।

मृण्मय खनिजों, महत्वपूर्ण शैल-रचना, रसायनिक संघटन, भौतिक गुण, प्रकाशित गुण-धर्म, परिवर्तन, प्राप्ति और वाणिज्यिक उपयोग संबंधी अध्ययन।

4. आर्थिक भूविज्ञान :

भारत के महत्वपूर्ण खनिजों और उनकी उपस्थिति की अवस्था का अध्ययन। अयस्क निक्षेपों का उद्भव और वर्गीकरण।

5. शैल विज्ञान :

आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों तथा उनके उद्भव और वर्गीकरण का प्रारम्भिक अध्ययन। चट्टानों के सामान्य प्रकारों का अध्ययन।

6 स्तर क्रम विज्ञान :

स्तर क्रम विज्ञान के नियम, भूवैज्ञानिक अभिलेखों का अश्म वैज्ञानिक और कालानुक्रम उप-विभाजन। भारतीय स्तर क्रम विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं।

7. जीवाश्म विज्ञान :

जीवाश्म विज्ञान संबंधी आधार सामग्री का विकास से सबंध, जीवाश्म (फासिल्स) उनका स्वरूप और उनके परिरक्षण की विधि। प्राणी-जीवाश्मों और पादप-जीवाश्मों की निरूप आकृतियों के आकृति विज्ञान और विभाजन की प्रारंभिक जानकारी।

भूगोल (कोड 07)

(i) प्रारंभिक भूआकृति विज्ञान —सौर मंडल और पृथ्वी का उद्भव, भू-आकृति, भू-लक्षण, प्रारम्भिक भू-विज्ञान, चट्टानों और मिट्टी का बनाना।

(ii) जलवायु विज्ञान : जलवायु और इसके तत्व, तापमान, दाब, आर्द्रता, पवन पद्धति, चक्रवात और प्रतिचक्रवात का प्रारम्भिक ज्ञान, दृष्टिपात के प्रकार।

(iii) समुद्र विज्ञान : भू और जल का वितरण, समुद्र जल का संचालन ज्वार, धाराएं, लवणता, समुद्रतल निक्षेप।

(iv) पादप भूगोल —वनस्पतियों के प्रकार, भौगोलिक पर्यावरण से उनका सबंध, वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, प्रधान प्राकृतिक क्षेत्र।

(v) मानव भूगोल :—पर्यावरण में मानव, मनुष्य की प्रजातियां, मनुष्य के कार्यकलाप और जनसंख्या का विभाजन।

(vi) आर्थिक भूगोल :—मुख्य वनस्पतियां, पशु और खनिज उत्पादन, उनका वितरण और भौगोलिक पृष्ठ भूमि, मुख्य उद्योग और उनका स्थानीकरण, कच्चे माल, खाद्यान्न और विनिर्मित माल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।

(vii) क्षेत्रीय भूगोल : भारत का विस्तार से और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, श्रीलंका, बर्मा और पाकिस्तान का सामान्य रूप से ज्ञान।

अंग्रेजी साहित्य (कोड 08)

उम्मीदवार को स्पेंसर काल से लेकर महारानी विक्टोरिया का शासन समाप्त होने तक के अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का सामान्य और निम्नलिखित लेखकों की कृतियों का विशेष ज्ञान होना चाहिए :—

शेक्सपियर, मिल्टन, जानसन, डिकन्स, वर्डसवर्थ, कीट्स, कार्लाइल, टेनिसन और हार्डी।

भारत का इतिहास (कोड 09)

1600 ई० से लेकर भारतीय गणराज्य की स्थापना तक का भारत, तथा इस अवधि में घटित सांविधिक प्रगति।

टिप्पणी :—इस विषय में उम्मीदवारों को भूगोल के उस पक्ष का भी ज्ञान होना चाहिए जिसका सबंध इतिहास से होता है और उनको नक्शा बनाना भी आना चाहिए। किसी अवधि के आरम्भ होने की यदि कोई निश्चित तारीख दी जाए तो उम्मीदवारों को सामान्य रूप से यह भी जानना चाहिए कि हम प्रारंभिक स्थिति तक किस प्रकार पहुंचे हैं।

सामान्य अर्थशास्त्र (कोड 10)

उम्मीदवारों को अर्थशास्त्र के सिद्धान्त का ज्ञान होना चाहिए और उनको तथ्यों की सहायता से सिद्धान्त का निरूपण करना और सिद्धान्त के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण करना दोनों आना चाहिए। भारत और इंग्लैण्ड के आर्थिक इतिहास और उन देशों की आर्थिक स्थिति का कुछ ज्ञान भी होना चाहिए।

राजनीति विज्ञान (कोड 11)

उम्मीदवारों को राजनीति विज्ञान और उसके इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। राजनीति विज्ञान का ज्ञान केवल विधि-निर्माण के सिद्धान्त के रूप में ही नहीं, वरन् राज्य के सामान्य सिद्धान्त के रूप में भी होना चाहिए। सांविधिक शासन के प्रकारों (प्रतिनिधि सरकार, संघवाद आदि) और लोक-प्रशासन केन्द्रीय और स्थानीय —पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों का वर्तमान संस्थाओं के उद्भव और विकास का भी ज्ञान होना चाहिए।

समाज विज्ञान (कोड 12)

समाज विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र : समाज का अध्ययन, समाज विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों से उसका संबंध।

मूल धारणाएं : महत्व एवं कार्य, प्राथमिक एवं गौण वर्ग, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संरचना, सामाजिक नियंत्रण एवं अपवर्ती आचरण, सामाजिक द्वन्द; सामाजिक परिवर्तन —

मूल सामाजिक संरचनाएं एवं संस्थाएं, विवाह, परिवार, एवं रिश्तेदारी; राजनीतिक संस्थाएं; धार्मिक संस्थाएं; सामाजिक स्तरण-जाति, वर्ग एवं वंश।

वातावरण; समाज एवं संस्कृति।

भारतीय समाज विज्ञान, जाति एवं जाति वाद; परिवार एवं रिश्तेदारी, ग्राम समाज, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन।

मनोविज्ञान (कोड 13)

सामान्य मनोविज्ञान

मनोविज्ञान की परिभाषा और विषय-वस्तु, मनोविज्ञान की पद्धतियां, अनुकूलन एवं आचरण क्रियाविधि की अवधारणा; आचरण का शरीरशास्त्रीय आधार

(क) अभिग्राहक, चाक्षुष एवं श्रवण संबंधी; (ख) नाड़ी-तन्त्र की सामान्य रूप रेखा,

(ग) कारक—मासपेशियां एवं ग्रंथियां :—

मानव विकास के तत्व—आनुवंशिकता एवं पर्यावरण परिपक्वता एवं शिक्षा प्राप्ति।

मानव विकास के तत्व—आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, परिपक्वता एवं शिक्षा प्राप्ति।

अभिप्रेरणा एवं मनोवेग—उनकी प्रकृति, किस्म और विकास। प्रत्यक्ष ज्ञान एवं उसकी प्रकृति—रूप रंग और स्थान।

अधिगम—उसकी प्रकृति, अनुकूलन, अन्तर्दृष्टि और प्रयत्न त्रुटि। अधिगम तथा स्मरण शक्ति और विस्मरण प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले तत्व, स्मरण करने की सफल विधियां।

चिन्तन और तर्क।

प्रज्ञा और योग्यताएं—उनकी प्रकृति और मापन।

व्यक्तित्व—प्रकृति, निर्धारक और मापन।

असामान्य मनोविज्ञान

असामान्य आचरण—अवधारणा और कारण।

कुंठा और द्वन्द, रक्षात्मक युक्ति।

मनोवैज्ञानिक विकार—मनस्ताप एवं मनोविक्षिप्ति, व्यक्तित्व एवं मनोशारीरिक विकार।

मानसिक विकार के उपचार का सामान्य ज्ञान—मनोरोग चिकित्सा

सामाजिक मनोविज्ञान

समूह प्रक्रियाएं—व्यक्ति और समूह, नेतृत्व, मनोबल एवं भीड़ का व्यवहार।

प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण

उम्मीदवारों की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित बुद्धि परीक्षा ली जाएगी। उनके ग्रुप परीक्षण भी किए जाएंगे जैसे ग्रुप परिचर्चा, ग्रुप योजना, बहिरंग ग्रुप कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा। ये सभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेधाशक्ति की जांच के लिए हैं। मोटे तौर पर ये परीक्षण वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों की जांच के लिए हैं अपितु इनसे उसकी सामाजिक विशेषताओं तथा सामयिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा।

परिशिष्ट II

(अकादमी/स्कूल में प्रवेश के लिए स्वास्थ्य का मानक)

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को निर्धारित स्वास्थता मानक के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थता संबंधी मानक नीचे बताए गए हैं।

बहुत से अर्हता प्राप्त उम्मीदवार बाद में अस्वस्थता के आधार पर अस्वीकृत कर दिए जाते हैं अतः उम्मीदवारों के अपने हित के लिए सलाह दी जाती है कि अन्त में निराशा से बचने के लिए उन्हें अपना आवेदन पत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लेनी चाहिए।

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित बहुत से उपयुक्त उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा सेना के डाक्टरों के बोर्ड द्वारा की जाएगी। जो उम्मीदवार मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ्य घोषित नहीं किया जाएगा उसको अकादमी या स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सेना के डाक्टरों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा कर लिए जाने का अर्थ यह नहीं होगा या नहीं निकाला जाएगा कि उम्मीदवार अंतिम रूप से चुन लिया गया है। मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही गुप्त होती है जिसको किसी को नहीं बताया जा सकता। अनुपयुक्त या अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित उम्मीदवारों का परिणाम उन्हें स्वस्थता प्रमाण-पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की कार्यविधि के साथ सूचित कर दिया जाता है। मैडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मेडिकल बोर्ड के परिणाम से सम्बद्ध कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों के अपने हित में परामर्श है कि यदि उनकी दृष्टि अपेक्षित स्तर की न हो तो सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार/स्वास्थ्य परीक्षा हेतु बुलाए जाने पर उन्हें अपने साथ संशोधक ऐनक लानी चाहिए।

1. अकादमी/स्कूल में प्रवेश के लिए उस उम्मीदवार को ही योग्य समझा जाएगा जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होगा और जिसमें कोई ऐसी अशक्तता नहीं होगी जिससे कुशलतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. किन्तु निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में तसल्ली कर ली जाएगी :—

(क) कमजोर शरीर गठन, अपूर्ण विकास, गम्भीर कुरचना या स्थूलता तो नहीं है।

(ख) हड्डियों और संधियों का कुविकास तो नहीं हुआ है और उनमें किसी प्रकार की क्षीणता तो नहीं हो गई है।

टिप्पणी:—अल्पबाधित ग्रेव पर्शुका वाले उम्मीदवार को भी स्वस्थ्य माना जा सकता है, यदि उसमें उक्त रोग के लक्षण न हों। तथापि चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही में इस दोष का उल्लेख छोटी-मोटी अशक्तता के रूप में कर दिया जाएगा।

(ग) बोलने में तो बाधा नहीं पड़ती है।

(घ) सिर की संरचना में तो दोष नहीं है या खोपड़ी की हड्डी टूटने या दबने से विरूपता तो नहीं आ गई है।

(ङ) कम सुनाई तो नहीं पड़ता है। कोई कान बह तो नहीं रहा है या रोग ग्रस्त तो नहीं है। टिम्पेनिक मम्ब्रेन में कन्धा जख्म तो नहीं है

या उग्र या पुराना मध्य कर्ण शोथ के चिह्न तो नही है या मामूल या संशोधित आमूल कर्ण मूल आपरेशन तो नही हुआ है।

टिप्पणी—यदि कान के पर्दे का छेद पूरी तरह से भरा गया हो, इसको और क्षति न पहुंची हो तथा सुनाई ठीक पडता हो तो इस अवस्था को थल सेना के लिए उम्मीदवार को स्वीकार करने मे बाधक नही समझना चाहिए।

(च) नाक की हड्डी या उपास्थि का कोई रोग तो नही है या नोज पालिप्स तो नही है अथवा नासाग्रसनी या सहायक कोटरो का कोई रोग तो नही है।

टिप्पणी—नासा पट के छोटे अलक्षणी ऊर्ध्वघातज छेद के कारण उम्मीदवार को एक दम अस्वीकृत नहीं किया जाएगा वरन् ऐसे मामलो को जाच और मत के लिए कर्णविज्ञान सलाहकार के पास भेजा जाएगा।

(छ) गर्दन या शरीर के अन्य भागों की ग्रथियां बड़ी हुई तो नही है और थाइरायडग्रंथि सामान्य है।

टिप्पणी—तपेदिक की ग्रथियो को हटाने के लिए किए गए आपरेशन के निशान उम्मीदवार की अस्वीकृति का कारण नही बन सकते है बशर्ते कि गत 5 वर्षों में सक्रिय रोग न हुआ हो तो तथा छाती लाक्षणिक जाच तथा एक्सरे करने पर रोग मुक्त पाई जाए।

(ज) गले तालु टोसिल या मसूढो का कोई रोग नही है तथा किसी भी चिबुकीय सधियों की सामान्य क्रिया पर प्रभाव डालने वाली कोई बीमारी या चोट तो नही है।

टिप्पणी—यदि बार-बार टोंसिल शोथ होने का कोई वृत न हो तो टोसिलों की अतिवृद्धि अस्वीकृति का कारण नही होती।

(झ) हृदय तथा रक्त वाहिकाओ का क्रिया सम्बन्धी या अग रोग के लक्षण तो नही है।

(ञ) फेफडो की तपेदिक या इस बीमारी का पूर्ववृत्त या फेफडो की कोई जीर्ण बीमारी का प्रमाण तो नही है।

(ट) जिगर और तिल्ली की किसी विलक्षणता सहित मापक तन्त्र के किसी रोग का चिह्न तो नहीं है।

(ठ) वंक्षण हार्निया तो नही है या उसके होने की प्रवृत्ति तो नही है।

टिप्पणी—(i) वंक्षण हर्निया (जिसकी शल्य-चिकित्सा न की गई हो), अस्वीकृति कारण होगा।

(ii) जिनका हर्निया का आपरेशन हो चुका है उन्हे शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाएगा बशर्ते कि:

(i) आपरेशन न हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया हो। इसके लिए उम्मीदवार को लिखित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(ii) पेट की पेशीसमूह सामान्यतया ठीक है।

(iii) हर्निया की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, या इसकी शल्य चिकित्सा से संबंधित कोई उलझन पैदा नही हुई।

(ड) हाइड्रोसिल या निश्चित बेरिकोसील या जननेंद्रियो का अन्य कोई रोग या खराबी तो नही है।

विशेष ध्यान दें.—(1) यदि हाइड्रोसील के आपरेशन के बाद कोई रज्जु और अण्डग्रंथियो की विलक्षणताएं न हो और फाइलेरियासिस का प्रमाण न हो तो उम्मीदवार को स्वीकार कर लिया जाएगा।

(2) यदि एक ओर की अन्ततः उदरीय अण्डग्रन्थि आरोही हो तो इस आधार पर उम्मीदवार को अस्वीकार नही किया जाता बशर्ते कि दूसरी अण्डग्रंथि सामान्य हो तथा इस आरोही अण्डग्रंथि के कारण कोई शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव न हो। यदि आरोही अण्डग्रन्थि वंक्षण नलिका मे अथवा उदरीय वलय में रुकी हो और आपरेशन से ठीक न हो सकती हो तो इस स्थिति मे उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ढ) फिस्टुला और/या गुदा का विदर या बवासीर के मस्से तो नहीं है।

(ण) गुर्दों की कोई बीमारी तो नही है। ग्लकोजमेह या एलब्युमिन मेह के सभी रोगी अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

(त) अस्थायी अथवा मामूली क्षत-चिह्नों को छोड़ कर कोई ऐसा चर्म रोग तो नही है जिसके प्रसार अथवा स्थिति के कारण उम्मीदवार मे अशक्तता या बहुत अधिक कुरूपता आ गई हो या आने की संभावना हो। उस उम्मीदवार को इसी आधार पर अस्वीकार किया जाएगा।

(थ) कोई सक्रिय गुप्त या जन्मजात रतिज रोग तो नहीं है।

(द) उम्मीदवार या उसके परिवार में मानसिक रोग का कोई पूर्व वृत्त या प्रमाण तो नही है। जिन उम्मीदवारो को मिर्गी आती हो, जिनका पेशाब

वैसे ही या नींद में निकल जाता हो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(घ) भेंगापन या आंख या पलकों की कोई ऐसी विकृति तो नहीं जिसके बढ़ने या दुबारा होने का खतरा हो सकता है।

(ङ) सक्रिय रोहे (ट्रकोमा) या इसकी जटिलताएं तथा अनुप्रभाव तो नहीं है।

टिप्पणी:—इलाज के लिए आपरेशन प्रवेश से पूर्व करवाए जाएं। अन्तिम रूप से स्वीकार किए जाने की गारन्टी नहीं दी जाती है। तथा उम्मीदवारों को यह स्पष्टतया समझ लेना चाहिए कि क्या आपरेशन वांछनीय है या आवश्यक है, इस बात का निर्णय उनके निजी चिकित्सा सलाहकार को ही करना है। आपरेशन के परिणाम अथवा किसी और खर्चे का दायित्व सरकार अपने ऊपर नहीं लेगी।

3. कद, वजन तथा छाती के मापों के लिए मानक।

(क) कद :

(i) उम्मीदवार के कद की नाप उसे मापदण्ड के सामने दोनों पैर मिलाकर खड़ा करके ली जाएगी। उस समय वजन एड़ियों पर होना चाहिए पंजे पर या पांव के बाहरी पार्श्वों पर नहीं। वह बिना अकड़े इस प्रकार सीधा खड़ा होगा कि उसकी एड़ियां पिंडलियां, नितम्ब और कन्धे मापदण्ड के साथ लगे होंगे, उसकी ठोड़ी नीचे की ओर रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर आड़ी छड़ के नीचे आ जाए। कद सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा। 0.5 सेंटीमीटर से कम दशमलव भिन्न की अपेक्षा की जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर को इसी रूप में रिकार्ड किया जाएगा तथा 0.6 सेंटीमीटर या इससे अधिक को एक सेंटीमीटर के रूप में रिकार्ड किया जाएगा।

(ii) उम्मीदवार के लिए न्यूनतम स्वीकार्य 157.5 सेंटीमीटर (नौसेना के लिए 157 सेंटीमीटर) है किन्तु, गोरखा, नेपाली, आसमिया, गढ़वाली उम्मीदवारों के लिए नीचे (ख) (i) में दी गई उससे संबंधित सारणी में दिए गए कद से 5.0 सेंटीमीटर कम किया जा सकता है। मणिपुर, नेफा, मेघालय और त्रिपुरा के नौसेना के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद 5 सेंटीमीटर और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में कद 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाएगा।

) वजन :—

(i) उम्मीदवार का वजन पूरी तरह से कपड़े उतरवा कर या केवल जांघिया के साथ किया जाएगा। वजन करते समय 1/2 किलोग्राम को रिकार्ड नहीं किया जाएगा। आयु कद तथा औसत वजन विषय परस्पर संबंधी सारणी मार्गदर्शन के लिए दी जा रही है।

पिछले जन्म दिवस को आयु	बिना जूतों के ऊंचाई	वजन	
		औसत न्यूनतम	औसत अधिकतम
1	2	3	4
वर्ष	सेंटीमीटर	किलोग्राम	किलोग्राम
17 से 18 तक	157.5 तथा 165.0 से कम	43.5	55.0
	165.0 तथा 172.5 से कम	48.0	59.5
	172.5 तथा 183.0 से कम	52.5	64.0
	183.0 तथा इस से अधिक	57 0	—
19	160.0 तथा 165.0 से कम	44.5	56.0
	165.0 तथा 172.5 से कम	49.0	60.5
	172 0 तथा 178.0 से कम	53.5	65.0
	178.0 तथा 183.0 से कम	58.0	69.5
	183.0 तथा इससे अधिक	62.5	—
20 तथा अधिक	160.0 तथा 165.0 से कम	45.5	56.5
	165.0 तथा 172.5 से कम	50.0	61.0
	172.5 तथा 178.0 से कम	54.5	66.0
	178.0 तथा 183.0 से कम	59.0	70.5
	183.0 तथा इससे अधिक	63.5	—

केवल नौसेना के लिए

कद और वजन

सेंटीमीटरों में ऊंचाई	आयु		
	18 वर्ष	20 वर्ष	22 वर्ष
	कि० ग्राम० में वजन		
1	2	3	4
157 . .	47	49	50
160 .	48	50	51
162 . .	50	52	53
165 . .	52	53	55

1	2	3	4
168 . .	53	55	57
170 . .	55	57	58
173 . .	57	59	60
175 . .	59	61	62
178 . .	61	62	63
180 . .	63	64	65
183 . .	65	67	67
185 . .	67	69	70
188 .	80	71	72
190 . .	72	73	74
193 . .	74	76	77
195 . .	77	78	78

(ii) कद तथा आयु के सबंध में वजन का ठीक-ठीक मानक निश्चित करना सभव नही है। अत: परस्पर संबंधी सारणी केवल निदेशिका मात्र है तथा सभी मामलों में लागू नही की जा सकती है। सारणी में दिये गये औसत वजन से 10 प्रतिशत (नौसेना के मामले मे 6 कि० ग्रा० कम-ज्यादा) होने पर उसे वजन की सामान्य सीमा के अन्तर्गत माना जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यक्तियों का वजन उपयुक्त मानक से अधिक हो किन्तु शरीर के सामान्य गठन की दष्टि से वे हर प्रकार से योग्य हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियो के अधिक वजन का कारण भारी हड्डियो और पेशीय विकास हो सकता है न कि मोटापा। इसी प्रकार जिसका वजन मानक से कम हो उसके बारे मे भी उपयुक्त सारणी मानकों के पूरी तरह पालन की अपेक्षा उनका सामान्य शरीर गठन और अनुपातिक विकास की कसौटी होना चाहिए।

(ग) छाती:—छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए और फैलाने पर न्यूनतम फैलाव 5 0 सैंटीमीटर होना चाहिए। उम्मीदवार की छाती का नाप लेते समय उसे इस प्रकार सीधा किया जाए कि उसके पाव जुड़े हुए हों और उसकी बाहे सिर के ऊपर उठी हो। फीते को छाती के गिर्द इस प्रकार से लगाया जायेगा कि पीछे की ओर उसका ऊपरी किनारा असफलको (शोल्डर ब्लैड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर ऐंगिल्स) के साथ लगा रहे और इसका निचला किनारा सामने चूचको के ऊपरी भाग से लगा रहे। फिर बाहो को नीचा किया जाएगा और इन्हे शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे उठे या पीछे की ओर झुके न हों जिससे कि फीता हट जाए, जब उम्मीदवार को कई बार गहरा सास लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिकतम तथा न्यूनतम फैलाव सावधानी से लिख लिया जाएगा। अधिकतम तथा न्यूनतम फैलाव सेंटीमीटर में रिकार्ड किया जाएगा जसे 84/89, 86/91 इत्यादि।

माप को रिकार्ड करते समय 0.5 सेंटीमीटर से कम दशमलव भिन्न की उपेक्षा की जाएगी। 0.5 सेंटीमीटर को इसी रूप मे रिकार्ड किया जाएगा तथा 0.6 सेंटीमीटर या इससे अधिक को एक सेंटीमीटर के रूप मे रिकार्ड किया जाएगा।

नौसेना के लिए:—छाती का एक्सरे अनिवार्य है।

4. दातो की हालत

इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि चबाने का काम अच्छी तरह करने के लिए प्राकृतिक तथा मजबूत दात काफी संख्या मे हैं।

(क) स्वीकृत होने के लिए यह आवश्यक है कि उसने दातों के लिए कम से कम 14 प्वाइंट प्राप्त किये हों। किसी भी व्यक्ति के दातो की हालत का पता लगाने के लिए परस्पर अच्छी तरह सटे और दूसरे जबडे के अनुरूप दातों को निम्न प्रकार के प्वाइंट दिए जाएंगे:—

(i) बीच के काटने वाले दात, बगल के काटने वाले दात, रदनक प्रथम तथा द्वितीय छोटी दाढ़ तथा कम विकसित तृतीय बड़ी

(ii) प्रथम तथा द्वितीय बड़ी दाढ़ तथा पूर्णतया विकसित तृतीय बड़ी दाढ़ प्रत्येक के लिए दो-दो प्वाइंट। पूरे 32 दात होने पर कुल 22 प्वाइंट दिए जायेंगे।

(ख) प्रत्येक जबड़े के निम्नलिखित दात एक दूसरे से इस प्रकार सटे हुए हों कि उनसे अच्छी तरह काम लिया जा सके:—

(i) आगे के 6 में से कोई 4 दात।

(ii) पीछे के 10 में से कोई 6 दात।

टिप्पणी:—जिन उम्मीदवारों के नकली दात अच्छी तरह लगे हों उन्हे कमीशन के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा।

(ग) तीव्र पायरिया वाले उम्मीदवार को स्वीकार नही किया जाएगा। जिस उम्मीदवार का पायरिया दंत अधिकारी की राय मे बिना दात निकाले अच्छा किया जा सकता है उसे स्वीकार किया जा सकता है।

(5) दृष्टिमानक (थलसेना)

	अच्छी आंख	खराब आंख
दूर की नजर (चश्मा लगाकर)	6/6	6/18

निकट दृष्टि (मायोपिया) जिसमें व्यक्त अपवर्तकता (एस्टिगमेटिज्म मैनीफैस्ट) सम्मिलित है—3.5 डी० से अधिक नहीं। दीर्घ दृष्टि (हाइपर मैट्रोपिया) जिसमें अपवर्तकता (एस्टिगमेटिज्म) सम्मिलित है +3.5 डी० से अधिक नही।

टिप्पणी: 1. फैन्ड्रम तथा मीडिया स्वस्थ्य तथा सामान्य सीमा मे होने चाहिए।

2. वर्धनि निकट दृष्टि के सूचक विटियस या कोरियोरेटीना के अनावश्यक न्यपगनन चिह्न न हो।

3. दोनों आखो में द्विनेत्री (बाइनोकुलर) दृष्टि सयमित शक्ति और पूर्ण दृष्टि क्षेत्र होना चाहिए।

4 कोई ऐसा आगिक रोग नही होना चाहिए जिसके प्रकोपन अथवा खराब होने की सभावना हो।

निकट दृष्टि (मायोपिया)

किसी भी एक मैरेडियम में 0 5 डायोप्ट्रेस अधिक नही होना चाहिए।

द्विनेत्री दृष्टि:—उम्मीदवार की द्विनेत्री दृष्टि ठीक होनी चाहिए। (दोनो आखो मे फूयूजल फेकल्टी और पूर्ण दृष्टि क्षेत्र होना चाहिए)।

रग का प्रत्यक्ष ज्ञान

प्राथमिक रंगो को पहचानने की असमर्थता के कारण किसी उम्मीदवार को अस्वीकार नहीं किया जाएगा किन्तु तथ्य को कार्यवाही मे रिकार्ड कर लिया जाएगा तथा उम्मीदवार को इसकी सूचना दे दी जाएगी। (नौ-सेना के लिए लागू नही है)।

6. श्रवण मानक

श्रवण परीक्षा वाक् परीक्षण द्वारा की जाएगी। जहा आवश्यक होगा श्रव्यता मापी (आडियोमैट्रिक) रिकार्ड भी ले लिए जाएगे।

(क) वाक् परीक्षा.— उम्मीदवार को जो एक उचित ढग से शान्त कमरे मे परीक्षक की ओर पीठ करके 609 5 सेंटी-मीटर की दूरी पर खडा हो प्रत्येक कान से फुसफुसाहट की आवाज सुनाई पडनी चाहिए। परीक्षक को अवशिष्ट वायु से फुसफुसाना चाहिए अर्थात् वह साधारण निःश्वास अन्त में लेगा।

(ख) श्रव्यता मितिक रिकार्ड :— उम्मीदवार को प्रत्येक कान से 128 से 4096 साइकिल प्रति सेकिन्ड की आवृत्ति पर सुनना चाहिए। (श्रव्यता-मितिक पाठ्यांक +10 तथा —10 के बीच होना चाहिए) (नौ सेना के लिए लागू नहीं है)।

दृष्टि मानक (नौसेना):

(क) दृष्टि तीक्षणता

मानक-1

	अच्छी आख	खराब आख
दूर की नजर . .	वी 6/6 चश्मा सहित	वी 6/9 6/6

नौ-सेना (1) दृष्टिमानक 1:

कार्य-पालक शाखा के उम्मीदवार चश्मा नही लगाएगे लेकिन नौसेना मुख्यालय की अनुमति से इस मानक मे ढील दी जा सकती है। इजीनियरी, इलेक्ट्रिकल, सप्लाई और सचिवालय शाखा के सब प्रकार उपयुक्त उम्मीदवारो के मामले में 6/18, 6/36 तक ढील दी जाए बशर्ते कि चश्मा चलाने पर दृष्टि 6/6 हो।

(ii) विशेष अपेक्षाए:

रात में नजर का मानक—जिन उम्मीदवारों मे शुष्काक्षिणक (जीरोफथेल्मिया) सिगमेंट्री अविकास कोरियारेटिना मे बिचलन, अपसामान्य परितारिका और उसके लक्षण होने का सदेह हो लेकिन जो अन्यथा हर प्रकार से स्वस्थ हों, नौ-सेना मे भर्ती करने से पहले उनकी विस्तृत एन० वी० ए० जाच होगी। जो ग्रेड 11 (ग्यारह) तक न पहुंचेंगे (डेलाकासा अच्छी/बहुत अच्छी) उन्हे अस्वीकार कर दिया जाएगा। जिस उम्मीदवार की डेलाकासा जाच न की जाएगी उससे निम्नलिखित प्रमाण-पत्र लिया जाएगा:—

"मैं प्रमाणित करता हू कि कि मुझे रतौधी नही है और जहा तक मेरी जानकारी है मेरे परिवार के किसी सदस्य को भी जन्म से रतौधी नही है।"

ह० उम्मीदवार———

चिकित्सा अधिकार के प्रति हस्ताक्षर . . .

मानक 1—एम० एल० टी०

(मार्टिन लालटेन परीक्षण)

रग का प्रत्यक्ष ज्ञान

नेत्र विचलन प्रवृति मेहडोक्स राड/बिगटेस्ट के साथ (बशर्ते कि अभिसरण दोष तथा अन्य रोग लक्षण न हो) निम्नलिखित से अधिक नही होनी चाहिए.—

(क) 6 मीटर की दूरी से			
एक्सोफोरिया	.	8 प्रिज्म	डायोप्टर
इसोफोरिया	.	8 प्रिज्म	डायोप्टर
हाइपरफोरिया	.	1 प्रिज्म	डायोप्टर
(ख) 30 से० मी० की दूरी से			
इसोफोरिया	.	8 प्रिज्म	डायोप्टर
एक्सोफोरिया	.	16 प्रिज्म	डायोप्टर
हाइपरफोरिया	.	1 प्रिज्म	डायोप्टर

कार्यान्वित स्तर
(होमाट्रोपिना के अन्तर्गत)

दूर दृष्टिता की सीमा

दूर दृष्टिता [. . सही आख
1.5 डायोप्टर

साधारण दीर्घ दृष्टिता विषमम	0.75 दीर्घ दृष्टिता मेरिडियन का दोष।
सयुक्त दीर्घ दृष्टिता वैषम्य। . .	1.5 डायोप्टर से अधिक नही होना चाहिए इसमे 0.75 डायोप्टर से अधिक दृष्टि वैषम्य कारण नहीं होना चाहिए।
दूर दृष्टिता . .	सबसे खराब आंख 2.5 डायोप्ट्रेस
साधारण दूर दृष्टिटता वैषम्य सयुक्त दूर दृष्टिता वैषम्य	1.5 डायोप्ट्रेस दूर दृष्टिता वैषम्य 2.5 डायोप्ट्रेस अधिक नही होना चाहिए, इसमे 1.00 डायोप्ट्रेस से अधिक दृष्टि वैषम्य के कारण नही होना चाहिए

परिशिष्ट III

सेवा आदि के सक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं:

(क) भारतीय सेना अकादमी, देहरादून मे प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारो के लिए:

1. भारतीय सेना अकादमी मे भर्ती करने से पूर्व.—

(क) इसे इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि उसे कोई चोट लग जाए या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल आपरेशन या सवेदनाहरण दवा के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैद्य उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) उसके माता-पिता या सरक्षक को इस आशय के अन्य-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियत्रण मे समझे जाते है उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापस आना चाहता है या कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस पर कृशक्षा शुल्क, भोजन, वस्त्र पर किए ग व्यय तथा किदए गए वेतन और भत्ते की कुल राशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित करे, उसे वापस करनी होगी।

2 अन्तिम रूप से चुने गए उम्मीदवारो को लगभग 8 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन उम्मीदवारो के नाम सेना अधिनियम के अधीन "जेन्टलमैन-कैडेट" के रूप मे दज किए जाएंगे। जैन्टलमैन कैडेट पर साधारण अनुशासनात्मक प्रयोजन के लिए भारतीय सेना अकादमी के नियम और विनियम लागू होंगे।

3. यद्यपि, आवास, पुस्तके, वर्दी, बार्डिग और चिकित्सा सहित, प्रशिक्षण के खर्च का भार सरकार वहन करेगी लेकिन यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार अपना जेब खर्च खुद बर्दाश्त करेंगे। भारतीय सेना अकादमी मे (उम्मीदवार का) न्यूनतम मासिक व्यय 55.00 रु० से अधिक होने की संभावना नही है। यदि किसी कैडेट के माता-पिता या सरक्षक इस खर्च को भी पूरा या आंशिक रूप मे बर्दाश्त करने मे असमर्थ हो तो सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता दी जा सकती है लेकिन जिन उम्मीदवारो के माता-पिता या संरक्षक की मासिक आय 350.00 रु० या इससे अधिक हो, वे इस वित्तीय सहायता के पात्र नही होंगे। वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल सम्पत्तियो और सभी साधनों से होने वाली आय का भी ध्यान रखा जाएगा।

यदि उम्मीदवार के माता-पिता/सरक्षक किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हे अपने पुत्र/सरक्षित के भारतीय सेना कादमी मे प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के तुरन्त बाद अपने जिले के जिला मैजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन-पत्र देना चाहिए जिसे जिला मैजिस्ट्रेट अपनी अनुशसा सहित भारतीय सेना अकादमी, देहरादून के कमान्डेन्ट को अग्रेषित कर देगा।

4. भारतीय सेना अकादमी मे प्रशिक्षण के लिए अतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारो को आने पर, कमान्डेट के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी:—

(क) प्रति मास 55.00 रु. के हिसाब से पाच महीने का जेब खर्च .	275.00
(ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मदो के लिए	800.00
जोड़ . .	1075.00

उम्मीदवारो को वित्तीय सहायता मजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि मे से नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी.—

55.00 रु० प्रति माह के हिसाब से पाच महीने का जेब खर्च . . . 275.00

5. भारतीय सेना अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तिया उपलब्ध हैं.—

(1) परशुराम माऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति :—यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटो को दी जाती है। इस छात्र-वृत्ति की राशि अधिक से अधिक 500.00 रु० प्रति वर्ष है जो कि कैडेट को, भारतीय सेना अकादमी मे रहने की अवधि के दौरान दी जाती है बशर्ते कि उसकी प्रगति सतोषजनक हो। जिन उम्मीदवारो को यह छात्रवृत्ति मिलती है वे किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता के हकदार न होंगे

(2) कर्नल कैंडल फ्रैंक मैमोरियल छात्रवृत्ति :—इस छात्रवृत्ति की राशि 360/- रुपया प्रति वर्ष है और यह किसी ऐसे पात्र मराठा कैडेट को दी जाती है जो किसी भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हो। यह छात्र-वृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है।

6. भारतीय सेना अकादमी के प्रत्येक कैडेट के लिए सामान्य शर्तों के अन्तर्गत समय-समय पर लागू होने वाली दरों के अनुसार परिधान भत्ता अकादमी के कमांडेंट को सौंप दिया जाएगा। इस भत्ते की जो रकम खर्च होगी वह

(क) कैडेट को कमीशन दिए जाने पर दे दी जाएगी।

(ख) यदि कैडेट को कमीशन नहीं दिया गया तो भत्ते की यह रकम राज्य को वापस कर दी जाएगी।

कमीशन प्रदान किए जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत सम्पत्ति बन जाएगी। किन्तु यदि सप्रशिक्षणाधीन कैडेट त्यागपत्र दे दे, या कमीशन से पूर्व उसे निकाल दिया जाए या वापस बुला लिया जाए तो उपर्युक्त वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

7. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने वाले जैंटलमैन कैडेटों को थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दे दी जानी चाहिए। उनके प्रस्थान से पूर्व उनके प्रशिक्षण, भोजन तथा सम्बद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल किया जाएगा। भारतीय सेना अकादमी में उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उनके माता-पिता/अभिभावकों को इस आशय के एक बाड पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिस जैंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे सेना मुख्यालय की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवार को अपनी रेजिमेंट या कोर में वापस भेज दिया जाएगा।

8 यह कमीशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर ही दिया जाएगा। कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण की सफलता-पूर्वक पूरा करने की तारीख से अगले दिन से शुरू होगी। यह कमीशन स्थायी होगा।

9. कमीशन देने के बाद उन्हें सेना के नियमित अफसरों के समान वेतन और भत्ते, पेन्शन, और छुट्टी दी जाएगी तथा सेवा की अन्य शर्तें भी वही होंगी जो सेना के नियमित अफसरों पर समय-समय पर लागू होंगी।

प्रशिक्षण :—

10. भारतीय सेना अकादमी में आर्मी कैडेट को "जैंटलमैन कैडेट" का नाम दिया जाता है तथा उन्हें 18 मास के लिए कड़ा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इन्फैन्ट्री के उप यूनिटों का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत जैंटलमैन कैडेटों को सैकिण्ड लेफ्टिनेन्ट के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है बशर्ते कि वे एम० एच० ए० पी० ई० में शारीरिक रूप से स्वास्थ्य हों।

II सेवा की शर्तें

(i) वेतन :—

रैंक	वेतनमान
	रुपए
सैकिण्ड लेफ्टिनेन्ट . . .	750-950
लेफ्टिनेन्ट	830-950
कैप्टन	1250-1550
मेजर	1650-1800
लेफ्टिनेन्ट-कर्नल (चयन द्वारा) . .	1800-1950
लेफ्टिनेन्ट-कर्नल (समय वेतनमान) .	1800 नियत
कर्नल	1950-2175
ब्रिगेडियर	2200-2400
मेजर जनरल . . .	2500-125/2-2750
लेफ्टिनेन्ट-जनरल . . .	3000 प्रतिमास

(ii) भत्ते :—

वेतन के अतिरिक्त अफसरों को इस समय निम्नलिखित भत्ते मिलते हैं :—

(क) सिविलियन राजपत्रित अफसरों पर समय-समय पर लागू दरों और शर्तों के अनुसार ही इन्हें भी नगर प्रतिकर तथा महंगाई भत्ते दिए जाते हैं।

(ख) 50/-रु० प्रतिमास की दर से किट अनुरक्षण भत्ता।

(ग) प्रवास भत्ता : जब अफसर भारत से बाहर सेवा कर रहा हो, तब धारित रैंक के अनुसार 50 रु० से 250/- रु० तक प्रति मास प्रवास भत्ता।

(घ) वियुक्ति भत्ता, जब विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाता है जहां परिवार सहित नहीं रहा जा सकता है तब वे अफसर 70/- रु० प्रतिमास की दर से वियुक्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

(iii) तैनाती

थल सेना अफसर भारत में या विदेश में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं।

(iv) पदोन्नति :

(क) स्थायी पदोन्नति :

उच्चतर रैंको पर स्थायी पदोन्नति के लिए निम्नलिखित सेवा सीमाएं हैं:—

समय वेतनमान से

लेफ्टिनेन्ट . .	2 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
कैप्टन . .	6 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर . . .	13 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर से लेफ्टिनेन्ट कर्नल यदि चयन द्वारा पदोन्नति न हुई हो	25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा।
चयन द्वारा	
लेफ्टिनेन्ट कर्नल . .	16 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
कर्नल .	20 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
ब्रिगेडियर . .	23 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर जनरल . .	25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेन्ट जनरल .	28 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
जनरल . .	कोई प्रतिबन्ध नही।

(ख) कार्यकारी पदोन्नति :

निम्नलिखित न्यूनतम सेवा सीमाएं पूरी करने पर, अफसर उच्चतर रैंकों पर कार्यकारी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों :—

कैप्टन . . .	3 वर्ष
मेजर	5 वर्ष
लेफ्टिनेन्ट-कर्नल . . .	6-1/2 वर्ष
कर्नल . .	8-1/2 वर्ष
ब्रिगेडियर . . .	12 वर्ष
मेजर जनरल . . .	20 वर्ष
लेफ्टिनेन्ट-जनरल . .	25 वर्ष

(ख) नौसेना अकादमी, कोचिन मे भर्ती होने वाले उम्मीदवारो के लिए :

1. (क) जो उम्मीदवार अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अन्तिम रूप से चुन लिए जाएंगे, उन्हे नौसेना की कार्यकारी शाखा मे कैडेटों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उन उम्मीदवारों को नौसेना अकादमी, कोचिन के प्रभारी अफसर के पास निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी।

(1) जिन उम्मीदवारो ने सरकारी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र नही दिया हो :

	रु०
(i) 45.00 रुपये प्रति मास की दर से पांच मास के लिए जेब खर्च .	225.00
(ii) कपडो और सज्जा-सामग्री के लिए	460.00
जोड़ . .	685.00

2. जिन उम्मीदवारों नें सरकारी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन-पत्र दिया हो :

	रु०
(i) 45.00 रु० प्रति मास की दर से दो मास के लिए जेब खर्च . .	90.00
(ii) कपड़ो और सज्जा-सामग्री के लिए .	460.00
जोड .	550.00

(ख) (i) चुने हुए उम्मीदवारों को कैडेटों के रूप मे नियुक्त किया जाएगा तथा उन्हे नौसेना जहाजो और प्रतिष्ठानो मे नीचे दिया गया प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा :—

(क) कैडेट प्रशिक्षण तथा नौकार्य प्रशिक्षण 6 मास	1 वर्ष
(ख) मिडशिपमैन नौकार्य प्रशिक्षण 6 मास	
(ग) कार्यकारी सब लेफ्टिनेन्ट तकनीकी पाठ्यक्रम	8 मास

(घ) सब-लेफ्टिनेन्ट—

पहरा देने का प्रमाण-पत्र लेने के लिए 3 मास की न्यूनतम समुद्री सेवा।

(ii) नौसेना अकादमी में कैडेटो के प्रशिक्षण, आवास और संबद्ध सेवाओ, पुस्तको, वर्दी, भोजन तथा डाक्टरी इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। किन्तु कैडेटो के माता-पिता/अभिभावकों को उनकी जेब खर्च और निजी खर्च वहन करना होगा। यदि कैडेट के माता पिता/अभिभावक की मासिक आय 350/-रु० से कम हो और वह कैडेट का जेब खर्च पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा न कर सकते हो तो, सरकार कैडेट के लिए 40.00 रु० प्रतिमास वित्तीय सहायता स्वीकार कर सकती है। वित्तीय सहायता लेने का इच्छुक उम्मीदवार अपने चुने जाने के बाद शीघ्र ही अपने जिला मैजिस्ट्रेट के माध्यम से आवेदन पत्र दे सकता है। जिला मैजिस्ट्रेट उस आवेदन पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ निदेशक, कार्मिक सेवा, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली के पास भेज देगा।

यदि किसी माता-पिता/अभिभावक के दो अथवा उससे अधिक पुत्र या आश्रित नौसेना जहाजो/प्रतिष्ठानो मे साथ साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो तो उन सभी को साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि के लिए उपर्युक्त वित्तीय सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय 400/- रु० से अधिक न हो।

(iii) बाद का प्रशिक्षण भारतीय नौसेना के जहाजो और स्थापनाओ मे भी उन्हें सरकारी खर्च पर दिया जाता है। अकादमी छोडने के बाद उनके पहले छह मास के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उपर्युक्त पैरा (ii) के अनुसार अकादमी में

प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को मिलने वाली वित्तीय सहायता के समान सहायता दी जाएगी । भारतीय नौसेना के जहाजों और उनके प्रतिष्ठानों में छह मास का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद जिन कैडेटों की मिडशिपमैन के रैंक में पदोन्नति कर दी जाएगी और वे वेतन प्राप्त करने लगेंगे, तब उनके माता-पिता को उनका कोई खर्च नहीं देना होगा ।

(iv) कैडेटों को सरकार से निःशुल्क वर्दी मिलेगी किन्तु उन्हें इसके अलावा कुछ और कपड़े भी लेने होंगे । इन कपड़ों के सही नमूने और उनकी एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए, ये कपड़े नौसेना अकादमी में तैयार किए जाएंगे तथा उनका खर्च कैडेटों के माता-पिता/अभिभावकों को वहन करना होगा । वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र देने वाले कैडेटों को कुछ कपड़े निःशुल्क या उधार दिए जा सकते हैं । उन्हें कुछ विशेष कपड़े ही खरीदने होंगे ।

(v) प्रशिक्षण के दौरान सर्विस कैडेटों को अपने मूल रैंक के वही वेतन और वही भत्ते मिलेंगे जो वे कैडेटों के चुने जाने के समय नाविक या सेवक या अप्रेंटिस के पद पर काम करते हुए प्राप्त कर रहे होंगे । यदि उन्हें उस रैंक में वेतन वृद्धि दी जानी हो तो वे उस वेतन वृद्धि को पाने के भी हकदार होंगे । यदि उनके मूल रैंक का वेतन और भत्ते, सीधे भर्ती होने वाले कैडेटों को मिलने वाली वित्तीय सहायता से कम हों तथा वे उस सहायता को प्राप्त करने पात्र हों तो उन्हें उपर्युक्त दोनों राशियों के अन्तर की राशि भी मिलेगी ।

(vi) सामान्यतः किसी कैडेट को प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी । जिस कैडेट को भारतीय नौसेना जहाजों और प्रतिष्ठानों में कोर्स पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे सरकार के अनुमोदन से प्रशिक्षण से वापस बुलाया जा सकता है तथा उसे प्रशिक्षण से हटाया भी जा सकता है । इन परिस्थितियों में किसी सर्विस कैडेट को उसकी मूल सर्विस पर वापस भेज दिया जाएगा । जिस कैडेट को इस प्रकार, प्रशिक्षण से हटाया जाएगा या मूल सर्विस पर वापस भेजा जाएगा, वह परवर्ती कोर्स में दोबारा दाखिल होने का पात्र नहीं रहेगा । किन्तु जिन कैडेटों को कुछ करुणाजन्य कारणों के आधार पर त्यागपत्र देने की अनुमति दी जाती है, उनके मामलों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

2 किसी उम्मीदवार भारतीय नौसेना में कैडेट चुने जाने से पूर्व माता पिता/अभिभावक को .

(क) इस आशय के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह भली भांति समझता है कि यदि उसके पुत्र को या आश्रित को प्रशिक्षण के दौरान या उसके कारण कोई चोट लग जाए या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या उपर्युक्त कारणों या अन्य कारण से चोट लगने पर किए गए आपरेशन से या आपरेशन के दौरान मूर्छित करने की औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप मृत्यु हो जाए तो उसे या उसके पुत्र या आश्रित को सरकार से मुआवजा मांगने के दावे का या सरकार से अन्य सहायता मांगने का कोई हक नहीं होगा ।

(ख) इस आशय के बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी ऐसे कारण से जो उनके नियंत्रण के अधीन हो, यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा होने से पहले वापस जाना चाहे या यदि कमीशन दिए जाने पर स्वीकार न करे तो शिक्षा, शुल्क, भोजन, वस्त्र, वेतन तथा भत्ते, जो कैडेट ने प्राप्त किए हैं, उनका मूल्य या उनका वह अंश जो सरकार निर्णय करे, चुकाने की जिम्मेदारी वह लेता है ।

3. वेतन और भत्ते

(क) वेतन

रैंक	वेतनमान सामान्य सेवा
1	2
मिडशिप मैन	560.00 रुपये
एक्टिंग सब लेफ्टनेंट	750.00 रुपये
सब लेफ्टिनेंट	830.870 रुपये
लेफ्टिनेंट	1100-1450 रुपये
लेफ्टिनेंट कमोडोर	1450-1800 रुपये
कमान्डर (चयन द्वारा)	17501950 रुपये
कमान्डर (समय वेतनमान द्वारा)	180000 रुपये
केप्टन	(नियत) 1950-24-00 रुपये (कमोडोर वह वेतन प्राप्त करता है जिसके लिए वह कैप्टेन के रूप में विरिष्ठता के आधार पर हकदार होता है)
रियर एडमिरल	2500-125/2-2750
वाइस एडमिरल	3000 रुपये

(ख) भत्ते

वेतन के अतिरिक्त अफसरों को निम्नलिखित भत्ते मिलते हैं :—

(i) सिविलियन राजपत्रित अफसरों पर समय-समय पर लागू दरों और शर्तों के अनुसार उन्हें भी नगर प्रतिकर तथा महंगाई भत्ता मिलता है ।

(ii) 50/-रु प्रति मास की दर से किट अनुरक्षण भत्ता (कमोडोर रैंक के तथा उनसे नीचे के रैंक के अफसरों को) ।

(iii) जब अफसर भारत के बाहर सेवा कर रहा हो, तब धारित रैंक के अनुसार 50/-रु० से 250/- तक प्रतिमास प्रवास भत्ता

(iv) 70/-रु० प्रति मास के हिसाब से इन अफसरों को नियुक्ति भत्ता मिलेगा :—

(i) जिन विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाएगा जहां वे परिवार सहित नहीं रह सकते।

(ii) जिन विवाहित अफसरों को आई० एन० जहाजों पर तैनात किया जाएगा तथा जितनी अवधि के लिए वे बेस पत्तनों से दूर जहाजों पर रहेंगे।

(V) जितनी अवधि के लिए बेस पत्तनों से दूर जहाजों पर रहेंगे, उतनी अवधि के लिए उन्हें मुफ्त राशन मिलेगा।

टिप्पणी I—उपर्युक्त के अलावा संकट के समय काम करने की राशि पनडुब्बी भत्ता, पनडुब्बी वेतन, सर्वेक्षण आनुतोषिक/सर्वेक्षण भत्ता, अर्हता वेतन/अनुदान तथा गोताखोरी वेतन जैसी कुछ विशेष रियायतें भी अफसरों को दी जा सकती है।

टिप्पणी II—अफसर पनडुब्बी तथा विमानन से नांगों के लिए अपनी सेवाएं अर्पित कर सकते हैं। इन सेवाओं में सेवा के लिए चुने गए अफसर बढ़े हुए वेतन तथा भत्तों को पाने के हकदार होते हैं।

4. पदोन्नति

(क) समय वेतनमान द्वारा मिडशिपमैन से एक्टिंग सब-लेफ्टिनेंट तक 1/2 वर्ष

एक्टिंग सब-लेफ्टिनेंट से सब-लेफ्टिनेंट तक 1 वर्ष

सब-लेफ्टिनेंट से लैफ्टिनेंट तक [एक्टिंग और स्थायी सब-लेफ्टिनेंट (वरिष्ठता के लाभ समपहरण के अधीन) के रूप में 3 वर्ष।]

लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट कमाडोर तक लेफ्टिनेंट के रूप में —	8 वर्ष की वरिष्ठता'
लेफ्टिनेंट कमाडोर से कमाडोर तक (यदि चयन द्वारा पदोन्नति न हुई हो)	24 वर्ष की सगणनीय कमीशन प्राप्त सेवा।
(ख) चयन द्वारा	
लेफ्टिनेंट कमोडोर से कमोडोर तक	लेफ्टिनेंट कमोडोर के रूप में 2–88 वर्ष की वरिष्ठता
कमोडोर से कैप्टन तक	कमोडोर के रूप में 4 वर्ष की वरिष्ठता।
कैप्टन से रियर एडमिरल और उससे ऊपर तक	कोई सेवा प्रतिबंध नहीं

5. तैनाती

अफसर भारत और विदेश में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं।

टिप्पणी—यदि किसी और सूचना की आवश्यकता हो तो वह निदेशक, कार्मिक सेवा, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली-110011 से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) अफसर ट्रेनिंग स्कूल, मद्रास में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. इससे पूर्व कि उम्मीदवार अफसर ट्रेनिंग स्कूल, मद्रास में भर्ती हो :—

(क) उसे इस आशय के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह भली-भांति समझता है कि उसे या उसके वैध वारिसों को सरकार से मुआवजा या अन्य किसी सहायता के दावे का कोई हक नहीं होगा, यदि उसे प्रशिक्षण के दौरान कोई चोट या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या मृत्यु हो जाए या उपर्युक्त कारणों से चोट लगने पर किए गए आपरेशन से या आपरेशन के दौरान मूर्छित करने की औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप ऐसा हो जाए।

(ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को एक बाण्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी कारण से जो उसके नियन्त्रण के अधीन मान लिया जाए यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा होने से पूर्व वापिस जाना चाहे या यदि दिए जाने पर कमीशन स्वीकार न करे या अफसर ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए शादी कर ले तो उसे शिक्षा, खाना, वस्त्र और वेतन तथा भत्ते जो उसने प्राप्त किए है, उनकी लागत या उनका वह अंश जो सरकार निर्णय करे, चुकाने के जिम्मेदार होंगे।

2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप से चुने जाएंगे उन्हें अफसर ट्रेनिंग स्कूल में लगभग 9 महीने का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा। इस इन उम्मीदवारों को सेना अधिनियम के अन्तर्गत "जन्टलमैन कैडेट" के रूप में नामांकित किया जाएगा। सामान्य अनुशासन की दृष्टि से ये जैन्टलमैन कैडेट अफसर ट्रैनिंग स्कू के नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत रहेंगे।

3. प्रशिक्षण की लागत जिसमें आवास, पुस्तकें, वर्दी, भोजन तथा चिकित्सा सुविधा शामिल है, सरकार वहन करेगी और उम्मीदवारों को अपना जेब खर्च स्वयं वहन करना होगा। कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम 55 रुपये प्रतिमास से अधिक खर्च की सभावना नहीं है। किन्तु यदि उम्मीदवार कोई फोटोग्राफी, शिकार खेलना सैर-सपाटा इत्यादि का शौक रखता हो तब उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। यदि कोई कैडेट यह न्यूनतम व्यय भी पूर्ण या आंशिक रूप में वहन नहीं कर सके तो उसे समय-समय पर परिवर्तनीय दरों

पर इस हेतु वित्तीय सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि कैडेट और उसके माता-पिता/अभिभावक की आय 350/-रुपये प्रतिमास से कम हो । वर्तमान आदेशो के अनुसार वित्तीय सहायता की दर 55 रुपये प्रतिमास है । जो उम्मीदवार वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो उसे प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन अपने जिले के जिला मेजिस्ट्रेट को भेजना होगा जो अपनी सत्यापन रिपोर्ट के साथ आवेदन-पत्र को कमांडेट अफसर ट्रेनिंग स्कूल मद्रास को भेज देगा ।

4. अफसर ट्रेनिंग स्कूल में अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिए चुने गए उम्मीदवारों को वहां पहुंचाने पर कमांडेट के पास निम्नलिखित धन राशि जमा करनी होगी :—

(क) 55.00 रु० प्रतिमास की दर से दस महीने के लिए जेब खर्च—550.00 रुपये ।

यदि कैडेटो को आर्थिक सहायता स्वीकृत हो जाती है तो उन्हे उपर्युक्त धन राशि वापस कर दी जाएगी ।

5 समय-समय पर जारी किए गए आदेशो के अन्तर्गत परिधान भत्ता मिलेगा ।

कमीशन मिल जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजे कैडेट की व्यक्तिगत सम्पति बन जाएगी । यदि कैडेट प्रशिक्षणाधीन अवधि मे त्याग-पत्र दे दे या उसे निकाल दिया जाए या कमीशन से पूर्व वापस बुला लिया जाए तो इन वस्तुओ को उसमे वापस ले लिया जाएगा । इन वस्तुओ का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा ।

6. सामान्यत. किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नही दी जाएगी । लेकिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने के बाद त्याग-पत्र देने वाले जेंटलमैन कैडेटो को थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्याग-पत्र स्वीकृत होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है । प्रस्थान से पूर्व उनसे प्रशिक्षण, भोजन तथा सम्बद्ध सेवाओ पर होने वाला खर्च वसूल किया जाएगा । अफसर प्रशिक्षण स्कूल मे उम्मीदवारो को भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हे तथा उनके माता-पिता/अभिभावको को इस आशय का एक बाड भरना होगा ।

7. जिस जेंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण का सपूर्ण कोर्स पूरा करने के योग्य नही समझा जाएगा उसे सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है । इन परिस्थियों मे सैनिक उम्मीदवार को उसकी रेजिमेंट या कोर में वापस भेज दिया जाएगा ।

8. कमीशन प्रदान कर दिए जाने के बाद वेतन तथा भत्ते, पेंशन, छुट्टी तथा अन्य सेवा शर्तें निम्न प्रकार होगी ।

9. प्रशिक्षण

1. चुने गए उम्मीदवारो को सेना अधिनियम के अन्तर्गत जेंटलमैन कैडेटों के रूप में नामांकित किया जाएगा तथा वे अफसर ट्रेनिंग स्कूल में लगभग 9 मास तक प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे । प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत जेंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से सैकेन्ड लेफ्टिनेंट के पद पर अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है ।

10. सेवा की शर्तें :—

(क) परिवीक्षा की अवधि

कमीशन प्राप्त करने की तारीख से अफसर 6 मास की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा । यदि उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान कमीशन धारण करने के अनुपयुक्त बताया गया तब उसकी परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व या उसके बाद किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त किया जा सकता है ।

(ख) तैनाती

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त करने पर उन्हें भारत या विदेश मे कही भी नौकरी पर तैनात किया जा सकता है ।

(ग) नियुक्ति की अवधि तथा पदोन्नति

नियमित थल सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन पाच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा । जो अफसर सेना मे पाच वर्ष के अल्पकालिक सेवा कमीशन की अवधि के बाद सेना में सेवा करने के इच्छुक होंगे वे, यदि हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त पाए गए, तो सम्बन्धित नियमो के अनुसार उनके अल्पकालिक सेवा कमीशन के अंतिम वर्ष मे उनको स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा । जो पाच वर्ष की अवधि के दौरान स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने की अर्हता प्राप्त नही कर पाएगे, उन्हे पाच वर्ष की अवधि पूरी होने पर निर्मुक्त कर दिया जाएगा ।

(घ) वेतन और भत्ते

अल्कालिक सेवा कमीशन प्राप्त अफसर वही वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे जो सेवा के नियमित् अफसरो को प्राप्त होते हैं ।

सेकेन्ड लेफ्टि० और लेफ्टि० के वेतन की दरें इस प्रकार है :—

सेकेन्ड लेफ्टि० 750-790 रु० प्रतिमास ।

लेफ्टि०, 830—950 रु० प्रतिमास ।

तथा अन्य भत्ते जो नियमित अफ़सरों को मिलते हैं ।

(ङ) छुट्टी

छुट्टी के संबध में ये अफ़सर अल्पकालिक सेवा कमीशन अफ़सरो के लिए लागू नियमों से शासित होंगे जो सेना अवकाश नियमावली खंड—1 थल सेना, के अध्याय पांच में उल्लिखित हैं । वे अफसर ट्रेनिंग स्कूल के पासिंग आउट करने पर तथा ड्यूटी ग्रहण करने से पूर्व उक्त नियम 91 में दी गई व्यवस्थाओ के अनुसार भी छुट्टी के हकदार होंगे ।

(च) कमीशन की समाप्ति

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अफसर को पांच वर्ष सेवा करनी होगी किन्तु भारत सरकार निम्नलिखित कारणों से किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त कर सकती है :—

(i) अवचार करने या असंतोषजनक रूप से सेवा करने पर; या

(ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य होने पर, या

(iii) उसकी सेवाओं की और अधिक आवश्यकता न होने पर, या

(iv) उसके किसी निर्धारित परीक्षण या कोई कोर्स मे अर्हता प्राप्त करने में असफल रहने पर।

तीन महीने का नोटिस देने पर किसी अफ़सर को करुणाजन्य कारणो के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है किन्तु इसकी पूर्णत निर्णायक भारत सरकार ही होगी। करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर कोई अफ़सर सेवाए उपदान पाने का पात्र नही होगा।

(छ) पेशन लाभ

(i) ये अभी विचाराधीन हैं।

(ii) अल्पकालीक सेवा कमीशन अफ़सर 5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 5000.00 रुपए का सेवांत उपदान पाने के हकदार होगे।

(ज) रिजर्व मे रहने का दायित्व

5 वर्ष की अल्पकालिक सेवा कमीशन सेवा या बढ़ाई गई कमीशन सेवा पूर्ण करने के बाद वे 5 वर्ष की अवधि के लिये या 40 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, रिजर्व मे रहेंगे।

(झ) विविध

सेवा सबधी अन्य सभी शर्तें, जब तक उनका उपर्युक्त उपबधो के साथ भेद नही होता है, वही होंगी जो नियमित अफ़सरो के लिए लागू है।

परिशिष्ट IV

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारो द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है कि———

सुपुत्र श्री ———जो गांव/*कस्बा———

———जिला/*मडल———

राज्य/*सघ राज्य क्षेत्र———के निवासी हैं ———जाति/*जन जाति के है जिसे निम्न-लिखित के अधीन अनुसूचित जाति/*अनुसूचित जन जाति के रूप मे मान्यता दी गई है :—

संविधान (अनुसूचित जातिया) आदेश, 1950*

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश, 1950*

सविधान (अनुसूचित जाति) (सघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951*

सविधान (अनुसूचित जन जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951*

[अनुसूचित जातिया और अनुसूचित जन जातियां सूचियां (आशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, द्वारा यथा सशोधित और अनुसूचित जातिया तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976] संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1953*

सविधान (अडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जातिया आदेश, 1959* अनुसूचित जातिया तथा अनुसूचित जन जातिया आदेश (सशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातिया आदेश, 1962*

सविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जातिया आदेश, 1962*

सविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातिया आदेश, 1954*

सविधान (अनुसूचित जन जातिया) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967*

सविधान (गोआ, दमन और दियु) अनुसूचित जातिया आदेश, 1968*

सविधान (गोवा, दमन और दियु) अनुसूचित जन जातिया आदेश, 1968*

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970*

2 श्री ———

और/*या उनका परिवार आम तौर से गांव/*कस्बा———

——— जिला/*मडल———

राज्य/*सघ राज्य क्षेत्र ———में रहता है।

हस्ताक्षर ———

**पदनाम ———

(कार्यालय की मोहर के साथ)

राज्य/*सघ राज्य क्षेत्र

स्थान ———

तारीख ———

*जो शब्द लागू न हों उन्हे कृपया काट दे

नोट :—यहां "आम तौर से रहता है" का अर्थ वही होगा जो "रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, 1950" की धारा 20 में है।

जाति/जन जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/ऐडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट/तालुक मैजिस्ट्रेट/एजी क्यूटि मैजिस्ट्रेट एक्ट्रा असिस्टैंट कमिश्नर (प्रथम श्रेणी केस्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट से कम ओहदे का नहीं)।

(ii) चीफ़ प्रैसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट/ऐडीशनल चीफ़ प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट।

(iii) रेवेन्यू अफसर जिनका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।

(iv) उस इलाके का सब-डिवीजनल अफसर जहा उम्मीदवार और/या उसका परिवार आम तौर से रहता है।

(v) ऐडमिनिस्ट्रेटर/ऐडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/डेवलपमेंट अफसर (लक्षद्वीप)।

परिशिष्ट

उम्मीदवारो के लिये सूचना पुस्तिका

इस पुस्तिका का उद्देश्य इस परीक्षा के सबध में आपको अधिक से अधिक सूचना देना है जिससे परीक्षा स्वरूप से परिचित न होने के कारण आपको कोई हानि न हो।

विषय, स्तर और प्रकरण

इस परीक्षा के प्रत्येक विषय के लिये 2 घंटे का समय होगा। "प्रारम्भिक गणित" का मैट्रिकुलेशन या दसवी कक्षा परीक्षा और "प्रारम्भिक भौतिकी" का उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के स्तर का प्रश्न-पत्र होगा। अन्य प्रश्न-पत्रो का स्तर लगभग इस प्रकार का होगा जिसको किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक विषय के अन्तर्गत आने वाले प्रकरण परिशिष्ट I के भाग 'ख' में दिए गए है।

उक्त परीक्षा मे ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते है जिनका परिशिष्ट I मे स्पष्ट रूप से उल्लेख न हो पर सामान्यत (I), प्रारभिक गणित के सबंध मे मैट्रिकुलेशन या दसवी कक्षा परीक्षा (II) प्रारंभिक भौतिकी के संबध में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा और (II_I) अन्य सभी विषयों के संबंध में बैचलर डिग्री या समकक्ष परीक्षा का स्तर होगा।

परीक्षा का स्वरूप

परीक्षा "वस्तुपूरक" या "बहु विकल्प उत्तर" प्रकार की होगी। प्रश्न पुस्तिका में कई अंश (प्रश्न) छपे होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सामने दाहिनी तरफ 3, 4 या 5 संभाव्य विकल्प (उत्तर) होगे। आपको प्रत्येक अश के लिये सही उत्तर चुन लेना होगा। अगर आप समझते है कि एक से अधिक उत्तर सही है तो आपको सबसे अधिक सही उत्तर चुन लेना होगा। प्रत्येक अश के लिये आपको एक और केवल एक उत्तर का चयन करना होगा।

उत्तर देने की विधि

अंशो के क्रमाक 1, 2, 3 आदि होगे। प्रत्येक अंश (प्रश्न) के विकल्प 1, 2, 3, 4 आदि अंकित होगे। आपको अपने उत्तर अकित करने के लिये एक अलग उत्तर-पत्रक दिया जाएगा। (इस पुस्तिका के अन्त में प्रस्तुत नमूना उत्तर पत्रक देखिए)। उत्तर पत्रक पर अंशो के क्रमाक किए जाएंगे और उनके सामने दाहिनी तरफ प्रत्येक का उत्तर देने के लिये जगह छोड़ी जाएगी, पहले तय कीजिए कि प्रत्येक अश के सामने जो विभिन्न उत्तर दिए गए है, उनमे कौन सा सही या सबसे अधिक उपयुक्त है। उसके बाद आपने जिस उत्तर, को सही समझ लिया है उसकी सख्या उत्तर देने के लिये छोड़ी हुई जगह पर लिख दीजिए। (नमुना उत्तर पत्रक पर दिया गया उदाहरण देखिए)।

कृपया ध्यान दीजिए कि आपको प्रत्येक अंश का केवल एक ही उत्तर देना है। अगर एक से अधिक उत्तर दिए जाए, तो आपको उसके लिए कोई नम्बर नहीं मिलेगा चाहे आपके दिए हुए उत्तरो मे कोई सही भी क्यो न हो। अगर आपने कोई गलती की है और उस गलत उत्तर को बदलना चाहते हैं तो गलत उत्तर को पूरा काट दीजिए और सही उत्तर साफ़-साफ लिख दीजिए।

कुछ महत्वपूर्ण नियम

(i) आपको परीक्षा के आरंभ होने के निर्धारित समय से 20 मिनट पहले परीक्षा भवन मे पहुंच कर तुरन्त अपनी सीट पर बैठना होगा। परीक्षा शुरू होने से पहले पर्यवेक्षक द्वारा परीक्षा के सबध मे कुछ अत्यन्त विशिष्ट अनुदेश दिए जाएगे।

(ii) परीक्षा आरम्भ होने के 30 मिनट बाद किसी को भी परीक्षा के भवन मे प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(iii) परीक्षा के आरम्भ होने के बाद 45 मिनट के पहले किसी को भी परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नही दी जाएगी।

(iv) परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न-पुस्तिका और उत्तर पत्रक पर्यवेक्षक को सौप दे। प्रश्न-पुस्तिका की परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नही है।

(v) उत्तर पत्रक पर दिये गये उपयुक्त स्थान पर अपना रोल नम्बर, परीक्षण केन्द्र, परीक्षण पुस्तिका का कोड नम्बर और अनुक्रमाक साफ-साफ लिखिए। उत्तर पत्रक पर कही भी अप ना नाम लिखना नही चाहिए।

(vi) प्रश्न पुस्तिका, पुस्तिका और उत्तर पत्रक पर जो अनुदेश दिए गए है, उन सबको आप सावधानी से पढ़ ले। चूकि मूल्याकन मशीन से किया जाता है, इसलिए अगर आप अनुदेशों का आप सावधानी से पालन नही करेंगे तो आपके नम्बर कम हो सकते हैं। उत्तर पत्रक

पर किसी अंश के सामने आपकी प्रविष्टि संदिग्ध हो तो उसके लिये आपको कोई नम्बर नही मिलेगा।

पर्यवेक्षक के द्वारा दिए गए अनुदेशो का पालन करे। जब पर्यवेक्षक आपको किसी परीक्षण या परीक्षण के किसी खण्ड को आरम्भ या समाप्त करने को कहे तो आपको उनके अनुदेशो का तुरन्त पालन करना होगा।

(vii) आप अपना प्रवेश प्रमाण पत्र साथ ले आएं। आपको एक पेंसिल और एक नीली या काली स्याही वाली कलम भी साथ लानी होगी। आपको कागज का कोई टुकड़ा या रद्दी कागज, पैमाना या ड्राइंग की सामग्री परीक्षा भवन मे लाने की अनुमति नही दी जाएगी। क्योंकि उनकी आवश्यकता नही पड़ेगी। कच्चा काम करने के लिए उत्तर पत्रक पर ही जगह दी गई है। उत्तर स्याही में लिखना चाहिए पेंसिल से नही। उत्तर पत्रक पर लाल स्याही का प्रयोग नही करना चाहिए।

कुछ उपयोगी संकेत

यद्यपि इस परीक्षण मे गति की अपेक्षा शुद्धता पर अधिक बल दिया जाता है, फिर भी आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप जहा तक संभव हो, कम से कम समय ले। संतुलन के साथ जल्द से जल्द आगे बढ़ें। यदि आप सभी प्रश्नो का उत्तर नही दे सकते है तो परेशान न हो। जो प्रश्न आपको बहुत कठिन लगे, उन पर ज्यादा समय न लगाए। बाकी प्रश्नो को पहले करे और कठिन प्रश्नों को बाद मे।

प्रत्येक प्रश्न के लिये संभाव्य उत्तर दिये गये है। इसलिये हो सकता है कि जिन प्रश्नो के उत्तर आपको ठीक-ठीक मालूम नही है, उनका अनुमान लगाने के लिये आप सोचने लग जाए। पहले उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करे जिनके बारे मे आप निश्चित हों। फ़िर ऐसे प्रश्न लीजिए जिनके बारे में आप निश्चित नही है। यदि आप किसी प्रश्न के बारे मे कुछ नही जानते है तो उसे खाली छोड़ देना ठीक रहेगा। ऐसे प्रश्नों को छोड़ने से, हो सकता है, आपको ज्यादा नंबर मिलें, बनिस्पत इसके कि आप शून्य मे अनुमान लगाने लगें। किन्तु जहा आप विवेकपूर्ण अनुमान लगाने भर की जानकारी रखते हो, वहा आप ऐसा कर सकते है।

ये प्रश्न आपकी जानकारी, सूझ-बूझ और विश्लेषणशीलता का अनुमान लगाने के लिये बनाये गये है, न कि याददाश्त का पता लगाने के लिये। यदि आप संगत विषयो को सरसरी निगाह से देख लें तो लाभदायक होगा जिससे आप आश्वस्त हो जाए कि आप सम्बद्ध विषय को अच्छी तरह समझते है।

संघ लोक सेवा आयोग

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, मई, 1978

मार्ग दर्शक संकेत

(आवेदन-पत्र को भरने के लिये)

(क) जिन आवेदन-पत्रो के साथ निर्धारित शुल्क नही होगा, उन्हें एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में इस अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नही किया जाएगा।

(ख) आयोग के कार्यालय में अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र पर विचार नही किया जाएगा।

(ग) आवेदन-पत्र को भरने से पहले नियमावली तथा उम्मीदवारों को अनुदेश पढ़ लें। कोई भी कालम खाली न छोड़ा जाए। आपके मामले में यदि कोई कालम लागू नही होता है तो "ला० न० अथवा नही" लिख दे। अधूरे या गलत भरे हुए आवेदन-पत्र अस्वीकार किए जा सकते है।

(घ) उम्मीदवार को आवेदन-पत्र अपने हाथ से ही भरना चाहिए। यदि कोई संशोधन हो, तो वह पठनीय हो तथा उम्मीदवार द्वारा अभिप्रमाणित हो।

(ङ) आवेदन-पत्रो को संगणक विधि द्वारा साधित किया जाता है : अत: उम्मीदवारों को फ़ार्म सावधानीपूर्वक सही भरना चाहिए :

उम्मीदवार द्वारा संबद्ध कालम मे निर्दिष्ट परीक्षा के विषयो का उल्लेख करने के बाद किसी भी परिस्थिति मे विषयो का परिवर्तन संभव नही होगा।

उम्मीदवारो से अनुरोध है कि वे आवेदन-पत्र भरते समय निम्नलिखित निर्देशो का सावधानीपूर्वक पालन करे क्योकि इन्हे संगणक विधि द्वारा साधित किया जाता है और अधिकांश सूचना कोड फ़ार्म मे देनी होती है। सही कोड देने मे अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जब कभी एक या दो बाक्स, जैसे 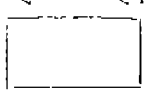 उत्तर के लिए दिए गए हों, तो सावधानी रखनी चाहिए कि एक से अधिक अंक एक बाक्स मे अंकित न किए जाए। अगर कोड को दो या अधिक अंको मे लिखा जाना है तो उतने ही बाक्स दिए जाते है। जब कभी किसी कोड मे 01 अथवा 02 जैसा अंकन हो, अर्थात् बायी ओर 0 हो, सावधानीपूर्वक 0 के साथ कोड का अंकन करना चाहिए। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, बिना 0 के कोड का अंकन नही करना चाहिए।

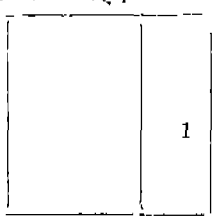

गलत

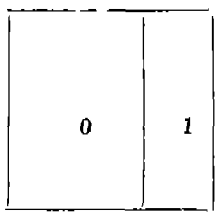

सही

आवेदन-पत्र में विभिन्न कालमो के लिये दिए जाने वाले कोडो का उल्लेख नीचे दिया गया है।

कालम 4 परीक्षा केन्द्र

कोड	केन्द्र
1	2
01	अहमदाबाद
02	इलाहाबाद
03	बंगलौर
04	भोपाल
05	बम्बई
06	कलकत्ता
07	कटक
08	दिल्ली
09	दिसपुर (गौहाटी)
10	हैदराबाद

1	2
11	जयपुर
12	मद्रास
13	नागपुर
14	पटियाला
15	पटना
16	शिलांग
17	शिमला
18	जम्मू
19	त्रिवेन्द्रम
21	चण्डीगढ़
23	वाराणसी
24	कोचीन
25	पणजी (गोवा)
26	लखनऊ

कालम 6. (नोटिस का परिशिष्ट I देखिए)—कृपया यह निश्चित कर लें कि आपका विषयों का चुनाव नोटिस के अनुसार है।

कोड	विषय वैकल्पिक
वैकल्पिक	
01	भौतिकी
02	रसायन
03	गणित
04	वनस्पति विज्ञान
05	प्राणि विज्ञान
06	भूविज्ञान
07	भूगोल
08	अंग्रेजी साहित्य
09	भारतीय इतिहास
10	सामान्य अर्थशास्त्र
11	राजनीति विज्ञान
12	समाज शास्त्र
13	मनोविज्ञान

कालम 11 (क) नागरिकता—स्थिति [देखिए नोटिस का पैरा 3 (क)]

कोड	विवरण
1	2
1	भारत का नागरिक
2	नेपाल की प्रजा
3	भूटान की प्रजा
4	ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो या
5	भारत में स्थायी निवास के लिए पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों कीनीया, उगांडा और संयुक्त गणराज्य टंजानिया या जाम्बिया, मलावी, जेरे और ईथोपिया और वियतनाम से आया हुआ मूलत. भारतीय व्यक्ति।

कालम 11 (ख) अधिवास स्थिति

राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र	
(1)	(2)
01	आन्ध्र प्रदेश
02	असम
03	बिहार
04	गुजरात
05	हरियाणा
06	हिमाचल प्रदेश
07	जम्मू तथा कश्मीर
08	कर्नाटक
09	केरल
10	मध्य प्रदेश
11	महाराष्ट्र
12	मणिपुर
13	मेघालय
14	नागालैण्ड
15	उड़ीसा
16	पंजाब
17	राजस्थान
18	सिक्किम
19	तमिलनाडु
20	त्रिपुरा
21	उत्तर प्रदेश
22	पश्चिम बंगाल
23	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
24	अरुणाचल

1	2
25 . .	चण्डीगढ़
26 . .	दादरा और नागर हवेली
27 . . .	दिल्ली
28 . . .	गोवा, दमन और दियु
29 . .	लक्षद्वीप
30	मिजोरम
31	पांडिचेरी

कालम 13, शुल्क से छूट की धारा (देखिए नोटिस का पैरा 5)

कोड	धारा
01	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964, और 25 मार्च, 1971, के बीच की अवधि मे प्रव्रजन कर भारत आया हो।
02 .	1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से वस्तुत: प्रत्यावर्तित होकर भारत मे आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो।
03 .	अक्टूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से मूल रूप से वस्तुत: प्रत्यावर्तित होकर भारत मे आया हुआ या आने वाला मूल रूप से भारतीय व्यक्ति।

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 1st December 1977

No. F.6/77-SCA(I).—Shri Faqir Chand, Deputy Registrar, Supreme Court of India retired from the services of this Registry with effect from the afternoon of 30th November, 1977.

R. SUBBA RAO
Deputy Registrar (Admn.)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 28th November 1977

No A.11013/2/74-Admn II.—In continuation of the Union Public Service Commission's Notification of even number dated 4th October, 1977, the Secretary, Union Public Service Commission hereby appoints the following permanent Section Officers/Assistants of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission to officiate on an *ad hoc* basis as Section Officer (Special) in the Commission's office for a further period of two months with effect from 1-12-1977 or until further orders, whichever is earlier.

S No	*Name*	*Post held in CSS cadre*
1	Shri B. S. Jagopota	Section Officer
2.	Shri R N. Khurana	Section Officer
3	Shri S. Srinivasan	Section Officer.
4	Shri J. P Goel	Section Officer.
5	Shri S. K Arora	Assistant.
6	Shri G V Mathur	Assistant.

2. The appointment of the aforesaid officers as Section Officer (Special) will be on deputation and their pay will be regulated in accordance with the provisions contained in the Ministry of Finance O M No F 10(24)-E III/60, dated 4-5-1961, as amended from time to time

P N MUKHERJEE, Under Secy.
for Secy. UPSC

New Delhi-110011, the 24th November 1977

No A.32013/3/76-Admn I.—The President is pleased to appoint Shri Gyan Prakash, an officer of the Indian Economic Service as Officer on Special Duty (Advisers' Panel) in the office of the Union Public Service Commission for a period of 6 months on *ad hoc* basis with effect from 1-10-1977 or until further orders, whichever is earlier

The 30th November 1977

No A 38013/3/76-Admn.III.—The President is pleased to permit Shri G P Vij, a permanent Section Officer of the CSS cadre of the Union Public Service Commission, to retire from Government service, on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of the 30th November 1977 in terms of Department of Personnel O M No 33/12/73-Ests(A), dated the 24th November, 1973.

P N MUKHERJEE, Under Secy
(Incharge of Administration)
Union Public Service Commission

ENFORCEMENT DIRECTORATE

FOREIGN EXCHANGE REGULATION ACT

New Delhi, the 11th November 1977

No A-11/28/77.—Shri N N Muraniun Inspector of Central Excise, Bombay is appointed to officiate as Enforcement Officer on deputation in Bombay Zonal Office of this Directorate with effect from 27-10-77 and until further orders

The 16th November 1977

No A-11/29/77.—Shri A. K. Banerjee, Inspector of Central Excise, Varanasi is appointed to officiate as Enforcement Officer on transfer basis in the Calcutta Zonal Office of this Directorate with effect from 1-11-1977 and until further orders

No. A-11/30/77.—Shri M K. Babu, Inspector of Customs & C E Cochin is appointed to officiate as Enforcement Officer on deputation in Calicut Sub-Zonal Office of this Directorate with effect from 1-11-77 (FN) and until further orders

The 21st November 1977

No A-11/31/77.—Shri S. K Roy, Inspector of Income Tax, North Eastern Region is appointed to officiate as Enforcement Officer on deputation in Calcutta Zonal Office of this Directorate with effect from 2-11-1977 (FN) and until further orders.

The 1st December 1977

No. A-11/34/77.—Shri D K. Singh Verma, Inspector of Income Tax, Distt. Jullundur is appointed to officiate as Enforcement Officer on deputation in Jullundur Zonal Office of this Directorate with effect from 11-11-77 (FN) and until further orders.

J. N ARORA, Dy. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPTT. OF PERS. & A.R.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 6th December 1977

F No K-52/65-Ad V.—On attaining the age of superannuation, Shri Kirpal Singh, Dy Legal Advisor, Central Bureau of Investigation, who was on deputation to the Enforcement Directorate as Deputy Legal Adviser, has relinquished charge of the office of the Deputy Legal Advisor, with effect from 31-10-77 (AN).

R P. GUPTA
Administrative Officer (E)
Central Bureau of Investigation

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 2nd December 1977

No D.I-12/77-Estt.—On his services having been replaced at the disposal of the CRPF by the ITBP, Shri R. K Yadav is appointed as Dy S P (Coy Commander) in 34 Bn of this Force wef the forenoon of 17th November, 1977.

No O II-201/77-Estt.—The President is pleased to appoint on deputation Major S K. Sikka (IC-8473) sigs, an officer of the Indian Army as Asstt Commandant in the CRP Force in a temporary capacity until further orders

2 Major Sikka took over charge of the post of JAD (Comns) in Directorate General CRPF, New Delhi on the forenoon of 15th November, 1977

A K BANDYOPADHYAY, Asstt. Dir (Adm.)

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110024, the 2nd December 1977

No E-16014(3)/10/73-Pers.—On the expiry of his term of deputation in the CISF Shri B D Bahukhandi relinquished the charge of the post of Assistant Commandant CISF Unit KCC Khetri Nagar with effect from afternoon of 5th November, 1977.

No E-16014(3)/22/73-Pers—On attaining the age of superannuation in the State Shri A Krishnan Nair, Assistant Commandant Kerala Armed Police on deputation to CISF, relinquished the charge of the post of Assistant Commandant CISF Unit ISRO Thumba with effect from the afternoon of 31st October 1977.

No E-16014(1)/5/76-Pers—On transfer on deputation Shri C P. Singh, Addl Supdt., of Police of Madhya Pradesh Police, Service assumed the charge of the post of Commandant, CISF Unit, Bank Note Press, Dewas with effect from the forenoon of 14th November 1977.

No E-38013(3)/17/76-Pers—Shri G R. Dhar assumed the charge of the post of Asstt Commandant CISF Unit Bongaigaon Refinery and Petro Chemical Ltd. with effect from the forenoon of 13th January 1977

No. E-38013(3)/17/76.Pers—The President is pleased to appoint Shri G R Dhar to officiate as Assistant Commandant CISF Training Reserve with Hqrs at Bongaigaon with effect from the forenoon of 3rd January, 1977.

No. E-32015(3)/4/77-Pers—The President is pleased to appoint Shri A Krishnan Nair as Assistant Commandant CISF Unit ISRO Thumba, on re-employment with effect from the forenoon of 1st November 1977 until further orders

No F-38013(3)/9/77-Pers—On transfer from Durgapur Shri N. S Yadav assumed the charge of the post of Asstt Commandant CISF Unit NMDC Meghahatuburu with effect from the forenoon of 17th October, 1977

No F-38013(3)/13/77-Pers.—On transfer to Baroda Shri G. S Nurpuri relinquished the charge of the post of Assistant Commandant CISF Unit UCIL Jaduguda with effect from the afternoon of 31st October 1977.

Having been detailed for temporary duty to Jaduguda Shri R K Jolly assumed the charge of the post of Assistant Commandant CISF Unit UCIL Jaduguda with effect from the afternoon of 31st October, 1977.

No F-38013(3)/15/77-Pers.—On transfer from Baroda Shri P S. Nandal, assumed the charge of the post of Asstt Commandant, CISF Unit FCI Trombay, Bombay with effect from the forenoon of 29th October 1977.

No. E-38013(3)/17/77-Pers—On transfer from Jharia Shri O P. Sharma assumed the charge of the post of Assistant Commandant CISF Unit UCIL Jaduguda with effect from the forenoon of 16th November, 1977.

The 3rd December 1977

No. E-16014(1)15/76-Pers—On transfer on deputation Shri B Malla Reddy, Addl Supdt of Police of Andhra Pradesh Police Service, assumed the charge of the post of Commandant CISF Unit IDPL Hyderabad with effect from the Forenoon 1st November, 1977

L. S. BISHT
Inspector General/CISF

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 3rd December 1977

No 11/5/77-Ad I—The President is pleased to extend the *ad hoc* appointments of the under-mentioned officers in the posts of Assistant Directors of Census Operations (Technical) in the respective offices of the Directors of Census Operations mentioned below against their names, for a further period of three months with effect from 1-10-1977 to 31-12-1977 or till the post are filled on a regular basis, whichever period is shorter :

Sl. No	Name of officer	office of the Director of Census operations in	Head-quarters	Reference to previous sanction
1	2	3	4	5
1.	Shri K S. Dey	Assam	Gauhati	11/5/77-Ad.I dt. 9-9-1977
2	Shri H L. kalla	Jammu & Kashmir	Srinagar	—do —
3.	Shri J. R Vasishthr	Haryana	Chandigarh	-- do --
4	Shri S. Jayashanker	Kerala	Trivandrum	11-5-77-Ad·I dt. 5-9-1977

P. PADMABHAI
Registrar General, India

NATIONAL POLICE ACADEMY

Hyderabad-500252 (A.P.), the 26th November 1977

No.41/18/74-Estt.—Shri G. P. Mishra, a permanent Assistant Commandant of Orissa State Police, on deputation to the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy as Chief Drill Instructor, is appointed to officiate on ad-hoc basis as Assistant Director (Out Door) in the scale of pay of Rs 1100—50—1600 plus Rs. 200/- special pay and other allowances as admissible under the Central Government Rules during the period from 8-6-1975 (F.N.) to 31-3-1977 (AN).

2. This has the approval of Ministry of Home Affairs, Government of India *Vide* their letter No. 10/6/74-Pers.I. dated 14-11-1977

R. D. SINGH, Director

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
SECURITY PAPER MILL

Hoshangabad, the 28th November 1977

No C/4/6920.—Shri S. S Johari, Inspector Control is promoted on an ad-hoc basis with effect from 20-11-77 (FN) to officiate as Asstt Chief Control Officer in the scale of Rs 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 vice Shri P. L Narayanan, Asstt. Chief Control Officer who is proceeding on leave prior to his voluntary retirement on 14-12-1977.

R. VISWANATHAN, Gnl Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110002, the 2nd December 1977

No. 4649-GE.I /S-66/PF-IV.—Consequent upon his permanent absorption in Triveni Structurals Limited, Naini, Allahabad in public interest, with effect from 1-6-1977, Shri D. B. S. Sachdev, IA&AS, is deemed to have retired from government service with effect from the same date in terms of rule 37 of the Central Civil Service (Pension) Rules 1972.

The 7th November 1977

No 4736-GE.I/C-8PF-IV.—Shri P. C. Calla, IAAS has retired from Government Service with effect from 8th September 1977 (FN).

The 8th November 1977

No 4737-GE.I/G-13/PF—Shri P. Y. Godbole, IAAS has retired from Government Service with effect from 22nd July, 1977 (FN).

The 9th November 1977

No. 4755-GE.I/C-5/PF-III—Shri G. V. Chittal, IA&AS has retired from Government Service with effect from 25th April, 1977 (FN).

M. M. B. ANNAVI
Asstt Comptr. & Auditor Gnl (Personnel)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL

MAHARASHTRA-I

Bombay-400020, the 30th September 1977

No Admn.I/IAD/5(283)/2970-A.—Shri P. P. Venkateswaran, a substantive Accounts Officer of this Office is deemed to have retired from service with effect from 28-1-1977 under Rule 37 of the C.C.S.(Pension) Rules, 1972 read with Ministry of Finance O.M.No. 44 (1)-EV/71, dated 13-4-1973, consequent on his permanent absorption on the terms and conditions conveyed under letter No. 2258-GE II/96-75, dated 17-9-77 in the Tariff Advisory Committee, Bombay.

The Ministry of Finance has conveyed the sanction to the permanent absorption of Shri P. P. Venkateswaran, Accounts Officer in the Tariff Advisory Committee from 28-1-1977.

(Smt.) R. KRISHNAN KUTTY,
Sr. Dy. Accountant General/Admn.

OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR POSTS AND TELEGRAPHS

Delhi-110054, the 30th November 1977

No Admn. V/663/23(A)(2) Notification.—The Chief Auditor, Posts and Telegraphs has been pleased to promote Shri Nakuleshwar Ghosh, Section Officer of the Posts and Telegraphs Audit Office (S.W.T.C.) Calcutta as Accounts Officer (now Audit Officer) in an officiating capacity under "Next Below Rule" with effect from 16-2-1976 till further orders.

The promotion is on *ad hoc* basis and is subject to revision.

L. C. PATNI
Dy. Chief Auditor

MINISTRY OF DEFENCE

DIRECTORATE GENERAL ORDNANCE FACTORIES

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE

Calcutta, the 24th November 1977

No 77/G/77.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers as Offg Dy. GM/ADGOF Gr.II/ Principal with effect from the date shown against them, until further orders :—

(1) Shri P. Vasudevan, Pt. Manager.—20th August, 1977.

(2) Shri P. K. Soni, Pt. Manager.—20th August, 1977.

(3) Shri B. K. Dutta, Pt. Manager.—20th August, 1977

(4) Shri D. N. Sarkar, Pt. Sr., Dadgof.—20th August, 1977.

(5) Shri A. K. Guha, Pt. Manager.—20th August, 1977.

No. 78/G/77.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers as Offg. Manager/Sr. DADGOF with effect from the date shown against them, until further orders :

(1) Shri B. M Gupta, Pt Dy. Manager—30th June, 1977.

(2) Shri C. P. Agarwal, Pt. Dy. Manager—30th June, 1977.

(3) Shri R Mohanarangan, Pt. Dy. Manager—30th June, 1977.

(4) Shri J. Singh, Pt. Dy. Manager—1st July, 1977

(5) Shri N. Venkataraman, Pt. Dy. Manager—30th June, 1977.

(6) Shri K Sundaramurthy, Pt. Dy. Manager—30th June, 1977.

(7) Shri S. Lakshminarayanan, Pt. Dy. Manager—30th June, 1977

(8) Shri B. C. Paul, Pt. Dy. Manager—30th June, 1977.

(9) Shri H L Sharma, Pt. Dy. Manager—11th July, 1977.

(10) Shri R. Shiva Prasad, Pt Dy. Manager—20th August, 1977.

(11) Shri S. K. Ghosh, Pt. Dy. Manager—20th August, 1977.

(12) Shri B. Dutt, Offg. Dy. Manager—20th August, 1977.

(13) Shri A. K. Chatterjee, Offg Dy. Manager—20th August, 1977.

(14) Shri A. B. Lal, Offg. DADG—20th August, 1977

(15) Shri G. N. Banerjee, Pt. Dy. Manager—20th August, 1977.

No. 79/G/77.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers as Offg Dy. Manager with effect from the date shown against them, until further orders .—

(1) Shri A. K. Biswas, AM(Prob)—30th June, 1977.

(2) Shri A K Mukhopadhyay, AM(Prob)—30th June, 1977.

(3) Shri K. Viswanathan, AM(Prob)—30th June, 1977

(4) Shri Benedict Munj, AM(Prob)—30th June, 1977.

(5) Shri Muni Lal, AM(Prob)—30th June, 1977.

(6) Shri Gouri Sankar, Offg AM—30th June, 1977.

(7) Shri Amarjit Singh, AM(Prob)—30th June, 1977.

(8) Shri R. P. Pande, AM(Prob)—30th June, 1977.

No. 80/G/77.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers as Offg Asstt. Manager with effect from the date shown against them, until further orders .—

(1) Shri Y. R. Mundle, Pt. Foreman—20th August, 1977.

(2) Shri S. F. Mariados, Offg. Store-Holder—20th August, 1977.

The 26th November 1977

No. 81/77/G.—On attaining the age of superannuation (58 years), Shri Niratan Dey Offg. T.S.O. (Subst & Permt. Foreman) retired from service with effect from 30th Sept., 1977(AN).

M. N. SHUKLA
Asstt. Director General Ordnance Factories

MINISTRY OF LABOUR

COAL MINES LABOUR WELFARE ORGANISATION

Dhanbad, the 3rd December 1977

No. Admn 12(7)72.—Smt N. Banerjee, Welfare Administrator, Coal Mines Welfare Organisation, Dhanbad a group 'B' officer, on attaining the age of superannuation, retired from service under the Coal Mines Lebour Welfare Organisation in the afternon of the 30th September, 1977.

H. H. QURAISHY
Addl. Coal Mines Welfare Commissioner
Dhanbad.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi-110011, the 2nd December 1977

No. 12/745/72-Adm.(G).—The President is pleased to accept the resignation of Shri B S Kadam, Assistant Director (Gr.I) (Leather/Footwear) in the Small Industries Development Organisation from the Government Service with effect from the forenoon of 11th May, 1977.

V. VENKATRAYULU
Dy. Director (Admn.)

ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-12, the 5th December 1977

No F 92-82/77-Estt./26516.—Dr. R. H. Kamble is hereby appointed to the post of Assistant Zoologist (Group B) in the scale of Rs. 650—1200 in the Western Regional Station, Zoological Survey of India, Pune, in a temporary capacity with effect from 30th November, 1977 (forenoon), until further orders.

Dr. T. N. ANANTHAKRISHNAN
Director,
Zoological Survey of India

OFFICE OF THE REGIONAL ENGINEER (EAST) ALL INDIA RADIO

Calcutta-700001, the 18th October 1977

ORDER

No. 1(752).—In pursuance of sub-rule (i) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Services) Rules, 1965, the undersigned, as head of office, hereby gives notice to Shri Nityananda Sarkar, Iffg. Carpenter, office of the Regional Engineer (East), All India Radio, Calcutta that his srevices shall stand terminated with effect from the date of expiry of one month from the date on which this notice is published in the official Gazette

D. N. DEY
Dy Regional Engineer (P)

DIRECTORATE GENERAL, ALL INDIA RADIO

New Delhi-1, the 30th November 1977

No. 3/9660-SII.—Director General, All India Radio, is pleased to appoint Shri Ershad Ali, Senior Accountant, Central Sales Unit, All India Radio, Bombay to officiate as Administrative Officer at All India Radio, Imphal with effect from 14-11-77(F.N.) until further orders.

S. V. SESHADRI
Deputy Director of Admn.
for Director General

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 29th November 1977

No A-12025/6/76-D—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri K. M. Verma to the post of Technical Officer in the office of the Assistant Drugs Controller (India), Bombay on a purely temporary basis with effect from the forenoon of the 3rd November, 1977 and until further orders

R. BALASUBRAMANYAN
Deputy Drugs Controller (India)
for Director General of Health Services.

New Delhi, the 24th November 1977

No A.31014/3/77(HQ)Admn.I—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri S C. Jain in a substantive capacity to the permanent post of Health Education Officer (Primary Education), Central Health Education Bureau, Directorate General of Health Services with effect from the 29th June, 1976.

The 30th November 1977

No. A 12024/1/76-Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr Kuldip Kaushik in the post of Dental Surgeon at the Central Government Health Scheme, Allahabad with effect from the forenoon of 4th March, 1977 on an ad-hoc basis and until further orders.

The 3rd December 1977

No. 19-20/74-Admn.I.—Consequent on his selection to the post of Assistant Director (Pharmacology), Government Medical Stores Depot, Madras, Dr. S. Jayasundar relinquished charge of the post of Senior Research Officer, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research, Pondicherry on the afternoon of 31st October, 1977.

No. A.12026/19/77(JIP)Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Kumari G. Anuradha Demonstrator, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research, Pondicherry to the post of Scientific Officer-cum-Tutor (Physiology) at the same Institute with effect from the forenoon of 7th November, 1977 on an *ad-hoc* basis until further orders.

CORRIGENDUM

No. A.31013/4/77(HQ)Admn I.—In the Directorate General of Health Services notification No. A.31013/4/77 (HQ)Admn I, dated 30th September, 1977 *for* 'Nursing Adviser' *read* 'Nursing Officer'.

S. L. KUTHIALA, Dy. Dir. Admn. (O&M)

New Delhi, the 29th November 1977

No A.12025/5/76-SI.—The President is pleased to appoint Dr. S Jayasunder as Assistant Director (Pharmacology) in the Biological Laboratory and Animal House, Medical Store Depot, Madras with effect from the forenoon of 1st November, 1977.

SANGAT SINGH, Dy. Dir Admn. (Stores)

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 6th December 1977

No F.4-5(88)/77-A.III—Shri K. Suryanarayana, Assistant Marketing Officer, is appointed to officiate as Marketing Officer (Group I) on purely short term basis at Nagpur with effect from 31-10-1977 (FN), for a period not exceeding three months or until regular arrangements are made, whichever is earlier.

2. On his promotion as Marketing Officer Sh. Suryanarayana relinquished charge of the post of Assistant Marketing Officer at Hyderabad in the after-noon of 29-10-1977

No F.4-5(89)/77-A.III—Shri J. N Rao, Assistant Marketing Officer, is appointed to officiate as Marketing Officer (Group I) at Nagpur with effect from 14-11-77 (FN) on purely short-term basis for a period not exceeding 3 months or until regular arrangements are made, whichever is earlier

(2) On his promotion as Marketing Officer, Shri Rao relinquished charge of the post of Assistant Marketing Officer (Group I) at Guntur in the afternoon of 2-11-77.

No. F 4-6(116)77-A.III—The short term appointment of Shri H N. Shukla to the post of Assistant Marketing Officer (Group I) sanctioned up to 24-12-77 vide this Directorate's Notifications of even No dated 11-4-77 and 3-10-77, has been extended for a further period not exceeding three months or until regular arrangements are made, whichever is earlier

No. F 4-6(117)/77-A III.—The short term appointment of Shri S P. Saxena to the post of Assistant Marketing Officer (Group I) notified for a period of 6 months with effect from 17-5-77 (F N.) vide this Directorate's Notification of even No. dated 10-6-77, has been extended for a further period not exceeding three months or until regular arrangements are made, whichever is earlier.

No F.4-6(118)/77-A.III—The appointment of Shri N. G Shukla to the post of Assistant Marketing Officer (Group I) on short-term basis for a period of 6 months with effect from 13-6-77, notified *vide* this Directorate's Notification of even No. dated 18-7-77, has been extended for a further period not exceeding three months or until regular arrangements are made, whichever is earlier.

No F 4-6(119)/77-A.III.—The short term appointment of Shri R. C Singhal to the post of Assistant Marketing Officer (Group I) sanctioned up to 8-12-77 vide this Directorate's Notifications of even number dated 19-3-77 and 1-10-77, has been extended for a further period not exceeding three months or until regular arrangements are made, whichever is earlier

V. P CHAWLA, Dir of Admn.
for Agricultural Marketing Adviser to the Govt. of India

Nagpur, the 5th November 1977

No. F 5/11/77-DII.—For the purpose of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) Customs Notification No 124 dated 15-9-1962, I hereby authorise the following officers to issue Certificate of Grading from the date of issue of this notification in respect of Myrobalans which have been graded in accordance with the provisions of Myrobalans Grading and Marking Rules as amended from time to time and formulated under Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marketing) act 1937 (1 of 1937) :—

Name and Designation

1 Shri M M Dhume—Dy. Senior Marketing Officer
2 Shri G. H Dhankar—Assistant Marketing Officer

J. S. UPPAL
Agricultural Marketing Adviser to the Govt. of India

DELHI MILK SCHEME

New Delhi-110008, the 2nd November 1977

No. 3-20/77-Estt(Spl).—Chairman, Delhi Milk Scheme is pleased to appoint Shri Maroo Ram, as Accounts Officer (Group 'B' Gazetted) in the Delhi Milk Scheme on deputation with effect from 18-11-1977 (AN) until further orders

GORAKH RAM, Chairman

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION

Bombay-5, the 8th November 1977

No PPED/3(262)/76-Adm 15212—In continuation of this Division's notification of even number dated September 21, 1977 Shri H. H. Shah, a permanent Upper Division Clerk and officiating Selection Grade Clerk of this Division who was appointed as Assistant Personnel Officer, in the same Division in a temporary capacity w.e f the forenoon of September 1, 1977 to the afternoon of October 11, 1977 vice Shri T T. Pishoti, Assistant Personnel Officer, deputed for training continued to hold temporary charge of the same post upto the afternoon of October 13, 1977

The 21st November 1977

No PPED/3(236)/77-Adm /15539—Director, Power Projects Engineering Division, Bombay is pleased to appoint S/Shri S K Pandit, a quasi permanent Draughtsman 'C' and I. K. Bhatia, a temporary Scientific Asstt 'B' of this Division, as Scientific Officers/Engineers, Grade 'SB' in the same Division, in a temporary capacity with effect from the forenoon of August 1, 1977 until further orders

B. V THATTE
Administrative Officer

Bombay-5, the 16th November 1977

No PPED/3(240)/77-Adm/15364—The undermentioned personnel who are at present serving in the Units of the Department of Atomic Energy as shown against each are appointed in a substantive capacity in the Assistant Administrative Officer's grade in the scale of pay of Rs 650-30-740-35-880-EB-40-960 in teh Centralised Cadre of the Department of Atomic effect from 1-8-1977.

Sl. No.	Name of the individuals	Present Grade	Name of the Project Unit where working at present	Remarks
1	2	3	4	5
1	Shri T T. Pishori	Assistant Personnel Officer	P.P E D.	Quasi-Permanent Asstt Personnel Officer in P P E.D
2	Shri R K. Bali	Administrative Officer-III	H W.Ps	Permanent Personal Assistant in P.P E.D. Pool and officiating Administrative Officer III in H. W Ps, Kota.

M. R. SRINIVASAN,
Director

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Bombay-400 001, the 8th November 1977

No. DPS/2/1(16)/77-Adm /32987.—In continuation of this Directorate Notification of even number dated August 22, 1977 Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri Parari Kizhakkodan Radhakrishnan, Officiating Storekeeper in the Stores Unit (DPS), VEC Project at Calcutta as an Assistant Stores Officer on an ad hoc basis in the same Directorate for a frurther period ending December 31, 1977.

B. G. KULKARNI
Asstt. Personnel Officer

MADRAS ATOMIC POWER PROJECT

Kalpakkam-603 102, the 22nd October 1977

No. MAPP/5(27) /73-Adm —Shri N. V. Ramanan, a permanent Stenographer in BARC and officiating Assistant Personnel Officer in the Madras Atomic Power Project is appointed in a substantive capacity in the Madras Atomic Power Project in the Assistant Administrative Officers Grade in the Centralised Cadre against the permanent posts of Assistant Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—960 in the MAPP with effect from August 1, 1977.

The 24th October 1977

No. MAPP/5(27)/73-Adm.—Shri K. Balakrishnan, Officiating Administrative Officer III in the Madras Atomic Power Project is appointed in a substantive capacity in the Madras Atomic Power Project in the Assistant Administrative Officers Grade in the Centralised Cadre against the permanent posts of Assistant Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—960 in the Madras Atomic Power Project with effect from the forenoon of August 1, 1977.

M R SRINIVASAN,
Director
Power Project Engineering Division

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 30th November 1977

No E(I)03302 —On attaining the age of superannuation, Shri J V Narayana, Assistant Meteorologist, Office of the Director, Regional Meteorological Centre, Madras, India Meteorological Department retired from Government service with effect from the afternoon of 31st October, 1977.

The 6th December 1977

No E(I)00939 —The Director General of Observatories, hereby appoints Shri Surya Bali as Assistant Meteorologist in the Indian Meteorological Service, Group B (Central Civil Service, Group B) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 2nd November 1977 and until further orders.

Shri Bali is posted to Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi

G. R. GUPTA, Meteorologist
for Director General of Observatories

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 19th October 1977

No A 32014/2/77-EC —The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following two Communication Assistants as Assistant Communication Officers on a regular basis until further orders with effect from the 7th September, 1977 (FN) and to post them at the Stations indicated against each —

S. No	*Name*	*Station of posting*
1.	Shri Y B. Bhopatkar	ACS Bombay
2.	Shri A. Viswanathan	ACS Bombay.

The 3rd December 1977

No. A.12025/3/76-HW.—The President is pleased to appoint Shri L. C Gupta to the post of Electrical & Mechanical Officer in the Civil Aviation Department, in the scale of pay Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300 in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 24th October, 1977 and until further orders.

Shri L C Gupta is posted to the Office of the Regional Controller of Acrodromes, Bombay Region, Bombay.

S D SHARMA, Dy. Dir of Admn

FOREST RESEARCH INSTITUTE AND COLLEGES

Dehra Dun, the 3rd December 1977

No 20/378/75-Ests-I.—The President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun, is pleased to appoint Shri K S Pruthi, Research Assistant Grade-I (S G.) as Research Officer on ad hoc basis at the Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun with effect from the forenoon of 5th October, 1977, until further orders

P. R. K. BHATNAGAR
Kul Sachiv
Van Anusandhan Sansthan Evam Mahavidyalaya

COLLECTORATE OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

CENTRAL EXCISE DEPARTMENT

Guntur, the 26th October 1977

No 5/77—The following Deputy Superintendent (Curt) and the Inspectors of Control Excise, (S G) have been appointed to officiate until further orders as Superintendent of Central Excise, Group 'B' in the Central Excise Collectorates, Guntur, They have assumed charge as Superintendents of Central Excise Group 'B' on the dates noted against each

Sl No	Name of the Officer	Station	Date of assumption of charge as Superintendent of Central Excise, Group 'B'
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	B V. Subbaiah Deputy Supdt (Curt)	MOR Kanchikacherla	11-7-1977
2.	T Lakshmana Rao	Narasapur Shore Guard Party	4-8-1977
3	A. Venkatasubba Rao	Masulipatnam Shore Guard Party	4-8-1977
4	P. C. Cherian	Kothapatnam Shore Guard Party Hqrs. Ongola	22-9-1977
5.	R L Narasimharao	Kalingapatnam Shore Guard Party Hqrs. Srikakulam.	2-8-1977
6	K. Durgaprasad	I.D O II Guntur	9-8-1977
7.	N Narasimha Rao	MOR Chintalapudi	9-8-1977

No. 6/77.—The following Superintendents of Central Excise, Group 'B' retired from service on attaining the age of Superannuation with effect from the dates noted against each .

Sl. No.	Name of the Officer	Permt./ Offg.	Station	Date of retirement from service
1	2	3	4	5
	S/Shri			
1	K. R. K. Sarma Chillara	Permt.	M O R II Eluru	31-7-77 A N.
2.	T Surya Rao	Offg	I D O. II Visakhapatnam	31-7-77 A N.
3	K. Sundararaman	Permt.	MOR Vatapalem	30-9-77 A.N.

C. BHUJANGASWAMY
Collector

MINISTRY OF WORKS, HOUSING, SUPPLY AND REHABILITATION

(DEPARTMENT OF REHABILITATION)

REHABILITATION RECLAMATION ORGANISATION OFFICE OF THE CHIEF MECHANICAL ENGINEER

Jeypore-764 003 (Orissa), the 29th November 1977

No. P.2/97/77-Vol.II —On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, Shri C. L. Gupta, Office Superintendent in the Office of the Chief Mechanical Engineer, Rehabilitation Reclamation Organisation, Jeypore (Orissa) is promoted to the post of Assistant Administrative Officer (General Central Service Group 'B') in the scale of Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—960 with effect from the forenoon of 24-11-77. He is kept on probation for a period of 2 years, effective from the said date.

2 Shri C. L Gupta assumed the charge of the post of Assistant Administrative Officer in Division-IV, Rehabilitation Reclamation Organisation at Shahpura, District Betul (MP) on the forenoon of 24-11-1977.

M. PATTANAIK
Lt. Col. (Retd)
Chief Mechanical Engineer

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS
(COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES,

MAHARASHTRA, BOMBAY

Bombay, the 30th July 1977

Co. No. 23645/Liq.—Notice is hereby given pursuant to section 445(2) of the Companies Act, 1956 that M/s Kailas Castings P Ltd has been ordered to be wound up by an order dated 30-4-1976 passed by the High Court of Maharashtra and that the Official Liquidator attached to the High Court of Maharashtra has been appointed as the Official Liquidator of the company.

V. Y. RANE
Asstt Registrar of Companies,
Maharashtra, Bombay

Bombay, the 19th November 1977

Co No 12377/Liq.—Notice is hereby given pursuant to section 445(2) of the Companies Act, 1956 that M/s Enwico Pvt Ltd has been ordered to be wounded up by an order dated 15-11-1976 passed by the High Court of Maharashtra and the Official Liquidator attached to the High Court of Maharashtra has been appointed as the Official Liquidator of the company

---

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s New Karnatak Trading Company (Pvt) Ltd.

Bombay-2, the 1st December 1977

No. 5203/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s New Karnatak Trading Co. Pvt Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved

---

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Shri Construction Company Ltd

Bombay-2, the 1st December 1977

No 6356/560(5) —Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Shri Construction Company Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Thermometer & Glass Instruments Private Limited.

Bombay-2, the 1st December 1977

No. 13112/560(5) —Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Thermometers & Glass Instruments Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved

---

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Sandesh Trading & Finance Private Limited

Bombay-2, the 1st December 1977

No 16488/560(5) —Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sandesh Trading & Finance Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Chemica India Private Limited

Bombay-2, the 1st December 1977

No 7875/560(5) —Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Chemica India Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved

---

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s The Industrial Stores Co (Hyderabad) Pvt Ltd.

Bombay-2, the 1st December 1977

No. 8434/560(5) —Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s The Industrial Stores Co. (Hyderabad) Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is disolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Polly Propolene Products (Private) Limited

Bombay-2, the 1st December 1977

No 17310/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Polly Propolene Products (Private) Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Vidarbha Cements Limited

Bombay-2, the 1st December 1977

No 17623/560(5) —Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Vidarbha Cements Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved

SHRI RAM
Asstt Registrar of Companies
Maharashtra Bombay

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Chandi Brothers Private Limited

Calcutta, the 29th November 1977

No 8564/560(3) —Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Chandi Brothers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved

---

In the matter of the Companies Act 1956 and of Devendra Mills Limited

Calcutta, the 29th November 1977

No 12734/560(3) —Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Devendra Mills Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be disolved

S. C NATH
Asstt Registrar of Companies
West Bengal

NOTICE UNDER SECTION 445(2)

In the matter of the Companies Act, 1956
M/s Seagull Benefits Pvt. Ltd

Ahmedabad-380009, the 3rd December 1977

No 1464/Liquidation.—By an order dated 4-7-1977 of the High Court of Gujarat at Ahmedabad in Company Petition No 5 of 1977, it has been ordered to wind up M/s Seagull Benefit Pvt Ltd.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s Asian Rayon & Silk Manufacturing Co. Private Limited

Ahmedabad, the 6th December 1977

No 2132/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Asian Rayon & Silk Manufacturing Co Pvt Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved

P. T. GAJWANI
Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act 1956
and
In the matter of "Mobiles and Structurals Private Limited"
(Section 445 of the Companies Act 1956)

Madras, the 1st December 1977

No. 4686/C Liqn/445/77.—Notice is hereby given that by an order of the High Court of Judicature at Madras, dated 2-8-1977 passed in C P. No 47 of 1976, the Company "Mobiles and Structurals Private Limited" was wound up

---

In the matter of the Companies Act 1956
and
In the matter of "Jannet Chit Funds Private Limited"
(Section 445 of the Companies Act 1956)

Madras, the 1st December 1977

No 5800/C Liqn/445/77.—Notice is hereby given that by an order of the High Court of Judicature at Madras, dated 2-2-1973 passed in C P No 80 of 1972 the Company "Jannet Chit Funds Private Limited" was wound up.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Akhila Ulaga Tamil Ezhuthalar Mandram Private Limited

Madras-600006, the 6th December 1977

No 5256/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Akhila Ulaga Tamil Ezhuthalar Mandram Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Madras Insul Agencies Private Limited

Madras-600006, the 6th December 1977

No 5417/560(5)/77.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Madras Insul Agencies Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved

C. ACHUTHAN
Asstt Registrar of Companies,
Tamil Nadu,, Madras

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Uma Hotel Private Limited

Cuttack, the 3rd December 1977

No A-630/77-425/(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Uma Hotel Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

Sd/- ILLEGIBLE
Registrar of Companies,
Orissa

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380 009, the 2nd December 1977

Ref No. P. R No 537 Acq. 23-959/7-4/77-78.—Whereas I, S C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No.
Ward No 6, S No. 266/1, Tika No. 56, CTS No. 3042 paiki No. 10 & 11, situated at Ashanagar Society, Navsari, Dist. Valsad
(and more fully described in
the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Navsari on 19-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Secon 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsecion (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Dayalji bhai Govindji Patel,
Sudha Bldg., Corner of 7th & 12th Way,
Khar, Bombay-52.

(Transferor)

(2) Smt Manjulaben Kwinchandra Parikh,
111-B, Atlas Apartment,
11th Floor, Hornkans Road,
Bombay-6.

2. Smt. Sarayuben Jitendra Parikh,
Queens View, D-1, 4th Floor,
Valkeshwar Road,
Bombay-6

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Ward No. 6, S. No. 266/1, Tika No. 56, City Survey No 3042 paiki plots No 10 & 11, situated at Ashanagar Society, Navsari, admeasuring 12510.6 sq. ft. as described in the sale deed registered under registration No. 1822 in the month of April, 1977 by registering officer Navsari

S. C PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Dated : 2-12-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
LUCKNOW

Lucknow, the 3rd December 1977

Ref No. R-123/Acq —Whereas I, AMAR SINGH BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/-
situated at Civil Lines, Moradabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Moradabad in April 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chunni Lal Chaddha

(Transferor)

(2) 1 Smt Raj Rani
2. Smt Shanti Rani and
3. Smt Shakuntala Rani.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3 Portion of Kothi situated at Civil Lines Moradabad as mentioned in Registration Deed No. 753 of April 1977 of the Registering Authority Moradabad.

AMAR SINGH BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date . 3-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
LUCKNOW

Lucknow, the 3rd December 1977

Ref. No V-36/Acq.—Whereas I, AMAR SINGH BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
253-Sohbatia Bagh,
Rs 25,000/- and bearing No.
situated at Allahabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Allahabad on 22-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Om Prakash
(Transferor)

(2) Shri Vasu Dev Mishra.
(Transferee)

(3) Vasu Dev Mishra.
[Person in occupation of the property]

(4) Shri Prakash and Ram Prakash.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the propety]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of thirty days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 253-B, Mohalla Sohbatia Bagh, Allahabad
Total area including Land & Building—115.73 Sq Meter
Double Storey.
Towards North to South-East—54 Ft 6 Inches
Towards North to South-West—44 Ft 6 Inches.
Towards East to West-South—25 Ft.

Boundry

East—House Sri Bishambhar Nath Singh.
West—House No 254 Smt Bela Devi
North—Road.
South—House No 253—Sri Shitla Prasad

All above as mentioned in Form No 37-G of No. 1338 dated 22-4-1977 in the Office of Sub-Registrar, Allahabad

AMAR SINGH BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date . 3-12-1977

Seal :

FORM ITNS..

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
KAKINADA

Kakinada, the 2nd December 1977

Ref. No Acq. F. No. 520 —Whereas I, N. K. NAGARAJAN,

being the competent authority under section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 11-64-49 to 52, situated at Vijayawada (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Vijayawada on 4-4-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfeee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Gundupalli Bangaramma,
2. G. Parasuram,
Door No. 23-4-20, Satyanarayanapuram,
Vijayawada-11.
(Transferor)

(2) 1. Shaik Hassan Saheb,
2. Shaik Chand Saheb,
Door No 11-8-62, Jagannadham St., Islampet,
Vijayawada-1
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 527/77 registered before the Sub-Registrar, Vijayawada during the fortnight ended on 15-4-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date 2-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE,
KAKINADA

Kakinada, the 2nd December 1977

Ref. No Acq F. No. 521 —Whereas I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 14-11-1, situated at Vizag
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Visakhapatnam on 11-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1 Digumarthi Viswanadha Rao,
2. D Venkata Ramarao,
Both Represented by GPA Holder
Sri Jogendra Jagannadha Swamy, RMP
Digumarthi House, Giri Road, Berhampur, Orissa State.

(Transferor)

(2) Shrimati Lilly Krishnan Nair, W/o A. P. Krishnan Nair,
Ramajogipeta, Door No. 14-11-1, Maharanipeta, Visakhapatnam

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA in the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 774/77 registered before the Sub-registrar, Visakhapatnam during the fortnight ended on 15-4-1977

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date 2-12-1977
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
KAKINADA

Kakinada, the 2nd December 1977

Ref No. Acq F. No. 522.—Whereas I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. RS No. 38/2, 40/1 & 40/2,
situated at Cherukuvada
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of Registering Officer at Undi on 14-4-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exeeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act,' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) 1. Naraganeni Umamaheswararao,
2 N. Kishore,
3. Sivasankar Kumar } Minors by guardian
4. Durga Malleswara Gagarin } father Sri N. Uma
5. Srisaila Bramarambeswarlal } Maheswara Rao.
6 Tirumaleswara Armstrong }
Undi,
Bhimavaram Taluk, W.G. Dt.

(Transferor)

(2) 1 Karimeraka Satyanarayana, S/o Achanna,
2 Karimeraka Narasimhamurty, S/o Achanna,
Undi,
Bhimavaram Taluk, W.G. Dt

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 456/77 registered before the Sub-registrar, Undi, during the fortnight ended on 15-4-1977

N K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 2-12-1977

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 3rd December 1977

Ref No. Acq F. No. 526.—Whereas I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No RS No. 817, situated at Amalapuram
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Amalapuram on 2-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Vampolu Laxmi Kantam, W/o Nookaraju,
Tatavarthi Street, Amalapuram.

(Transferor)

(2) Shrimati Dunnala Satyavathi, W/o Venkateswararao,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 1208/77 registered before the Sub-Registrar, Amalapuram during the fortnight ended on 15--1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date 3-12-1977
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 3rd December 1977

Ref. No Acq F. No. 525.—Whereas I, N. K. NAGARAJAN,
(hereinafter referred to as the 'Said Act'),
have reason to believe that the immovable property,
having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 23/1, situated at Ravulapadu
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of Registering Officer at Gudivada on 21-5-1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Tadinada Raja Gopala Rao, S/o Venkata Ramaiah,
Venkata Ramana Stores, Srinivasa Buildings, Guntur-2.

(Transferor)

(2) Smt. Golla Chittemma, W/o Satyam, Ravulapadu. Guruvindagunta (P.O.), Gudivada Tq, Krishna Dist

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 1262/77 registered before the Sub-Registrar, Gudivada during the fortnight ended on 31-5-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 3-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
KAKINADA

Kakinada, the 3rd December 1977

Ref No Acq. F No 524 —Whereas I, N K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs 25,000/- and bearing
26/5, situated at Ravulāpadu
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer
at Gudivada on 14-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect o fany income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

12—386GI/77

(1) Shri Tadinada Raja Gopala Rao, S/o Venkata Ramaian,
Venkata Ramana Stores, Srinivasa Buildings, Guntur-2.
(Transferor)

(2) Shri Golla Gandhi, S/o Satyam, Ravulapadu, Guruvindagunta (P O), Gudivada Tq , Krishna Dist.
(Transferee)

(3) (i) Sh B S Bindra, SDO/MES.
(ii) Sh Vasdev Chhabra, Education Deptt Haryana,
(iii) Sh J P Gupta, Ministry of Transport.
(iv) Sh Amrit Kumar Mehta, Modella Woollen.
(Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATIONS—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 713/77 registered before the Sub-registrar, Gudivada during the fortnight ended on 15-4-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 3-12-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

KAKINADA

Kakinada, the 3rd December 1977

Ref No. Acq. F No 523—Whereas I, N K. NAGARAJAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing D2 & D3, situated at Chilakalapudi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Machilipatnam on 21-4-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the

aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisiton of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Puligadda Sarasa Rao,
2. P. V. K. Mohan Rao,
Minor by guardian father P. Sarasarao,
27-39, Kojjillipeta, Machilipatnam.
(Transferor)

(2) Shri Singaraju Gurunath Prasad,
Victory Industries, Industrial Estate,
Machilipatnam.
(Transferee)

(4) Andhra Pradesh State Financial Corporation,
P.B No. 165, 5-9-184, Chirag Ali Lane,
Hyderabad-500001.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the propety]

Objections, if any, to the acquisiton of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms aand expressions used here as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 1005/77, registered before the Sub-Registrar, Machilipatnam during the fortnight ended on 30-4-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 3-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
KAKINADA

Kakinada, the 3rd December 1977

Ref No. Acq. F. No. 527.—Whereas I, N K. NAGARAJAN,
being the competent authority under section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
RS 817, situated at Amalapuram
(and more fully descried in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Amalapuram on 25-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby intiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Vampolu Laxmi Kantam, W/o Nookaraju, Tatavarthi Street, Amalapuram
(Transferor)

(2) Smt. Gurram Audi Laxmi, W/o Subbarao, Bendamoorlanka, Amalapuram.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 1670/77 registered before the sub-Registrar, Amalapuram during the fortnight ended on 30-4-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner or Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 3-12-1977

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 4th December 1977

Ref No. Acq/514-4/Dehradun/77-78/5321.—Whereas I, R. P BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No
As per Schedule
situated at As per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Dehradun on 2-5-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Col. Sarwan Singh Sidhu
S/o S. Bhagwan Singh Sidhu
H No 319, Sector 33-A,
Chandigarh-160020

(Transferor)

(2) Shri Jagdish Raj Bammi
S/o Late Shri Des Raj Bammi
Macneill & Magar Limited
2, Fairlie Place,
Calcutta-700 001.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of House Property situated at Village Majra, Pargana Central Doon, Distt Dehradun, transferred for an apparent consideration of Rs. 1,15,000/-

R. P. BHARGAVA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date . 4-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
JAIPUR

Jaipur, the 6th December 1977

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/376.—Whereas I, CHUNNI LAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
Plot No 28/B, situated at Jhotwara, Jaipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jaipur on 10-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) B K Patodia Prop. of M/s Narain Udyog, Krishna Marg, C-Scheme, Jaipur.

(Transferor)

(2) M/s Pratap Engineering Works, 28/B, Industrial Area, Jhotwara, Jaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned, :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 28/B, Industrial Area, Jhotwara, Jaipur morefully described in the conveyance deed registered by the Sub-Registrar, Jaipur at S. No. 330 dated 10-3-1977

CHUNNI LAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur

Date : 6-12-1977

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
9, FOREST PARK, BHUBANESWAR-9

Bhubaneswar-9, the 5th December 1977

Ref. No. 59/77-78/IAC(A/R)/BBSR.—Whereas I, A. N. MISRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
H.S. Khunti No. 13, 24, Situated at Khetrajpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sambalpur on 24-3-1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shyam Sundar Poddar

(Transferor)

(2) Shri Abjee Bhai Patel.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Royati land located at Mouza-Khetrajpur, Sambalpur under the jurisdiction of sub-Registrar, Sambalpur and registered by sale document No. 511 dated 24-3-1977.

Ao N. MISRA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhubaneswar

Date : 5-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
9, FOREST PARK, BHUBANESWAR-9

Bhubaneswar-9, the 5th December 1977

Ref No. 60/77-78/IAC(A/R)/BBSR.—Wheras I, A. N. MISRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable poperty having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Thana No 25, situated at Mouza-Remed
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sambalpur on 16-5-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to belive that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Radha Kishan Agarwala
2. Shri Sitaram Agarwala
3. Smt. Sabitri Devi
4. Shri Nanda Kishore Agarwala.

(Transferor)

(2) Shri Naranbhai Atmaramdas Patel, partner of M/s. Paras Surgicals

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1 Acre of land located at Mouza-Remed, Sambalpur under the jurisdiction of Sub Registrar, Sambalpur and registered by sale document No. 957 dated 16-5-1977.

A. N. MISRA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhubaneswar

Date : 5-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

MADRAS-6

Madras-6, the 21st November 1977

Ref. No F 3813/76-77.—Whereas I, K PONNAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
situated at Property covered by Doc. No. 380/77 registered at Madhurantagam
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Madhurantagam (Doc No 280/77) on March 1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value
of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Ramasami Pillai
S/o Shri Veerasami Pillai
Smt. Govindammal
W/o Shri Ramasami Pillai
72, Thimmapuram

(Transferor)

(2) Shri Durasami Gounder,
Shri Natesa Gounder,
Shri Chinnappa Gounder,
Shri Arumuga Gounder;
Shri Rengasami Gounder and
Shri Jayarama Gounder
S/o Shri Ishtappa Gounder.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property situated at Sathamai village (Pudupet Panchayat) covered by Doc No 380/77 registered at Sub Registrar's office, Madhurantagam in March 1977

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 21-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 24th November 1977

Ref No. 3816/76-77.—Whereas I, K PONNAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Thillai Lodge,
situated at Vecmacavundanpalayam, Pondicherry-9
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
Ozhukarai (Doc No 197/77) on 8-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act,' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

13—386GI/77

(1) Shri Thillai Kanagaraj and
Smt Thillai Perambigai
No 4 Illango Nagar,
Pondicherry. (Transferor)

(2) Shri P N. Venkatesan
No 48 West Bouleward
Pondicherry. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property known as Thillai Lodge, Vecmacavundanpalaya Pondicherry-9
(Doc No. 197/77 Ozhukarai)

K PONNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date 24-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 21st November 1977

Ref. No F 3821/76-77.—Whereas I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
T S. No 2319/P,
situated at Block No 72, Ward No. 2 Thanjavur Municipal area (vacant site)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Karuthattangudi (Doc. No 213/77) on 15-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri A. Y. S. Parisutha Nadar
Pookkara Street, Thanjavur

(Transferor)

(2) Shri P. Amburose
S/o Shri Packiasamy Pillai
2634, Pookkara 3rd St,
Thanjavur

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Vacant site admeasuring 15,033 Sq. ft. and bearing T S No. 2319/P-Block No. 72—Ward No 2 situated at Thanjavur Municipal area.

K PONNAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date . 21-11-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 24th November 1977

Ref. No. F. 4257/76-77—Whereas I, K. PONNAN, being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Door No. 25,
situated at Krishnamoorthy Thottam, Karungalpalayam, Erode (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at JSR I, Erode (Doc. No. 793/77) on 15-3-1977
for an apparent consideration which is less then the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri A. Jagannathan
S/o Shri M. Angamuthu Pillai
Door No. 25 Krishnamurthy Thottam,
Erode.
(Transferor)

(2) M/s. Maruthi Vessels (P) Ltd.
represented by its Director—
Smt. J. Mallika, W/o Shri A. Jagannathan,
No. 25 Krishnamoorthy Thottam,
Erode-3.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition o fthe said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building situated at Door No. 25 Krishnamoorthy Thottam, Karungalyalayam, Erode (Doc. No. 793/77 JSR I, Erode).

K. PONNAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date . 24-11-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 5th December 1977

Ref No. 4245/76-77.—Whereas I, K PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
Blue Mount Estate,
situated at Kotagiri & 13 01 acres (R.S No 60) in Maduhatty (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Kotagiri (Doc No 219/77) on 26-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Mr. Allan John Gonsalves &
2. George Gnanasiromani
College Road, Coonoor.
(Executors and Trustees under the Will of P T. Gnanasiromani Nadar—deceased)

(Transferor)

(2) 1. Mr. G T Soundara Pandiaraj, and
2. Marylene Jayanthi Pandiaraj (Minor)
(Minor by mother and natural guardian Smt. Janaki Soundara Raj)
Corsley, Kotagiri, Nilgiris Dt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the *Official Gazette*.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

9.38 acres bearing R S Nos. 674, 676/1A, 676/11, 676/12 and 676/13 and Door Nos 3/32, 3/34, 3/35 and 3/3 (Blue Mount Estate) in Kotagiri and 13.01 acres bearing R. S. No. 60 in Maduhatty village.

K. PONNAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 5-12-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 5th December 1977

Ref No F No 4245/76-77 —Whereas I, K PONNAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No Corsley D-Division,
situated at Kotagiri and 'Homelea' in Kotagiri
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kotagiri (Doc No 220/77) on 26-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the aid Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Mr. G T Soundara Pandiaraj
S/o P T. Gnanasiromani Nadar,
Corsley Estate,
Kotagiri, Nilgiris Dt

(Transferor)

(2) G Premsagar Pandiaraj (Minor)
S/o Shri G. T Soundara Pandiaraj
(Minor represented by his mother and natural guardian Mrs Janaki Soundararaj)
Corsley Estate,
Kotagiri, Nilgiris Dt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

20.30 Acres bearing R.S. Nos. 544, 549, 551/1, 551/2, 550/8 and 963 (Corsley D-Division) situated at Kotagiri and 2.59 acres bearing R.S. Nos. 550/3; 550/5 and 936/5 and Door Nos. 5/37, 5/38 and 5/39 (Homelea) situated at Kotagiri, Nilgiris Dt

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date . 5-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(D) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 5th December 1977

Ref No F. 4245/76-77.—Whereas I, K PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/ and bearing No Corsley B Division, Nos. 1/367 to 373, 373A, 374 to 377 in Jackanarai situated at Kotagiri & 4.18 acres (S. Nos. 2/1 & 2/2), Door (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kotagiri (Doc No 221/77) on 26-3-1977, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. G. T Soundara Pandia Raj
S/o Mr. P T. Gnanasiromani Nadar
Corsley Estate,
Kotagiri, Nilgiris Dt.

(Transferor)

(2) Mrs Janaki Soundara Raj
W/o Mr G. T. Soundara Pandiaraj
Corsley Estate,
Kotagiri, Nilgiris Dt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

19 47 acres bearing R.S. Nos 542, 544, 545 and 964 (Corsley B Division) in Kotagiri and 4.18 acres bearing S Nos 2/1 and 2/2 and Door Nos. 1/367 to 373, 373A, 374 to 377 situated at Jackanarai, Kotagiri, Nilgiris Dt.

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date 5-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 5th December 1977

Ref No. F 4245/76-77—Whereas I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No
Corsley B Division,
and Belvedore in Kotagiri
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Kotagiri (Doc No 222/77) on 26-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Mr. G T Soundara Pandiaraj
S/o Mr P T Gnanasiromani Nadar,
Corsley Estate,
Kotagiri, Nilgiris Dt.

(Transferor)

(2) G Vasantsagar Pandiaraj (Minor)
S/o Mr G. T. Soundara Pandiaraj
(Minor represented by his mother and natural guardian Mrs. Janaki Soundararaj)
Corsley Estate,
Kotagiri, Nilgiris Dt.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

20.22 acres bearing S. Nos. 544; 545, 547/1; 548; 549 and 937/2 (Corsley B Division) and 2.07 acres bearing R. S. Nos 548 and 967 and Door Nos. 5/2, 5/3 and 5/4 (Belvedore) situated at Kotagiri, Nilgiris Dt.

K. PONNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date 5-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 5th December 1977

Ref No F 4256/76-77—Whereas I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 - and bearing
S No 98A/2,
situated at Odanthurai village, Avinashi Taluk, Coimbatore (7 58 Acres)
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Mettupalayam (Doc No 277/77) on March 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Mr M. Habib Rowther
S/o Mohamed Meera Husain Rowther,
No 3/20 Big Mosque St
Mettupalayam

(Transferor)

(2) Shri S Veerasami (Minor)
S/o Shri V Subramaniam
(Minor represented by mother and natural guardian Smt Prema Subramaniam)
Cooperative Building Society Colony,
Mettupalayam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

7 58 acres bearing S No 99-A/2 situated at Odanthurai village, Avinashi Taluk, Coimbatore District.

K. PONNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date . 5-12-1977
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 5th December 1977

Ref. No F 4256/76-77—Whereas I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. S. No. 98A/1, 98A/4 & 100/2, situated at Odanthurai village, Avinashi Taluk, Coimbatore Dt. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mettupalayam (Doc No 276/77) on March 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

14—386GI/77

(1) Mr. M. Habib Rowther
S/o Mohamed Meera Husain Rowther,
No. 3/20 Big Mosque St.
Mettupalayam
(Transferor)

(2) S. Hari (Minor)
S/o Shri V Subramaniam
(Minor represented by mother and natural guardian Smt Prema Subramaniam)
Cooperative Building Society Colony,
Mettupalayam
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

13.20 Acres bearing S. Nos. 98-A/1, 98-A/4 and 100/2 situated at Odanthurai village, Avinashi Taluk, Coimbatore Dt

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 5-12-1977
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 7th December 1977

Ref. No F. 3812/76-77—Whereas I, K. PONNAN being the competent authority under Section 269B of the Income-tax. Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No
137/3, 137/4 & 137/1,
situated at Silambimangalam village (8 23 Acres)
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Portonovo (Doc. No 150/77) on 14-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt. Aiyeesha Beevi
W/o Shri A Basheer Ahmed

2 Shri A. Basheer Ahmed Sahib
No 16A Main Road, Bhuvanagiri,
Chidambaram.

(Transferor)

(2) Manipillai (Minor)
represented by mother & natural guardian—
Smt Sinnaponnu ammal, Samiarpettai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act,' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

8 23 acres of land bearing S Nos 137/3; 137/4 and 137/1-Silambimangalam village Doc No 150/77.

K PONNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date 7-12-1977
Seal .

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

MADRAS-6

Madras-6, the 7th December 1977

Ref No 3817/76-77.—Whereas I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No (Punja lands), situated at Irungattukottai village, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sriperumbudur (Doc No 244/77) on 10-3-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri K Thambiah Reddiar
residing at Irungattukottai village,
Sriperumbdur Taluk,
(Represented by General Power Agent—
Shri S Savarimuthu)
(Transferor)

(2) Madras Motor Sports club
1/18 Mount Road, Madras-2
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Punja lands situated in Irungattukottai village, Sriperumbudur Taluk (Doc No 244/77).

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 7-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 7th December 1977

Ref No F. No 3817/76-77.—Whereas I, K PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No (Punja lands)
situated at Irungattukottai village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Sriperumbudur (Doc No. 245/77) on 10-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Sri O Ponnuswami and
Sri Jagadeesan
Valarpuram village,
Sriperumbudur Taluk
(Represented by General Power Agent—
Sri S. Savarimuthu).
(Transferor)

(2) Madras Motor Sports club
1/18 Mount Road, Madras-2
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Punja lands situated in Irungattukottai village, Sriperumbudur Taluk—Doc. No 245/77

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 7-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 7th December 1977

Ref No. F 3817/76-77.—Whereas I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
(Punja lands), situated at Irungattukottai village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Doc No. 246/77 Sriperumbudur on 10-3-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri P Inniah Naidu,
P Jojammal and Y. Santhammal
(Represented by General Power Agent—
Shri S Savarimuthu)

(Transferor)

(2) Madras Motor Sports club
1/18 Mount Road, Madras-2

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Punja lands situated in Irungattukottai village, Sriperumbudur Taluk covered by Doc No. 246/77.

K. PONNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date 7-12-1977

Seal.

FORM ITNS——————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
MADRAS-6

Madras-6, the 7th December 1977

Ref. No. F No 3817/76-77.—Whereas I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No
(Punja lands), situated at Irungattukottai village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Sriperumbudur—Doc. No. 247/77 on 10-3-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :

(1) Shri Y. Selvaraj and
Smt Y. Thereesa
Valarpuram village,
Sriperumbudur Taluk
(Represented by General Power Agent—
Shri S. Savarimuthu).

(Transferor)

(2) Madras Motor Sports club
1/18 Mount Road, Madras-2

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Punja lands situated in Irungattukottai village, Sriperumbudur Taluk covered by Doc. No. 247/77.

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date 7-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

BIHAR

BORING CANAL ROAD, PATNA

Patna, the 9th December 1977

Ref. No. III-265/Acq/77-78/2179.—Whereas I, S. SARUP, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No 172, situated at village Baghauni Harshankar Pragana Saraiya, P S Tajpur, Dt Samastipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Samastipur on 8-4-1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jyant Kumar S/o
Shri Deoraj of Mohalla Moolchand Road,
Dt Samastipur

(Transferor)

(2) M/s. Mohan Steel & Rolling Mills
H O Safastipur through Shri Bharat Bhushan,
Managing Partner, S/o Shri Mohanlal of
Mohalla Moolchand Road,
Dt Samastipur.

(Transferee)

(3) The Transferee.
[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of and measuring 1 Bigha 2 Katha 1½ Dhur, situated at village Baghauni Harshankar, Pragana Saraiya P.S. Tajpur, Dt. Samastipur vide Deed No. 3011 dated 8-4-1977.

S. SARUP
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar
Patna

Date : 9-12-1977
Seal :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTICE

COMBINED DEFENCE SERVICE EXAMINATION

MAY, 1978

New Delhi, the 24th December 1977

No. F 8/9/77-EI(B).—A Combined Defence Services Examination will be held by the Union Public Service Commission commencing from 2nd May, 1978 for admission to the under mentioned courses :—

Name of the Course	*Approximate No of Vacancies*	
Indian Military Academy, Dehradun (66th Course commencing in January, 1979)	120	[Includes 32 vacancies reserved for N.C.C 'C' Certificate (Army Wing) holders].
Naval Academy, Cochin (Course commencing in January, 1979)	42	
Officers' Training School, Madras (29th Course commencing in May, 1979)	150	

NOTE *I*.—NCC 'C' Certificate (Army Wing) holders may also compete for the vacancies in the Naval Academy and Short Service Commission (Non-Technical) Courses, but since there is no reservation of vacancies for them in these courses, they will be treated as general candidates for the purpose of filling up vacancies in these Courses Candidates who have yet to pass NCC 'C' Certificate (Army Wing) examination, but are otherwise eligible to compete for the reserved vacancies, may also apply but they will be required to submit the proof of passing the NCC 'C' Certificate (Army Wing) examination to reach the Commission's office by 30th December, 1978

NOTE *II*.—In the event of sufficient number of qualified NCC 'C' Certificate (Army Wing) holders not becoming available on the results of the examination to fill all the vacancies reserved for them in the Indian Military Academy Course, the unfilled reserved vacancies shall be treated as unreserved and filled by general candidates

Admissions to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the commission followed by intelligence and personality test by a Services Selection Board of candidates who qualify in the written examination. The details regarding the (a) scheme, standard and syllabus of the examination, (b) physical standards for admission to the Academy/School, and (c) brief particulars of service etc. for candidates joining the Indian Military Academy, Naval Academy and Officers' Training School, are given in Appendices I, II and III respectively.

NOTE.—THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS OF THE EXAMINATION WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY FOR DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS, PLEASE SEE CANDIDATES' INFORMATION MANUAL AT APPENDIX V

2. *CENTRES OF EXAMINATION*.—Ahmedabad Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Cochin, Cuttack, Delhi, Dispur (Gauhati), Hyderabad, Jaipur Jammu Lucknow, Madras, Nagpur, Panaji (Goa), Patiala Patna, Shillong, Simla, Trivandrum and Varanasi

3. *CONDITIONS OF ELIGIBILITY*

(a) *Nationality*

A candidate must either be—

(i) a citizen of India, or

(ii) a subject of Bhutan, or

(iii) a subject of Nepal, or

(iv) a Tibetan refugee who came over India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (iii), (iv) and (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India

Certificate of eligibility will not however, be necessary, in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also be provisionally admitted to the Academy or School as the case may be subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

(b) *Age limits, sex and marital status* :—

(i) For I.M.A and Naval Academy : Unmarried male candidates born not earlier than 2nd January, 1957 and not later than 1st January, 1960 are only eligible

(ii) For Officers' Training School—Male candidates *(married or un-married)* born not earlier than 2nd January, 1956 and not later than 1st January, 1960 are only eligible

NOTE :—Date of birth as recorded in Matriculation/Higher Secondary or equivalent examination certificate will only be accepted.

(c) Educational Qualifications —Degree of a recognised University or equivalent. Candidates who have yet to pass the degree examination can also apply but they will be required to submit proof of passing the degree examination to reach the Commissions office by the following date failing which their candidature will stand cancelled :—

(i) For admission to I.M.A. & Naval Academy—on or before the 30th December, 1978.

(ii) For admission to Officers' Training School—on or before 4th April, 1979

Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by Government as equivalent to professional and technical degrees would also be eligible for admission to the examination.

In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which, in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination

NOTE I—Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of Commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled

NOTE II—Naval Ratings (including boys and artificer apprentices) except Special Service Ratings having less than 6 months to complete their engagements are not eligible to take this examination Applications from Special Service Ratings having less than six months to complete their engagements will be entertained only if these have been duly recommended by their Commanding Officers

4 *FEE TO BE PAID WITH THE APPLICATION*.—Rs. 28/- (Rs 7/- for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates). Applications not accompanied by the prescribed fee will be summarily rejected

5 *REMISSION OF FEE*.—The Commission may, at their discretion, remit the prescribed fee where they are satisfied that the applicant is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and has migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971 or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma who migrated to India on or after 1st June, 1963 or is *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka who migrated to India on or after 1st November 1964 or is a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964 and is not in a position to pay the prescribed fee.

6 *HOW TO APPLY*—Only printed applications on the form prescribed for the Combined Defence Services Examination May, 1978 appended to the Notice will be entertained Completed applications should be sent to the Secretary Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011 Application forms and full particulars of the examination can be had from the following sources :—

(i) By post from Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011 by remitting Rs. 2/- by Money Order or by crossed Indian Postal Order payable to Secretary, U.P.S.C. at New Delhi G P O

(ii) On cash payment of Rs 2/- at the counter in the Commission's office

(iii) Free of charge from nearest Recruiting Office, Military Area/Sub-Area Headquarters, N C C Directorate, and Naval Establishments.

NOTE : Requests for supply of application forms and full particulars of the examination by post must reach the office of the Commission before 30th January, 1978 However, the forms may be had personally from the counter in the office of the Commission up to 6th February, 1978.

All candidates whether already in Government service including those serving in the Armed Forces or in Government owned industrial undertakings or other similar organisations or in private employment should submit their applications direct to the Commission. If any candidate forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application, even if submitted to the employer before the closing date will not be considered.

Persons already in Government service including those serving in the Armed Forces, whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees, are, however, required to obtain the permission of Head of their Office/Department/Commanding Officer before they are finally admitted to the examination. They should send their applications direct to the Commission after detaching the 2 copies of the form of certificate attached at the end of the application form and submit the said forms of certificate immediately to their Head of Office/Department/Commanding Officer with the request that one copy of the form of certificate duly completed may be forwarded to the Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi, as early as possible and in any case not later than the date specified in the form of certificate

7 *LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS IN THE COMMISSION'S OFFICE* :—

(i) From candidates in India 6th February, 1978

(ii) From candidates abroad or in Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep 20th February, 1978

8 *DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE APPLICATION.*

(A) *By all candidates* :—

(i) Fee of Rs. 28/- (Rs 7/- for Scheduled Castes/Tribes candidates) through crossed Indian Postal Orders payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the New Delhi General Post Office or crossed Bank Draft from any branch of the State Bank of India payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the State Bank of India, Parliament Street, New Delhi

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador, or Representative abroad as the case may be for credit to the account Head "051 Public Service Commission—Examination fees" and the receipt attached with the application

(ii) Two identical copies of recent passport size (5 cm × 7 cm approx.) photographs of the candidate duly signed on the front side.

(B) *By Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates* :—

Attested/certified copy of certificate in the form given in Appendix IV from any of the competent authorities (mentioned under the certificate) of the District in which he or his parents (or surviving parent) ordinarily reside in support of claim to belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe

(C) *By candidates claiming remission of fee* —

(i) An attested/certified copy of a certificate from a District Officer or a Gazetted Officer or a Member of Parliament or State Legislature certifying that he is not in a position to pay the prescribed fee.

(ii) An attested/certified copy of certificate from the following authorities in support of the claim to be a *bona fide* displaced person/repatriate—

(a) *Displaced person from erstwhile East Pakistan* :

(i) Camp Commandant of the Transit Centres of the Dandakaranaya Project or of Relief Camps in various States.

OR

(ii) District Magistrate of the area in which he may, for the time being be a resident

OR

(iii) Additional District Magistrate in charge of Refugee Rehabilitation in his district

OR

(iv) Sub-Divisional Officer within the sub-division in his charge.

OR

(v) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner, West Bengal/Director (Rehabilitation) in Calcutta

(b) *Repatriates from Sri Lanka*

High Commission for India in Sri Lanka

(c) *Repatriate from Burma*

Embassy of India Rangoon or District Magistrate of the area in which he may be resident

(D) *By NCC 'C' Certificate (Army Wing) holders competing for the vacancies reserved for them in the I M A Course*

An attested/certified copy of a certificate to show that he is a NCC 'C' Certificate (Army Wing) holder or a certificate to the effect that he is appearing/has appeared in the N C C 'C' Certificate (Army Wing) examinations

9 *REFUND OF FEE*—No refund of fee paid to the Commission with the application will be entertained except in the following cases, nor can the fee be held in reserve for any other examination of selection :—

(i) A refund of Rs. 15/- (Rs 4/- in case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes) will be made to a candidate who had paid the prescribed fee and is not admitted to the examination by the Commission If, however, the application is rejected on receipt of information that the candidate has failed in the degree examination or will not be able to submit the proof of passing the degree examination by the prescribed date, he will not be allowed refund of fee

(ii) A refund of Rs 15/- (Rs 4/- in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes) will be allowed in the case of a candidate who took the Combined Defence Services Examination November 1977 and is recommended for admission to any of the courses on the results of that Examination provided his request for cancellation of candidature for the Combined Defence Services Examination May 1978 and refund of fee is received in the office of the Commission on or before 16th October, 1978

10. *ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS*—All applications received in the prescribed form for this examination will be acknowledged If a candidate does not receive an acknowledgement of his application within a month from the last date of receipt of applications for the examination, he should at once contact the Commission for the acknowledgement

11 *RESULT OF APPLICATION*—If a candidate does not receive from the Commission a communication regarding the result of his application one month before the commencement of the examination, he should at once contact the Commission for the result Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration

12 *ADMISSION TO THE EXAMINATION*—The decision of the Union Public Service Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate shall be final No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

13 *ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT*—Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application form Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding the discrepancy should be submitted

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(xi) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses as a sub-para may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable —

(a) to be disqualified by the Commission from the Examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them,

(ii) by the Central Government, from any employment under them, and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules

14 *Original Certificates—Submission of*—Candidates who qualify for interview on the results of the written examination will be required to submit original certificates in support of their age and educational qualification etc soon after the declaration of the results of the written examination The results of the written examination are likely to be declared in the month of July 1978 Candidates may also be required at the interview by the Services Selection Board to produce these original certificates

15 *COMMUNICATION REGARDING APPLICATIONS*—ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION DHOLPUR HOUSE, NEW DELHI-110011 AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS —

(1) NAME OF EXAMINATION

(2) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION

(3) ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF CANDIDATE IF THE ROLL NUMBER HAS NOT BEEN COMMUNICATED

(4) NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK CAPITALS)

(5) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION

N B— COMMUNICATION NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO

16 *CHANGE OF ADDRESS*—A candidate must see that communication sent to him at the address stated in his application are redirected if necessary. Change in address should be communicated to the Commission at the earliest opportunity giving the particulars mentioned in paragraph 15 above

CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMISSION FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD WHO HAVE CHANGED THEIR ADDRESSES SUBSEQUENT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLICATIONS FOR THE EXAMINATION SHOULD IMMEDIATELY AFTER ANNOUNCEMENT OF THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION NOTIFY THE CHANGED ADDRESS ALSO TO ARMY HEADQUARTERS, A G 'S BRANCH RTG 6(SP)(a) WEST BLOCK, 3 WING 1, RAMAKRISHNAPURAM, NEW DELHI-110022, FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE OF ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT OF HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS LETTERS FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD

Although the authorities make every effort to take account of such changes they cannot accept any responsibility in the matter

17 *ENQUIRIES ABOUT INTERVIEW OF CANDIDATES QUALIFYING IN THE WRITTEN EXAMINATION*—Candidates whose names have been recommended for interview by the Services Selection Board, should address enquiries or request if any relating to their interview direct to the Army Headquarters, AG's Branch RTG, 6(SP)(a) West Block 3, Wing 1, Ramakrishnapuram, New Delhi-110022

Candidates who have to appear for any university examinations should immediately after the announcement of the result of the written examination, intimate the dates of such examination to the Army Headquarters, who may, if possible, take this into consideration before fixing the dates of interview

18 *ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSE OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES*—The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission in their discretion. Such candidates shall appear before a Service Selection Board for Intelligence and Personality Tests

Candidates who qualify in the written examination for IMA(D E) Course and/or Navy (S E) Course irrespective of whether they have also qualified for SSC(NT) Course or not, will be detailed for S S B tests in August/September, 1978 and candidates who qualify for SSC(NT) Course only will be detailed for SSB tests in December, 1978/January 1979

Candidates will appear before the Services Selection Board and undergo the tests thereat at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief, from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to

them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Candidates will be required to sign a certificate to this effect on the form appended to the application

To be acceptable, candidates should secure the minimum qualifying marks separately in (i) written examination and (ii) S S B. tests as fixed by the Commission in their discretion The candidates will be placed in the order of merit on the basis of the total marks secured by them in the written examination and in the S S B tests The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result

Success at the examination confers no right of admission to the Indian Military Academy, the Naval Academy or the Officers' Training School as the case may be The final selection will be made in order of merit subject to medical fitness and suitability in all other respects and number of vacancies available

19 *DISQUALIFICATIONS FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE* .—Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy Indian Military Academy, Air Force Flying College, Naval Academy Cochin Officers' Training School Madras but were removed therefrom on disciplinary grounds will not be considered for admission to the Indian Military Academy, Naval Academy or for grant of Short Service Commission in the Army

Candidates who were previously withdrawn from the Indian Military Academy for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy

Candidates who were previously selected as Special Entry Naval Cadets but were withdrawn from the National Defence Academy or from Naval Training Establishments for lack of Officer-like qualities will not be eligible for admission to the Indian Navy

Candidates who were withdrawn from Indian Military Academy, Officers' Training School, N C.C and Graduate Course for lack of Officer-like qualities will not be considered for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the N C.C and Graduates' Course for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy

20. *RESTRICTION ON MARRIAGE DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE NAVAL ACADEMY* — Candidates for the Indian Military Academy Course or Naval Academy Course must undertake not to marry until they complete their full training A candidate who marries subsequent to the date of his application though successful at this or any subsequent examination will not be selected for training A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the Government

No candidate for the Short Service Commission (N T) *Course*—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for admission to the Officers' Training School/grant of Short Service Commission

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule

21 *OTHER RESTRICTIONS DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE NAVAL ACADEMY* —After admission to the Indian Military Academy or the Naval Academy candidates will not be considered for any other Commission They will also not be permitted to appear for any interview or examination after they have been finally selected for training in the Indian Military Academy, or the Naval Academy

22 *INTELLIGENCE TESTS — INFORMATION ABOUT* —The Ministry of Defence (Directorate of Psychological Research) have published a book with the title "A Study of Intelligence Test Scores of candidates at Services Selection Boards" The purpose of publishing this book is that the candidates should familiarise themselves with the type of Intelligence Tests they are given at the Services Selection Boards

The book is a priced publication and is on sale with Controller of Publications, Civil Lines, Delhi-110006 and may be obtained from him direct by Mail Orders or on cash payment. This can also be obtained only against cash payment from (i) Kitab Mahal, opposite Rivoli Cinema, Emporia Building, 'C' Block, Baba Kharag Singh Marg, New Delhi-110001, (ii) Sale counters of the Publication Branch at Udyog Bhavan, New Delhi-110001, and office of the Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011 and (iii) the Government of India Book Depot 8. K S Roy Road, Calcutta-700001

23 PAMPHLETS CONTAINING RULES AND QUESTION PAPERS OF PREVIOUS EAMINATIONS—INFORMATION ABOUT

Copies of pamphlets containing rules and question papers of preceding examinations are on sale with the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi-110006 and may be obtained from him direct by mail orders or on cash payment These can also be obtained only against cash payment from (i) the Kitab Mahal Opposite Rivoli Cinema, Emporia Building, 'C' Block, Baba Kharag Singh Marg, New Delhi-110001, (ii) Sale counters of the Publications Branch at Udyog Bhavan, New Delhi-110001 and Office of the Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011 and (iii) the Government of India Book Depot, 8, K S Roy Road Calcutta-700001 The pamphlets are also obtainable from the agents for the Government of India Publications at mofussil towns

R. S GOELA
Deputy Secretary

APPENDIX I

(The scheme, standard and syllabus of the examination)

A SCHEME OF THE EXAMINATION

1 The Competitive examination comprises —

(a) Written examination as shown in para 2 below

(b) Interview for intelligence and personality test (vide Part 'B' of this Appedix) of such candidates as may be called for interview at one of the Services Selection Centres

2 The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows .

(a) *For admission to Indian Military Academy*

Subject	Duration	Maximum Marks
Compulsory		
1 English	2 hours	100
2 General Knowledge	2 hours	100
3 Elementary Mathematics	2 hours	100

Optional.—Any one of the following :

Subject	Code No	Time allowed	Maximum Marks
Physics	01	2 Hours	150
Chemistry	02	2 Hours	150
Mathematics	03	2 Hours	150
Botany	04	2 Hours	150
Zoology	05	2 Hours	150
Geology	06	2 Hours	150
Geography	07	2 Hours	150
English Literature	08	2 Hours	150
Indian History	09	2 Hours	150
General Economics	10	2 Hours	150
Political Science	11	2 Hours	150
Sociology	12	2 Hours	150
Psychology	13	2 Hours	150

(b) *For Admission to Naval Academy*

Subject	Time allowed	Maximum marks	
Compulsory			
1. English	2 Hours	100	
2 General Knowledge	2 Hours	100	
Optional			
*3. Elementary Mathematics or Elementary Physics	2 Hours	100	
*4 Mathematics or Physics	2 Hours	150	*Candidates offering Elementary Mathematics will take Physics as their 4th paper and candidates offering Elementary Physics will take Mathematics as their 4th paper

(c) *For Admission to Officers' Training School*

Subject	Time allowed	Maximum Marks
1. English	2 Hours	100
2. General Knowledge	2 Hours	100

The maximum marks allotted to the written examination and to the Interviews will be equal for each course i.e the maximum marks allotted to the written examination and to the Interviews will be 450, 450 and 200 each for admission to the Indian Military Academy, Naval Academy and Officers' Training School.

3 THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY FOR DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS, PLEASE SEE CANDIDATES' INFORMATION MANUAL AT APPENDIX V.

4. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of Weights and Measures only will be set.

5 All papers must be answered in English unless otherwise expressly stated in the question paper.

6. Candidates must write the papers in their own hand In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them

7. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

9. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for written subjects will be made for illegible handwriting

B. STANDARD AND SYLLABUS OF THE EXAMINATION

STANDARD

The standard of the paper in Elementary Mathematics will be of Matriculation Examination and that of Elementary Physics will be of Higher Secondary Examination.

The standard of papers in other subjects will approximately be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

There will be no practical examination in any of the subjects.

SYLLABUS

ENGLISH

The question paper will be designed to test the candidate understanding of English and workmanlike use of words.

GENERAL KNOWLEDGE

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of every day observations and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study

ELEMENTARY MATHEMATICS

Arithmatic

Number System—Natural numbers, Integers, Rational and Real numbers. Fundamental operations—addition, subtraction, multiplication, division, Square roots, Decimal fractions

Unitary method—time and distance, time and work. Percentages—applications to simple and compound interest, profit and loss Ratio and proportion, variation

Elementary Number Theory—Division algorithm, Prime and composite numbers. Tests of divisibility by 2, 3, 4, 5 9 and 11 Multiples and factors Factorisation Theorem. H C F. and L.C.M. Euclidean algorithm

Logarithms to base 10, laws of logarithms, use of logarithmic tables.

Algebra

Basic Operations, simple factors, Remainder Theorem, H C F., L C.M of polynomials Solutions of quadratic equations, relation between its roots and coefficients. (Only real roots to be considered) Simultaneous linear equations in two unknowns—analytical and graphical solutions. Simultaneous linear inequations in two variables and their solutions. Practical problems leading to two simultaneous linear equations or inequations in two variables or quadratic equation in one variable and their solutions Set language and set notation Rational expressions and conditional identities. Laws of indices

Trigonometry

Sine X, Cosine X, Tangent X when $0^\circ \leqslant x \leqslant 90^\circ$.

Values of sin x, cos x and tan x, for x = 0°, 30°, 45°, 60° and 90°.

Simple trigonometric identities.

Use of trigonometrical tables.

Simple cases of heights and distances

Geometry

Lines and angles, Plane and plane figures Theorems on (i) Properties of angles at a point, (ii) Parallel lines, (iii) Sides and angles of a triangles, (iv) Congruency of triangles, (v) Similar triangles, (vi) Concurrence of medians and altitudes, (vii) Properties of angles, sides and diagonals of a parallelogram, rectangle and square, (viii) Circle and its properties including tangents and normals, (ix) Loci.

Practical problems and constructions involving use of geometrical instruments, *e.g.*, Bisection of an angle and a line segment, construction of perpendiculars, parallel lines and triangles Tangents to a circle

Mensuration

Areas of squares, rectangles, parallelograms, triangles and circles. Areas of figures which can be split up into these figures (Field Book) Surface area and volume of cuboids, lateral surface and volume of right circular cones and cylinders, Surface area and volume of spheres. (Practical problems related to these topics will be set and if necessary, formulae will be given in the question paper)

Statistics

Collection and tabulation of statistical data Graphical representation—frequency polygons, histograms, bar charts, pie charts etc.

Measures of central tendency.

ELEMENTARY PHYSICS

(a) *Mensuration*—Units of mensurement; CGS and MKS units Scalars and vectors Composition and resolution of forces and velocities Uniform acceleration Rectilinear motion under uniform acceleration. Newton's Laws of Motion, concept of Force. Units of Force. Mass and weight

(b) *Mechanics of Solids.*—Motion under gravity Parallel forces Centre of Gravity. States of equilibrium Simple Machines. Velocity Ratio. Various simple machines including inclined plane Screw and Gears. Friction angle of friction, coefficient of friction Work, Power and energy, Potential and kinetic energy.

(c) *Properties of fluids*—Pressure and Thrust Pascal's Law. Archimedes principle Density and Specific gravity Application of the Archimedes principle for the determination of specific gravities of solids and liquids. Laws of floatation. Measurement of pressure exerted by a gas. Boyle's Law Air pumps.

(d) *Heat.*—Linear expansion of solids and cubical expansion of liquids. Real and apparent expansion of liquids Charles Law. Absolute Zero, Boyles and Charles' law Specific heat of solids and liquids, calorimetry Transmission of heat, Conductivity of metals Change of State. Latent heat of fusion and vaporization SVP humidity, dew point and relative humidity

(e) *Light.*—Rectilinear propagation Laws of reflection, spherical mirrors, Refraction, laws of refraction, Lenses, Optical instruments camera, projector, epidiascope, telescope Microscope binocular & periscope, Refraction through a prism, dispersion

(f) *Sound*—Transmission of sound, Reflection of sound, resonance. Recording of sound-gramophone

(g) *Magnetism & Electricity*—Laws of Magnestism Magnetic field. Magneticlines of force, Terrestrial Magnetism, Conductors and insulators. Ohm's Law, P D Resistance, EMF (Resistances in series and parallel). Potentiometer, Comparison of EMFs Magnetic effect of an electric current, A conductor in a magnetic field. Fleming's left hand rule Measuring instruments—Galvanometer, Ammeter Voltmeter, Watlmeter, chemical effect of an electric current, electroplating, Electromagnetic Induction, Faraday's Laws; Basic AC & DC-generator.

PHYSICS (*Code*—01)

1. *General properties of matter and mechanics*

Units and dimensions. Scalar and vector quantities; Moment of inertia, work energy and momentum Fundamental laws of mechanics, Rotational motion, Gravitation, Simple harmonic motion, Simple and compound pendulum, Kater's pendulum, Elasticity Surface tension, viscocity of liquids, Rotary pump, Mcleod gauge

2 *Sound*

Damped forced and free vibrations, Wave motion, Doppler effect, velocity of sound waves, Effect of pressure, temperature, humidity on velocity of sound in a gas, Vibration of strings, bars, plates and gas columns, Resonance Beats, Stationary waves; Measurement of frequency velocity and intensity of sound, Musical scales, Accoustics in architecture Elements of ultrasonics, Elementary principles of gramophones talkies and loudspeakers.

3. *Heat and thermodynamics*

Temperature and its measurement, thermal expansion, Isothermal and adiabatic changes in gases. Specific heat and thermal conductivity Elements of the kinetic theory of matter physical ideas of Boltzamn's distribution law, Van der Waal's equation of States, Joule Thompson effect, liquefaction of gases, Heat engines, Carnot's theorem, Laws of thermodynamics and simple applications Black body radiation

4. *Light*

Geometrical optics Velocity of light, Reflection and refraction of light at plane and spherical surfaces, Defects in optical images and their correction; Eye and other optical instruments, wave theory of light; Interference, simple interferometer, Diffraction, Diffraction Grating; Polarisation of light; Elements of spectroscopy.

5 *Electricity and magnetism*

Calculation of electric field intensity and potential in simple cases. Gauss theorem and simple applications, Electrometers, Energy due to a field, Electrical and magnetic properties of matter; Hysterisis permeability and susceptibility. Magnetic field due to electrical current, Moving magnet and moving coil galvanometers, Measurement of current and resistance, Properties of reactive circuit elements and their determination, thermoelectric effect, Electromagnetic induction; Production of alternating currents Transformers and motors Electronic valves and their simple applications

Elements of Bohr's theory of atom, Electrons, Cathode rays and X-rays; Measurement of electronic charge and mass

CHEMISTRY (Code—02)

1 Inorganic Chemistry

Electronic configuration of elements Aufbau Principle. Periodic classification of elements. Atomic number. Transition elements and their characteristics

Atomic and ionic radii ionization potential, electron affinity and electronegativity

Natural and artificial radioactivity Nuclear fission and fusion

Electronics Theory of valency. Elementary ideas about sigma and pi-bonds, hybridization and directional nature of covalent bonds

Warner's theory of coordination compounds Electronic configurations of complexes involved in the common metallurgical and analytical operations

Oxidation states and oxidation number. Common oxidising and reducing agents. Ionic equations

Lewis and Bronsted theories of acids and Bases.

Chemistry of the common elements and their compounds treated especially from the point of view of periodic classification. Principles of extraction, isolation (and metallurgy) on important element

Structures of hydrogen peroxide, diberene, aluminium chloride and the important oxyacids of nitrogen, phosphorous, chlorine and sulphur

Inert gases, Isolation and chemistry.

Principles of inorganic chemistry analysis.

Outlines of the manufacture of Sodium carbonate, sodium hydroxide, ammonia, nitric acid, sulphuric acid, cement, glass and artificial fertilizers.

2. *Organic Chemistry* .

Modern concepts of covalent bonding Election displacements—Inductive, mesomeric and hyperconjugative effects Resonance and its application to organic chemistry Effect of structure on dissociation constants.

Alkanes, alkenes and alkynes Petroleum as a source of organic compounds Simple derivatives of aliphatic compounds Alcohols, Aldehydes, ketones, acids, halides, ester ether, acid anhydrides chlorides and amides, Monobasic hydroxy keton.c and amino acids. Organometallic compounds and acetoacetic esters Tartaric, citric, maleic and fumaric acids Carbohydrates classification and general reaction Glucose, fructose and sucrose

Steiochemistry Optical and geometrical isomerism Concept of conformation

Benzene and its simple derivatives . Toluene, xylenes, phenols, halide, nitro and amino compounds Benzoic salicylic cinnamic, mandelic and sulphonic acids Aromatic aesdehyd and ketons Diazo, azo and hydraze compounds Aromatic substitution Napthalene, pyridine and quinoline

3 *Physical Chemistry*

Kenitic theory of gases and gas laws. Maxwell's law of distribution of velocities Van der Waal's equation Law of corresponding states. Liquefaction of gases. Specific heats of gases. Ratio of Cp/Cv.

Thermodnamics The first law of thermodynamics Isothermal and adiabatic expansion Enthalpy. Heat capacities Thermochemistry—heats of reaction, formation, solution and combustion Calculation of bond energies Kirchno equilibrium

Criteria for spontaneous change Second Law of Thermodynamics Entropy, Free energy Criteria of Chemical equilibruim

Solutions Osmotic pressure, Lowering of vapour pressures, depression of freezing point elevation of boiling point Determination of molecular weights in solution Association and dissociation of solutes

Chemical equilibria. Law of mass action and its application to homogeneous and heterogeneous equilibria Le Chatelier principle Influence of temperature on chemical equilibrium.

Electrochemistry Faraday's laws of electrolysis, conductivity of an electrolyte, equivalent conductivity and its variation with dilution, solubility of sparingly soluble salts, electrolyti dissociation Ostwald's dilution law; anomaly of strong electrolytes, solubility product, strength of acids and bases; hydrolysis of salts, hydrogen ion concentration, buffer action, theory of indicators

Reversible cells Standard hydrogen and calomel Electrodes. Electrode and red ox-potentials Concefitration cells. Determination of pH Transport number Ionic product of water Potentiometric titrations

Chemical Kinetics, Molecularity and order of a reaction First order and second order reactions, Determination of order of a reaction temperature coefficients and energy of activation Collision theory of reaction rates Activated complex theory

Phase rule Explanation of the terms involved. Application to one and two component systems Distribution law

Colloids : General nature of Colloidal solutions and their classification, general methods of preparation and properties of colloids. Coagulation. Protective action and gold number Absorption

Catalysis Homogeneous and heterogeneous catalysis Promotors Poisoning

Photochemistry. Laws of photochemistry Simple numerical problems

MATHEMATICS (Code—03)

Algebra

PART A

Algebra of sets, relations and functions inverse of a function composite function equivalence relation.

Numbers : integers, rational numbers real numbers (statement of properties), complex numbers, algebra of complex numbers.

Group, Sub-groups, normal sub-groups, cyclic and permutation groups, Lagrange's theorem, isomorphism.

D-Moivre's theorem for rational index and its simple applications

Theory of Equations —Polynominal equations, transformation of equations, relations between roots and, coefficients of a polynomial equation, symmetric function of roots of cubic and biquadratic equations location of roots and Newton's method for finding roots.

Matrices —algebra of matrices, determinants—simple properties of determinants, product of determinants, adjoint of a matrix, inversion of matrices, rank of a matrix, application of matrices to the solution of linear equations (in three unknowns).

Inequalities : arithmetic and geometric means, cauchy Scharz inequality (only for finite sums)

Analytic Geometry of two dimensions.—Straight lines pair of straight lines, circles, systems of circles, Ellipse parabola, hyperbola (referred to principal axis) Reduction of a second degree equation to standard form. Tangents and normals

Analytic Geometry of three dimensions.—Planes, straight

Calculus and Differential Equation

Differential calculus Concept of limit, continuity and differentiability of a function of one realvariable, derivative of standard functions, successive differentiation. Rolle's theorem Mean value theorem Maclaurin and Taylor series (proof not needed) and their applications, Binomial expansion for rational index, expansion of exponential. Logarithmic trigonometrical and hyperbolic functions Intermediate forms Maxima and Minima of a function of a single variable, geometrical applications such as tangent, normal, subtangent, subnormal, asymptotic curvature (cartesian coordinate only). Envelope . Partial differentiation Elluer's theorem for homogeneous functions

Integral calculus —Standard methods of integration Riemann definition of definite integral of continuous functions Fundamental theorem of integral calculus. Rectification, quadrature volumes and surfaces area of solids of revolution Simpson's rule for numerical integral

Convergence of sequences and series, test of convergence of series with positive terms Ratio root and Gauss tests Alternating series

Differential equations Solution of standard first order differential equations Solution of second and higher order linear differential equations with constant coefficients Simple application of problems on growth and decay, simple harmonic motion Simple pendulum and the like

PART B

Mechanics (*Vector methods may be used*)

Statics —Representation of a force, parallelogram of force, composition and resolution of forces and conditions of equilibrium of coplanar and concurrent forces Triangle of forces Like and unlike parallel forces Moments, Couples General conditions for equilibrium of coplanar forces. Centre of gravity of simple bodies. Friction-static and limiting friction, angle of friction, equilibrium of a particle on a rough inclined plane, simple problems simple machines (lever, systems of pulleys, gear) Virtual work (two-dimensions)

Dynamics —Kinematics —displacement, speed velocity and acceleration of a particle, relative velocity Motion in a straight line under constant acceleration Newton's laws of motion Central Orbits Simple harmonic motion. Motion under gravty (in vacuum) Impulse work and energy. Conservation of energy and linear momentum Uniform circular Motion

Astronomy

Spherical Trigonometry Sine and cosine formulae, properties of right-angled spherical triangles

Spherical Astronomy—Celestial sphere, coordinate systems and their conversion Diurnal motion. Sidereal and solar times, mean solar time, local and standard times, equation of time Rising and setting of the sun and stars, dip of the horizon, astronomical refraction Twilight, parallax aberration, precession and nutation Kepler's laws, Planetary orbits and stationary points Apparent motion of the moon, phases of the moon

Astronomical instruments, Sextant, transit instrument

Statistics:

Probability—Classical and statistical definitions of probability, calculation of probability of combinatorial methods, addition and multiplication theorems, conditional probability Random variables (discrete and continuous), density function Mathematical expectation

Standard distributions Binomial definition, mean and variance, skewness, limiting form simple application, Poisson—definition mean and variance additive property fitting of Poisson distribution to given data Normal simple properties and simple applications, fitting a normal distribution to given data

Bivariate distribution: Correlation, linear regression involving two variables, fitting of straight line, parabolic and exponential curves, properties of correlation coefficient

Simple sampling distribution and simple tests of hypothesis Random sample Statistics, Sampling distribution and standard error Simple application of the normal, t, Chi^2 and F distributions to testing of significance of difference of means

NOTE—Candidates will be required to answer compulsorily from Part A of the syllabus one question on each of the 3 topics viz (1) Algebra, (2) Analytic Geometry of two and three dimensions, and (3) Calculus and Differential Equations From Part B of the syllabus, it will be compulsory to answer at least one question on any one of the 3 topics *viz* (1) Mechanics, (2) Astronomy, and (3) Statistics.

BOTANY (Code—04)

1 *Survey of the Plant Kingdom*—Differences between animals and plants: Characteristics of living organism unicellular and multicellular organism Viruses: basis of the division of the plant kingdom

2 *Morphology*—(i) Unicellular plants—cell its structure and contents division and multiplication of cell

(ii) *Multicellular plants*—Differentiation of the body of non-vascular plants and vascular plants. external and internal morphology of vascular plants

3 *Life history*—Of at least one member of the following categories of plants—Bacteria Cyanophyceae, Chlorophyceae Phaeophyceae Rhodophyceae, Phycomycetes Ascomycetes Basidiomycetes Liverworts Mosses Pteridophytes Gymnosperms and Angiosperms

4 *Taxonomy*—Principles of classification, principal systems of classification of angiosperms, distinctive features and economic importance of the following families:—

Gramineae Scitaminae Palmaceae Liliaceae Orchidaceae Moraceae, Loranthaceae, Magnoliaceae Lauraceae, Cruciferae, Rosaceae, Leguminosae, Rutaceae, Meliaceae, Euphorbiaceae, Anacardiaceae, Malvaceae, Apocynaceae, Asclepiadaceae, Dipterocarpaceae Myrtaceae, Umbelliferae, Labiatae, Solanaceae, Rubiaceae, Cucurbitaceae Verbenaceae and Compositae

5 *Plant Physiology*—Autotrophy, heterotrophy Intake of water and nutrients, transpiration photosynthesis mineral nutrition respiration, growth reproduction plants-animal relation symbiosis, parasitism enzymes, auxins, hormones photoperiodism

6 *Plant Pathology*—Cause and cure of plant diseases Disease organisms Viruses deficiency disease; Disease resistance

7 Plant Ecology—The basic facts relating to ecology and plant geography with special relation to Indian flora and the botanical regions of India

8 *General Biology*—Cytology, genetics, plant breeding Mendelism, hybrid vigour Mutation, evolution.

9 *Economic Botany*—Economic uses of plants, especially flowering plants in relation to human welfare, particularly with reference to such vegetable products like foodgrains, pulses fruits, sugar and starches, oilseeds, spices, beverages, fibres, woods, rubber, drugs and essential oils.

10 *History of Botany*—A general familiarity with the development of knowledge relating to the botanical science

ZOOLOGY (Code—05)

Classification of the animal kingdom into principal groups distinguishing features of the various classes

The structure habits and life-history of the following non-chordate types

Amoeba, malarial parasite, a sponge, hydra, liverfluc, tapeworm, roundworm, earth worm, leech, cockroach, housefly-mosquito scorpion freshwater mussel ponds nail and starfish (external characters only)

Economic importance of insects, Bionomics and life-history of the following insects; termitelocust, honey bee and silk moth

Classification of Chordate up to orders.

The structure and comparative anatomy of the following chordate types

Branchiostoma; Scoliodon; frog, Uromastix or any other lizard (skeleton of Varanus) pigeon (Skeleton of fowl), and rabbit; rat or squirrel

Elementary knowledge of the history and physiology of the various organs of the animal body with reference to frog and rabbit Endocrine glands and their functions

Outlines of the development of frog and chick structure and functions of the mammalian placenta

General principles of evolution, variations heredity, adaptation, recapitulation hypothesis, Mendalian inheritance; asexual and sexual modes of reproduction, parthenogenesis, metamorphosis alteration of generations

Ecological and geological distribution of animals with special reference to the Indian fauna

Wild life of India including poisonous and non-poisonous snakes, game birds

GEOLOGY (Code—06)

1 *General Geology*:

Origin age and interior of the Earth, different geological agencies and their effects on topography, weathering and erosion, Soil types, their classification and soil groups of India, Physiographic sub-division of India Vegetation and topography Volcanoes, earthquakes, mountain diastrophism

2 *Structural Geology*

Common structure of igneous, sedimentary and metamorphic rocks, Dip strike and slopes folds faults and unconformities including their effects on outcrops Elementary ideas of methods of Geological Surveying and Mapping

3 *Crystallography and Mineralogy*:

Elementary knowledge of crystal symmetry Laws of Crystallography Crystal habits and twinning.

Study of important rock-forming including clay minerals with regard to their chemical composition, physical properties, optical properties, alteration occurrence and commercial uses.

4 *Economic Geology*

Study of important economic minerals of India including mode of occurrence Origin and classification of ore deposits

5 *Petrology*

Elementary study of igenous, sedimentary and metamorphic rocks including origin and classification Study of common rock types

6 *Stratigraphy*:

Principles of Stratigraphy: lithological and chronological sub-divisions of geological record Outstanding features of Indian Stratigraphy.

7 *Palaentology*

The bearing of palaeontological data upon evolution Fossils, their nature and mode of preservation An elementary idea of the morphology and distribution of representative forms of animal and plant fossils

GEOGRAPHY (Code—07)

(i) *Elementary Geomorphology* —Origin of the solar system and the earth, landforms, land sculpture, elementary geology, rocks and soil formation

(ii) *Climatology* —Climate and its elements, temperature pressure, humidity, wind system elementary knowledge of cyclones and anti cyclones, precipitation types of rain

(iii) *Oceanography* —Distribution of land and water, movements of ocean-water, tides, currents, salinity deposits of the ocean beds

(iv) *Plant Geography* —Types of vegetation, their relation to geographical environment, forests, grasslands, deserts major natural regions

(v) *Human Geography* —Man in environment, races of mankind, man's activities and distribution of population

(vi) *Economic geography* —Principal vegetable, animal and mineral products, their distribution and geographical background principal industries and their localisation; international trade in raw material, food stuffs and manufactured goods

(vii) *Regional Geography* —India in detail and the U S A the U K, the U S S R, China, Japan, South-East Asia the Middle East, Sri Lanka, Burma and Pakistan in outline

ENGLISH LITERATURE (Code—08)

Candidates will be expected to show a general knowledge of the history of English literature upon the time of Spencer to the end of the reign of Queen Victoria with special reference to the works of the following authors —

Shakespeare, Milton, Johnson, Dickens, Wordsworth, Keats, Carlyle, Tennyson and Hardy

INDIAN HISTORY (Code—09)

India from 1600 to the establishment of Indian Republic including the constitutional developments during this period,

NOTE —In this subject candidates should be acquainted with geography in its relation to history and be prepared to draw sketch maps When a fixed date is given for the beginning of the period candidates will be expected to know in general outline how the initial position was reached

GENERAL ECONOMICS (Code—10)

Candidates will be expected to have a knowledge of economic theory and should be prepared both to illustrate theory by facts and to analyse facts by the help of theory Some knowledge of the economic history of India and of England and of economic conditions in these countries will be expected

POLITICAL SCIENCE (Code—11)

Candidates will be expected to show a knowledge of political theory and its history, political theory being understood to mean not only the theory of legislation but also the general theory of the State Questions may also be set on constitutional forms (Representative Government, Federalism etc) and Public Administration, Central and Local Candidates will be expected to have knowledge of the origin and development of existing institutions

SOCIOLOGY (Code—12)

Nature and Scope of Sociology, Study of Society, Sociology and its relation to other Social Sciences

Basic concepts Status and Role, Primary and Secondary Groups, Social institutions, Social structure, Social control and Deviant behaviour, Social Conflict, Social Change

Basic Social Structures and Institutions; Marriages, Family and Kinship, Political institutions; Religious Institutions Social stratification—Caste, Class and Race

Environment, society and culture

Sociology of India; Caste and Casteism; Family and Kinship, Village community, Social change in modern India,

PSYCHOLOGY (Code—13)

General Psychology

Definition and subject-matter of Psychology, methods of Psychology, Concept of adjustment and behaviour mechanism; Physiological basis of behaviour, (a) receptors—visual and auditory, (b) general idea of the nervous system; (c) effectors,—muscles and glands

Factors in human development—heredity and environment, maturation and learning

Motivation and emotion—their nature, kind and development

Preception and its nature, Perception of form, colour and space.

Learning its nature, conditioning, insight and trial and error.

Memory and forgetting—factors effecting the processes, efficient methods of memorising

Thinking and reasoning

Intelligence and abilities—their nature and measurement

Personality—nature, determinants and measurement

Abnormal Psychology

Abnormal behaviour—its concept and causes

Frustration and conflicts, defence mechanisms.

Forms of psychological disorders—neurotic, psychotic, personality and psychophysiological disorders.

General idea of treatment of mental disorders—psychotherapy

Social Psychology

Group processes; individual and the group, leadership, morale and crowd behaviour

Propaganda and psychological warfare.

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST

In addition, to the interview the candidates will be put to Intelligence Tests both verbal and non-verbal, designed to assess their basic intelligence They will also be put to Group Tests such as group discussions, group planning, outdoor group tasks, and asked to give brief lectures on specified subjects All these tests are intended to judge the mental calibre of a candidate In broad terms, this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also his social traits and interests in current affairs

APPENDIX II

(Physical Standards for Admission to the Academy/School)

NOTE —CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY FIT ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL STANDARD THE STANDARD OF MEDICAL FITNESS ARE GIVEN BELOW

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS CANDIDATES ARE, THEREFORE, ADVISED IN THEIR OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL STAGE.

A sufficient number of suitable candidates recommended by the Services Selection Board will be medically examined by a Board of Service Doctors A candidate who is not declared fit by the Medical Board will not be admitted to the Academy or the School The mere fact that medical examination has been carried out by a Board of Service Doctors will not mean or imply that the candidate has been finally selected The proceedings of the Medical Board are confidential and cannot be divulged to anyone The results of candidates declared unfit/temporarily unfit are intimated to them along with the procedure for submission of fitness certificate and appeal No request for the results of Medical Board will be entertained by the President of the Medical Board

Candidates are advised in their own interest that if their vision does not come up to the standard, they must bring with them their correcting glasses if and when called for Services Selection Board Interview/Medical Examination.

1. To be passed fit for admission to the Academy/School a candidate must be in good physical and mental health and free from any disability likely to interfere with the efficient performance of duty.

2 It will, however, be ensured that—

(a) there is no evidence of weak constitution, imperfect development, serious malformations or obesity,

(b) there is no maldevelopment or impairment of function of the bones or joints

NOTE . A candidate with a rudimentary cervical rib in whom there are no signs and symptoms referable to the cervical rib may be considered fit. However, the defect is to be recorded as a minor disability in the medical board proceedings.

(c) There is no impediment of speech;

(d) there is no malformation of the head of deformity from fracture or depression of the bones of the skull.

(e) there is no impaired hearing, discharge from or disease in either ear, unhealed perforation of the tympanic memberances or signs of acute or chronic suppurative otitis media or evidence of radical or modified radical mastoid operation

NOTE ' A soundly healed perforation without any impairment of the mobility of the drum and without impairment of hearing should not be a bar to acceptance of a candidate for the Army.

(f) there is no disease of bones or cartilages of the nose or nassal polypus or disease of the nasopharynx and accessory sinuses.

NOTE . A small asymptomatic traumatic perforation of the nasal septum would not be a cause for outright rejection. But such cases will be referred to the Adviser in Otology for examination and opinion

(g) there are no enlarged glands in the neck and other parts of the body and that thyroid gland is normal

NOTE ' Scars of operations for the removal of tuberculosis glands are not a cause for rejection provided that there has been no active disease within the preceding 5 years and the chest is clinically and radiologically clear

(h) there is no disease of the throat palate, tonsils or gums or disease or any injury affecting the normal function of either mandibular joint;

NOTE : Simple hypertrophy of the tonsils, if there is no history of attacks of tonsilitis is not a cause for rejection.

(i) there is no sign of functional or organic disease of the heart and blood vessels;

(j) there is no evidence of pulmonary tuberculosis or previous history of this disease or any other chronic disease of the lungs;

(k) there is no evidence of any disease of the digestive system including any abnormality of the liver and spleen;

(l) there is no inguinal hernia or tendency thereto

NOTE : (1) Inguinal hernia (unoperated) will be a cause for rejection

(2) Those who have been operated for hernia may be declared medically fit provided :

(i) One year has elapsed since operation. Documentary proof to this effect is to be produced by the candidate.

(ii) General tone of the abdominal masculature is good

(iii) There has been no recurrence of the hernia or complication thereto concerned with the operation.

(m) there is no hydrocele or definite Varicocele or any other disease or defect of the genital organs

N.B—(i) A candidate who has been operated for hydrocele will be accepted if there are no abnormalities of the cord and testicle and there is no evidence of filariasis.

(ii) Undescended inter abdominal testicle on one side should not be a bar to acceptance provided the other testicle is normal and there is no untoward physical or psychological effect due to the undescended testicle Undescended testis retained in the inguinal canal or the external abdominal ring is, however, a bar to acceptance unless corrected by operation.

(n) there is no fistula and/or fissure of the anus or evidence of haemorrhoids;

(o) there is no disease of the kidneys. All cases of Glycosuria or Albuminuria will be rejected,

(p) there is no disease of the skin unless temporary or trivial scars which by their extent or position cause or are likely to cause disability or marked disfigurement are a cause for rejection

(q) there is no active, latent or congential venereal disease.

(r) there is no history or evidence of mental disease of the candidate or his family. Candidates suffering from epilepsy, incontinence of urine or enuresis will not be accepted.

(s) there is no squint or any morbid condition of the eyes or of the lids which is liable to a risk of agravation or recurrence

(t) there is no active trachoma or its complication and sequelate

NOTE —Remedial operation are to be performed prior to entry No guarantee is given of ultimate acceptance and it should be clearly understood by the candidates that the decision whether an operation is desirable or necessary is one to be made by their private medical adviser The Government will accept no liability regarding the result of operation or any expense incurred.

3. *Standards for Height, Weight and Chest Measurement*—

(a) Height

(i) The height of a candidate will be measured by making him stand against the standard with his feet together. The weight should be thrown on the heels, and not on the toes or outer sides of the feet He will stand erect without rigidy and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard, the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres, decimal fraction lower than 0 5 centimetre will be ignored, 0 5 centimetre wil be recorded as such and 0 6 cm. and above will be recorded as one

(ii) The minimum acceptable height for a candidate is 157.5 cm (157 cm for the Navy) except in the case of Gorkha, Nepalese, Assamese and Garhwali candidates in whose case the height in correlation table at (b) (i) below may be reduced by 5 0 cm The minimum height of naval candidates from MANIPUR, NEFA, MEGHALAYA AND TRIPURA may also be reduced by 5 cm and 2 cm. in the case of candidates from LACCADIVES

(b) *Weight*—

(i) Weight will be taken with the candidate fully stripped or with underpants only In recording weight fraction of 1/2 kg will not be noted A correlation

table between age, height and average weight is given below for guidance .—

Age last birth day	Height without shoes	Weight	
		Average Minimum	Average Maximum
Years	*Centimetres*	*Kgs*	*Kgs*
17 to 18	157 5 & under 165 0	43 ·5	55 0
	165 0 & under 172 ·5	48 0	59 5
	172 5 & under 183 9	52 5	64 0
	183 ·0 & upwards	57 0	—
19	160 0 & under 165 0	44 5	56 0
	165 ·0 & under 172 5	49 0	60 5
	172 5 & under 178 ·0	53 5	65 0
	178 0 & under 183 0	58 0	69 5
	183 0 & upwards	62 ·5	—
20 & upwards	160 0 & under 165 0	45 5	56 ·5
	165 0 & under 172 ·5	50 0	61 0
	172 0 under 178 0	54 5	66 ·0
	178 0 & under 183 0	59 0	70 ·5
	183 ·0 & upwards	63 ·0	—

HEIGHT AND WEIGHT STANDARDS

For Navy only

Height in Centimetres	Age		
	18 years	20 years	22 years
	Wight in Kilograms		
157	47	49	50
160	48	50	51
162	50	52	53
165	52	53	55
168	53	55	57
170	55	57	58
173	57	59	60
175	59	61	62
178	61	62	63
180	63	64	65
183	65	67	67
185	67	69	70
188	70	71	72
190	72	73	74
193	74	76	77
195	77	78	78

(ii) It is not possible to lay down precise standards for weight in relation to height and age The correlation table is therefore, only a guide and cannot be applied universally. A 10 per cent (±6 kg. for the Navy) departure from the average weight given in the table is to be considered as within normal limits. There may nevertheless be some individuals who according to the above standard may be overweight but from the general build of the body are fit in every respect The overweight in such cases may be due to heavy bones and muscular development and not to obesity. Similarly for those who are underweight, the criteria should be the general build of the body and proportionate development rather than rigid adherence to the standards in the above table.

(c) *Chest.*—The chest should be well-developed with a minimum range of expansion of 5.0 cm The candiate's chest will be measured by making him stand erect with his feet together, and his arms raised over his head The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and its lower edge the upper part of the nipples in front The arms will then be lowered to hang loosely by the sides. Care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum and minimum expansion of the chest will be carefully noted. The minimum and maximum will then be recovered in cm thus 84/89 and 86/91 etc.

In recording the measurements, decimal fraction lower than 0 5 centimetres will be ignored 0 5 centimetres will be recorded as such and 0.6 cm and above will be recorded as one.

For Navy

"X-Ray" of chest is compulsory.

4 *Dental Condition*—

It should be ensured that sufficient number of natural and south teeth are present for efficient mastication.

(a) A candidate must have a minimum of 14 dental points to be acceptable. In order to assess the dental condition of an individual points are allotted as under for teeth in good apposition with commesponding teeth in the other jaw—

(i) Central incisor, lateral incisor, canine, 1st and 2nd pre-molar and under developed 3rd molar—1 point each.

(ii) 1st and 2nd molar and fully developed 3rd molar—2 points each

When all 32 teeth are present, there will be a total count of 22 points.

(b) The following teeth in good functional apposition must be present in each jaw—

(i) any 4 of the 6 anteriors

(ii) any 6 of the 10 posteriors.

NOTE.—Candidate for direct commission and technical graduates, with well fitting dentures will, however, be accepted for commission.

(c) Candidate suffering from service pyorrhoea will be rejected Where the state of pyorrhoea is such that in the opinion of the dental officer it can be cured without extraction of teeth, the candidate may be accepted.

5. *Visual Standard (Army)*

	Better eye	Worse eye
Distant vision (corrected)	6/6	6/18

Myopia of not more than—3 5 D including astigmatism Manifest Hypermetropia of not more than +3 5 including astigmatism

NOTE 1 Fundis and Media to be healthy and within normal limits.

2. No undue degenerative signs of vitreous or chorioretina to be present suggesting progressive myopia

3 Should have good binocular vision, fusion faculty and full field of vision in both eyes.

4. There should be no organic disease likely to exacerbations or deterioration

Myopia—Not to exceed 0.5 dioptre in any one meridian. Binocular Vision

The candidates must possess good binocular vision (fusion faculty and full field of vision in both eyes)

Colour vision—Inability to distinguish primary colours will not be regarded as cause for rejection but the fact will be noted in the proceedings and the candidate informed (Not applicable to Navy).

6 *Hearing Standard*—

Hearing will be tested by speech test Where required audiometric records will also be taken.

(a) *Speech test*—The candidate should be able to hear a forced whisper with each ear separately standing with his back to the examiner at a distance of 609 5 cm in a reasonably quiet room. The examiner should whisper with the residual air, that is to say at the end of an ordinary expiration

(b) *Audiometric record*—The candidate will have no loss of hearing in either ear at frequencies 128 to 4096 cycles per second (Audiometry reading between plus 10 and minus 10.) (Not applicable to Navy).

Visual Standard (Navy)

(a) Visual Acuity

	Standard I	Better eye	Worse eye
Distant Vision		V-6/6	V-6/9
		Correctable to 6/6	

Navy (i)—Visual standard I No glasses will be worn by candidates for the Executive Branch but these standards may be relaxed if permitted by Naval Headquarters, for a limited number of otherwise suitable candidates of Engineering, Electrical and Supply and Secretariat Branches up to 6/18, 6/36, correctable to 6/6 both eyes with glasses.

(ii) Special requirements

"Night vision standard—only candidates with suspected Xerophthalmia Pigmentary degeneration disturbance of the Chorio-Retina, abnormal iris and pupillary conditions, who are otherwise, fit in all respects will be subjected to detailed NVA test prior to accepting for service in the Navy Those who fail to secure grade II (eleven) (Della Casa—good/very good) will be rejected"

A certificate as under will be obtained from each candidate if he is not subjected to Della Casa test :—

'I hereby certify that to the best of my knowledge, there has not been any case of congenital night blindness in our family and I do not suffer from it'

Signature of candidate

Countersignature of the Medical Officer

Colour perceptions

Standard I MLT
(Martin Lantern Test)

Heterophoria

Limits of Heterophoria with the Maddox Rod/Wing tests (provided convergence insufficiency and other symptoms are absent) must not exceed :—

(a) At 6 metres

Exophoria 8 prism dioptres

Esophoria 8 prism dioptres

Hyperphoria 1 prism dioptre

(b) At 30 cms—

Esophoria 6 prism dioptres

Exophoria 16 prism dioptres

Hyperphoria 1 prism dioptre

Executed level

Limits of hypermetropia (under homatropine)

	Better Eyes
Hypermetropia	1 5 dioptres
Simple Hypermetrophic Astigmatism	0 75 dioptre
Compound Hypermetropic Astigmatism	The error in the more hypermetropic meridian must not exceed 1 5 dioptres of which not more than 0 75 dioptre may be due to astigmatism

	Worse Eyes
Hypermetropia . . .	2 5 dioptres
Simple Hypermetropic Astigmatism	1 ·5 dioptres
Compound Hypermetropic Astigmatism	The error in the more hypermetropic meridian must not exceed 2 5 dioptres of which not more than 1 0 dioptre may be due to astigmatism.

APPENDIX III

(Brief Particulars of service etc)

(A) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN MILITARY ACADEMY, DEHRA DUN.

1. Before the candidate joins the Indian Military Academy—

(a) he will be required to sign a certificate to the effect that he fully understands that he or his legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise ·

(b) his parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that, if for any reason considered within his control, the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission, if offered, he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay and allowances received as may be decided upon by Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training for about 18 months. Candidates will be enrolled under the Army Act as 'gentlemen cadets'. Gentlemen cadets will be dealt with for ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Indian Military Academy.

3 While the cost of training including accommodation, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves. The minimum expenses at the Indian Military Academy are not likely to exceed Rs. 55 00 per mensem. If a cadet's parent or guardian is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance may be granted by the Government. No cadet whose parent or guardian has an income of Rs 350 00 per mensem or above would be eligible for the grant of the financial assistance The immovable property and other assets and income from all sources are also taken into account for determining the eligibility for financial assistance

The parent/guardian of a candidate desirous of having any financial assistance, should immediately after his son/ward has been finally selected for training at the Indian Military Academy submit an application through the District Magistrate of his District who will, with his recommendations, forward the application to the Commandant Indian Military Academy, Dehra Dun

4 Candidates finally selected for training at the Indian Military Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant on arrival :—

(a) Pocket allowance for five months at Rs 55 00 per month.	Rs 275.00
(b) For items of clothing and equipment	Rs. 800.00
Total	Rs. 1075 00

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the cadets in the event of financial assistance being sanctioned to them —

Pocket allowance for five months at Rs 55 00 per month—Rs 275 00

5 The following scholarships are tenable at the Indian Military Academy —

(1) PARSHURAM BHAU PATWARDHAN Scholarship—This scholarship is awarded to cadets from MAHARASHTRA AND KARNATAKA. The value of one scholarship is up to the maximum of Rs 500 00 per annum for the duration of a cadet's stay at the Indian Military Academy subject to the cadet making satisfactory progress. The cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(2) COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL Scholarship—This Scholarship is of the value of Rs 360.00 per annum and is awarded to an eligible Maratha cadet who should be a son of ex-serviceman. The Scholarship is in addition, to any financial assistance from the Government.

6. An outfit allowance at the rates and under the general conditions applicable at the time for each cadet belonging to the Indian Military Academy will be placed at the disposal of the Commandant of the Academy The unexpended portion of this allowance will be—

(a) handed over to the cadet on his being granted a commission, or

(b) if he is not granted a commission, refunded to the state

On being granted a commission, articles of clothing and necessaries purchased from this allowance shall become the personal property of the cadet. Such articles will, however, be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning The article withdrawn will be disposed of to the best advantage of the State.

7. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training However, Gentlemen Cadets resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by Army HQ Cost of training, messing and allied services will be recovered from them before their departure They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Indian Military Academy A Gentlemen Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may, with permission of the Government, be discharged. An Army candidate under these circumstances will be reverted to his Regiment or Corps.

8 Commission will be granted only on successful completion of training The date of commission will be that following the date of successful completion of training Commission will be permanent

9 Pay and allowances, pension, leave and other conditions of service after the grant of commission will be identical with those applicable from time to time to regular officers of the army

Training —

10. At the Indian Military Academy, Army Cadets are known as Gentlemen Cadets and are given strenuous military training for a period of 18 months aimed at turning out officers capable of leading infantry sub-units On successful completion of training, Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the rank of 2nd Lt subject to being medically fit in SHAPE.

11 *Terms and Conditions of Service*

(i) PAY

Rank	Pay scale	Rank	Pay scale
	Rs		Rs.
2nd Lieut	750—790	Lt Colonel (Time scale)	1800 fixed
Lieut.	830—950	Colonel	1950—2175
Captain	1250—1550	Brigadier	2240—2400
Major	1650—1800	Maj General	2500—125/2-2750
Lt Colonel (By selection)	1800—1950	Lt General	3000 p m

(ii) ALLOWANCES

In addition to pay, an officer at present receives the following allowances—

(a) Compensatory (city) and Dearness Allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the civilian Gazetted Officers from time to time.

(b) A kit maintenance allowance of Rs. 50 p.m.

(c) *Expatriation allowance* : When Officers are serving outside Indian expatriation allowance ranging from Rs 50 to Rs. 250 p m depending on rank held, is admissible

(d) *Separation allowance* · Married officers posted to non-family stations are entitled to receive separation allowance of Rs 70 p.m.

(iii) POSTING

Army officers are liable to serve anywhere in India and abroad.

(iv) PROMOTION

(a) *Substantive promotion*

The following are the service limits for the grant of substantive promotion to higher ranks :—

By time scale

Lt.	2 years of Commissioned Service
Capt.	6 years of Commissioned Service
Major	13 years of Commissioned Service
Lt Col from Major (if not promoted by selection)	25 years of Commissioned Service

By selection

Lt Col.	16 years of Commissioned Service
Col	20 years of Commissioned Service
Brigadier	23 years of Commissioned Service
Major Men	25 years of Commissioned Service
Lt Gen	28 years of Commissioned Service
Gen.	No restriction

(b) *Acting promotion*

Officers are eligible for acting promotion to higher ranks on completion of the following minimum Service limits subject to availability of vacancies :

Captain	3 years
Major	5 years
Lt. Colonel	6-1/2 years.
Colonel	8-1/2 years
Brigadier	12 years
Major General	20 years
Lt General	25 years

(B) FOR CANDIDATES JOINING THE NAVAL ACADEMY, COCHIN

1. (a) Candidates finally selected for training at the Academy will be appointed as cadets in the Executive Branch of the Navy They will be required to deposit the following amount with the Officer-in-Charge, Naval Academy, Cochin.

(1) Candidates not applying for Government financial aid·

(i) Pocket allowance for five months @ Rs 45.00 per month .	Rs 225 00
(ii) For items of clothing and equipment	Rs. 460.00
Total	Rs. 685 00

(2) Candidates applying for Government financial aid ·

(i) Pocket allowance for two months. @ Rs 45 00 per month . .	.Rs. 90 00
(ii) For items of clothing and equipment	Rs. 460 00
Total	Rs 550.00

(b) (i) Selected Candidates will be appointed as cadets and undergo training in Naval Ships and Establishments as under —

(a) Cadets Training including afloat training for 6 months . . .	1 year
(b) Midshipmen afloat Training .	6 months
(c) Acting Sub Lieutenants Technical Courses	12 months
(d) Sub-lieutenants—	

A minimum period of 6 months sea service to obtain a watch-keeping certificate.

(ii) The cost of training including accommodation and allied services, books, uniform, messing and medical treatment of the cadets at the Naval Academy will be borne by the Government Parents or guardians of cadets will however, be required to meet their pocket and other private expenses while they are cadets When a cadet's parent or guardian has an income less than Rs 350 per mensem and is unable to met wholly or partly the pocket expenses of the cadet, financial assistance up to Rs 40 per mensem may be granted by the Government A candidate desirous of securing financial assistance may immediately after his selection, submit an application through the District Magistrate of his District, who will, with his recommendations, forward the application to the Director of Personnel Service, Naval Headquarters, New Delhi.

Provided that in a case where two or more sons or wards of a parent or guardian are simultaneously undergoing training at Naval ships/establishments, financial assistance as aforesaid may be granted to all of them for the period they simultaneously undergo training, if the income of the parent or guardian does not exceed Rs 400 p m

(iii) Subsequent training in ships and establishments of the Indian Navy is also at the expense of the Government During the first six months of their training after leaving the Academy financial concession similar to those admissible at the Academy *vide* subpara (ii) above will be extended to them After six months of training in ships and establishments of the Indian Navy when Cadets are promoted to the rank of Midshipman they begin to receive pay and parents are not expected to pay for any of their expenses

(iv) In addition to the uniform provided free by the Government cadets should be in possession of some other items of clothing In order to ensure correct pattern and uniformity these items will be made at Naval Academy and cost will be met by the parents or guardians of the cadets. Cadets applying for financial assistance may be issued with some of these items of clothing free or on loan They may only be required to purchase certain items

(v) During the period of training Service Cadets may receive pay and allowances of the substantive rank held by them as a sailor or as a body or as an apprentice at the time of selection as cadets. They will also be entitled to receive increments of pay, if any, admissible in that rank. If the pay and allowances of their substantive rank be less than the financial assistance admissible to direct cadets and provided they are eligible for such assistance, they will also receive the difference between the two amounts

(iv) No cadet will normally be permitted to resign while under training A cadet who is not considered suitable to complete the full course at the Indian Naval Ships and establishment may, with the approval of the Government be withdrawn from training and discharged A service cadet under these circumstances may be reverted to his original appointment A cadet thus discharged or reverted will not be eligible for re-admission to a subsequent course Cases of cadets who are allowed to resign on compassionate grounds may, however, be considered on merits

2 Before a candidate is selected as a cadet in the Indian Navy, his parent or guardian will be required to sign—

(a) A certificate to the effect that he fully understands that he or his son or ward shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which his son or ward may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) A bond to the effect that if for any reasons considered within the control of the candidate, he wishes to withdraw from training or fails to accept a commission, if offered, he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay and allowances received, as may be decided upon by Government

3. *PAY AND ALLOWANCES*

(a) PAY

Rank	Pay S — General Service
Midshipman	Rs 560
Ag Sub Lieut	Rs 750
Sub. Lieut	Rs 830 -870
Lieut	Rs 1100—1450
Lieut Cdr	Rs 1450—1800
Commander (By selection)	Rs 1750—1950
Commander (By time scale)	Rs 1800 fixed
Captain	Rs 1950 —2400 (Commodore receives pay to which entitled according to seniority as Captain)
Rear Admiral	Rs 2500—125/2 —2750
Vice Admiral	Rs. 3000

(b) ALLOWANCES

In addition to pay, an officer receives the following allowances —

(i) Compensatory (City) and dearness allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the Civilian Gazetted Officers from time to time

(ii) A kit maintenance allowance of Rs 50 p m

(iii) When officers are serving outside India expatriation allowance ranging from Rs 50 to Rs 250 p m depending on rank held, is admissible

(iv) A separation allowance of Rs 70 p m is admissible to—

(i) married officers serving in non-family stations; and

(ii) married officers serving on board I N Ships for the period during which they remain in ships away from the base ports

(v) Free ration for the periods they remain in the ships away from the base ports

NOTE I.—In addition certain special concessions like hard-lying money, sub-marine allowance, sub-marine pay, survey bounty/survey allowance qualification pay/grant and diving pay are admissible to officers.

NOTE II.—Officers can volunteer for Service in Sub-marine or Aviation Arms. Officers selected for Service in these arms are entitled to enhanced pay and special allowances

4 PROMOTION

(a) *By time scale*

Midshipman to Ag Sub Lieut.	1/2 year
Ag Sub Lieut to Sub Lieut	1 year
Sub. Lieut. to Lieut.	3 years as Age and confirmed Sub-Lt. (Subject to gain) forfeiture of seniority)
Lieut. to Lieut Cdr.	8 years seniority as Lieut.
Lieut. Cdr. to Cdr (if not promoted by selection)	24 years (reckonable commissioned service)

(b) *By Selection*

Lieut. Cdr. to Cdr.	2—8 years seniority as Lieut. Cdr
Cdr. to Capt.	4 years seniority as Cdr.
Capt. to Rear Admiral and above.	No Service restriction.

5 *POSTING*

Officers are liable to serve anywhere in India and abroad

NOTE.—Further information, if desired, may be obtained from the Director of Personnel Services Naval Headquarters, New Delhi-110011

(C) FOR CANDIDATES JOINING THE OFFICERS' TRAINING SCHOOL, MADRAS

1. Before the candidate joints the Officers' Training School, Madras—

(a) he will be required to sign a certificate to the effect that he fully understands that he or his legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he may sustain in the course of or as a result of the training, or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) his parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that, if for any reason considered within his control the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission if offered or marries while under training at the Officers' Training School, he will be liable to refund to whole or such portion of the cost of tution, food, clothing and pay and allowances received as may be decided upon by the Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training at the Officers' Training School for an approximate period of 9 months Candidates will be enrolled under the Army Act as 'gentlemen cadets' Gentlemen cadets will be dealt with for ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Officers' Training School.

3 While the cost of training, including accommodation books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves The minimum expenses during pre-Commission training are not likely to exceed Rs 55 per month but if the cadets pursue any hobbies such as photography, Shikar, hiking etc they may require additional money In case, however the cadet is unable to meet wholly or partly even the minimum expenditure financial assistance at rates which are subject to change from time to time, may be given provided the cadet and his parent/guardian have an income below Rs 350 per month. The rate of assistance under the existing orders is Rs. 55 per month A candidate desirous of having financial assistance should immediately after being finally selected for training submit an application on the prescribed from through the District Magistrate of his district who will forward the application to the Commandant, Officers Training School, MADRAS along with his verification report

4. Candidates finaly selected for training at the Officers' Training School will be required to deposit the following amount with the Commandant on arrival '—

(a) Pocket allowance for ten months at Rs. 55 00 per month	Rs. 550 00

This amount is refundable to the cadets in the event of financial assistance being sanctioned to them

5 Outfit allowance will be admissible under orders as may be issued from time to time.

On being granted a commission articles of clothing and necessaries purchased from this allowance shall become the personal property of the cadet. Such articles, will, however, be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning. The articles withdrawn will be disposed to the best advantage of the State.

6 No candidate will normally be permitted to resign whilst under training However, Gentlemen Cadets resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by Army HQ. Cost of training, messing and allied services will be recovered from them before their departure They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Officers Training School.

7 A Gentleman Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may with permission of Government be discharged An Army candidate under these circumstances will be reverted to his Regiment or Corps.

8 Pay and allowances, pension, leave and other conditions of service, after the grant of commission, are given below

9 *Training*

1 Selected candidates will be enrolled under the Army Act as Gentlemen Cadets and will undergo a course of training at the Officers Training School for an approximate period of nine months On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Short Service Commission in the rank of 2/Lt from the date of successful completion of training.

10. *Terms and conditions of Service*

(a) *Period of probation*

An officer will be on probation for a period of 6 months from the date he receives his Commission. If he is reported on within the probationary period as unsuitable to retain his commission, it may be terminated at any time, whether before or after the expiry of the probationary period

(b) *Posting*

Personnel granted Short Service Commissions are liable to serve anywhere in India and abroad

(c) *Tenure of appointment and Promotion*

Short Service Commission in the Regular Army will be granted for a period of five years. Such officers who are willing to continue to serve in the Army after the period of five years' Short Service Commission may if eligible and suitable in all respects, be considered for the grant of Permanent Commission in the last year of their Short Service Commission in accordance with the relevant rules. Those who fail to qualify for the grant of Permanent Commission during the tenure of five years, would be released on completion of the tenure of five years

(*d*) *Pay and Allowances*

Officers granted Short Service Commission will receive pay and allowances as applicable to the regular officers of the Army.

Rates of pay for 2/Lt and Lieut, are :—

Second Lieut.	Rs. 750—790 p m
Lieut	Rs. 830—950 p m.

Plus other allowances as laid down for regular officers.

(e) Leave : For leave, these officers will be governed by rules applicable to Short Service Commissioned Officers as given in Chapter V of the Leave Rules for the Service Vol. I—Army They will also be entitled to leave on passing out of the Officers Training School and before assumption of duties under the provisions of Rule 91 ibid.

(f) *Termination of Commission* . An officer granted Short Service Commission will be liable to serve for five years but his Commission may be terminated at any time by the Government of India—

(i) for misconduct or if services are found to be unsatisfactory; or

(ii) on account of medical unfitness; or

(iii) if his services are no longer required; or

(iv) if he fails to qualify in any prescribed test or Course

An officer may on giving three months notice be permitted to resign his Commission on compassionate grounds of which the Government of India will be the sole judge. An officer who is permitted to resign his Commission on compassionate grounds will not be eligible for terminal gratuity

(*g*) *Pensionary benefits*

i) These are under consideration.

(ii) SSC officers on expiry of their five years' term are eligible for terminal gratuity of Rs. 5,000 00.

(*h*) *Reserve Liability*

On being released on the expiry of the five years Short Service Commission or extension thereof, they will carry a reserve liability for a period of five years or up to the age of 40 years whichever is earlier

(i) *Miscellaneous* All other terms and conditions of Service where not at variance with the above provisions will be the same as for regular officers.

APPENDIX IV

The form of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India

This is to certify that Shri—————————son of Shri————— of village/town*————— ————— in District/Division*————— of the State/Union Territory*—————belongs to the —————Caste/Tribe* which is recognised as a Scheduled Castes/Scheduled Tribe* under :—

the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950*

the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950*

the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951*

the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951*

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976]

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes order, 1956*

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Schduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Orders, 1962*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962*

the Constitution (Pondicherry), Scheduled Castes order, 1964*

the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967*

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968*

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968*

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970*.

2 Shri ————————— and/or* his family ordinarily reside(s) in village/town*————— of ————— District/Division* of the State/Union Territory* of —————.

Signature . . . .

**Designation. . . . .

(with seal of office)

*State/Union Territory ....

Place ....

Date .. . .

*Please delete the words which are not applicable.

NOTE —The term 'ordinarily reside(s)' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**Officers competent to issue Caste/Tribe Certificates :

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector /Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/†Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner

†(Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides

(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer, Lakshadweep

APPENDIX V

CANDIDATES' INFORMATION MANUAL

This manual is intended to give you as much information as we can, about the examination so that you do not suffer due to unfamiliarity with the type of examination

SUBJECTS, STANDARD AND TOPICS

The examination in each of the subjects will be of 2 hours' duration. The standard of the paper in 'Elementary Mathematics' will be that of Matriculation or Xth Class examination and in 'Elementary Physics' that of Higher Secondary Examination. The standard of papers in other subjects will approximately be such as may be expected of a graduate of an Indian University The topics covered under each of the subjects are given in Part 'B' of Appendix I

In the examination questions may be asked from areas which are not explicitly mentioned in Appendix I but are generally covered (i) at the Matriculation or Xth Class examination in the case of Elementary Mathematics, (ii) at the Higher Secondary Examination in the case of Elementary Physics and (iii) at the Bachelor's Degree or equivalent Examination level in respect of all the other subjects

NATURE OF THE TEST

The examination will be of the 'objective' or 'multiple' choice answer type. There will be many items (questions) printed in a test booklet. Each item will have 3, 4 or 5 possible responses (answer) printed right after it Your task will be to select THE CORRECT RESPONSE to each item. In case you consider more than one response to be correct, then you should choose THE BEST RESPONSE For each item you should select ONE, AND ONLY ONE response.

METHOD OF ANSWERING

The items will have serial Nos 1, 2, 3 etc The response choices for each item (question) will be marked '1', '2', '3', '4' etc A separate answer sheet will be given to indicate your responses (see specimen answer sheet at the end of this manual). On the answer sheet, the serial numbers of the items will be given and at the right of each number there will be space provided for your response First decide which is the correct or best response, out of those given for each item. Then indicate your response by writing the *number* of the response you have selected in the space provided for the response (see example on the specimen answer sheet).

Please note that YOU ARE TO MARK ONLY ONE RESPONSE for each item. If you mark more than one response for any item you will not be given any credit for it even if one of your responses is correct. If you make a mistake and wish to change your response, score out the error completely and clearly write the correct response.

SOME IMPORTANT RULES

(i) You are required to enter the examination hall 20 minutes before the prescribed time for starting of the examination and get seated immediately Before the commencement of the test Supervisor will give some very specific instructions for the examination.

(ii) Nobody will be admitted to the test after the expiry of 30 minutes from the commencement of the test.

(iii) No candidate will be allowed to leave the examination hall until 45 minutes have elapsed after the commencement of the examination.

(iv) After finishing the examination, submit the test booklet and the answer sheet to the Supervisor.

YOU ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST-BOOKLET OUT OF THE EXAMINATION HALL.

(v) Write clearly your Roll No, Centre of the test and code number and serial number of the test booklet at the appropriate space provided in the answer sheet. You are not allowed to write your name anywhere in the answer sheet.

(vi) *You are required to read carefully all instructions given in the test booklet and the answer sheet.* Since evaluation is done mechanically, you may loose marks if you do not follow the instructions meticulously If your entry against any item in the answer sheet is ambiguous you will get no credit for that item.

Follow the instructions given by the Supervisor When the Supervisor asks you to start or stop a test or a section of a test, you must follow his instructions immediately.

(vii) Bring your Admission Certificate with you You should also bring a pencil and a pen containing blue or black ink. You will not be permitted to take any scrap or rough paper, scales or drawing instruments into the examination hall as they are not needed Space for rough work is provided on the answer sheet itself Answer should be marked in ink and not in pencil Red ink should *not* be used on the answer sheet

SOME USEFUL HINTS

Although the test stresses accuracy more than speed it is important for you to use your time as economically as possible Work steadily and as rapidly as you can Do not worry if you cannot answer all the questions. Do not waste time on questions which are too difficult for you Go on to the other questions and come back to the difficult ones later

As the possible answers for each question are given, you may wonder whether or not to guess the answers to questions about which you are not certain First try to answer those questions about which you are sure. If you know nothing about a question, it is better to leave it blank. You will get better marks by omitting such questions than by blind guessing However, where you know enough to make an intelligent guess, you may do so.

The questions are designed to measure your knowledge, understanding and analytical ability, not just memory It will help you if you review the relevant topics to be sure that you UNDERSTAND the subject thoroughly

SAMPLE QUESTIONS

1. "Soda Bicarb" added to lemon juice, takes away some of the acid taste because it

(1) has a sweetish taste
(2) is an alkali
(3) is a neutral substance
(4) is soluble in lemon juice
(5) releases carbon-dioxide

Answer—2

2 How does a river move in th delta stage

(1) very fast
(2) very slowly
(3) first slowly then fast
(4) first fast then slowly

Answer—2

3 At three in the morning the air-field becomes active. The lights are switched on along the runway The motor-coach arrives with the outgoing passengers, some still dressed for the heat of Africa, some already sweating in their London suits One or two men who had been lounging about in rather shabby shorts reappear in the hall wearing smart caps and tunics. Thereby the weedy little man who weights the passenger's luggage reveals that he has had distinguished service in the Army. And thereby the willowy and supercilious young fellow who has been playing dice with Harry the barman turns out to be the Customs Officer.

(A) Who is the weddy little man ?

(1) Soldier
(2) Consumptive
(3) African
(4) Passenger

(B) The Custom Officer is .

(1) Harry the barman
(2) Supercilious young fellow
(3) Weedy little man
(4) A man in shabby shorts.

Explanation The weedy little man is a soldier which is response 1 So No 1 is correct response for question 'A'.

The customs officer is a supercilious young fellow which is response 2 So No. 2 is the correct response for question 'B'.

4. The highest common factor of 84 and 128 is

(1) 6
(2) 8
(3) 4
(4) 12

Answer—3

5 Which one of the following statements correctly explains the presence of highly elastic demand ?

(1) When the price of a commodity falls much, its demand increases only slightly

(2) When the price of a commodity falls much, its demand also increases much.

(3) When the price of a commodity falls a little, its demand increases a little.

(4) When the price of a commodity falls a little, its demand increases very much.

Answer—4

6. Which one of the following assertions about the function 'X' is wrong

(1) continuous at x=0
(2) discontinuous at x=0
(3) limit as $x \rightarrow 0$ exists
(4) non-derivable at x=0
(5) integral in any finitein terval ?

Answer—2

7. The total length of a telescope tube is very nearly equal to

(1) the focal length of the objective, fo
(2) the focal length of the eye piece, fe
(3) fo+fe
(4) fo—fe
(5) (fo+fe)/2

Answer—3

8. Analysis of conscious experience as subject matter of psychology is the corner stone of

(1) Behaviorism
(2) Functional Psychology
(3) Modern Psychology
(4) Psychoanalysis
(5) Introspective Psychology

Answer—5

9. The two groups that have representatives in aquatic, terrestrial and aerial habitats, are :—

(1) Protozoa and Mollusca
(2) Arthropoda and Mollusca
(3) Arthropoda and Echinodermata
(4) Chordata and Arthropoda
(5) Chordata and Mollusca

Answer—4

10. The cells concerned with the transport of carbohydrates, fats and proteins from one part of the plant to the other area

(1) Vessels
(2) Tracheids
(3) Sieve tubes
(4) Fibres
(5) Parenchyma

Answer—3

11 Carbonyl Compounds have higher boiling points than the corresponding hydrocarbons because they are :

(1) non polar
(2) polar
(3) capable of inter molecular hydrogen bonding
(4) not capable of inter molecular hydrogen bonding

Answer—2

12 The large fishing grounds of the world are found at :

(1) the mouths of large rivers
(2) at the junction of cold and warm currents
(3) at the junction of deep and shallow waters.
(4) at the junction of highly saline and brackish waters.

Answer—2

13. Tectonic mountains are formed by

(1) isostatic adjustment
(2) batholithic instrusions of diapirs
(3) convection currents
(4) horizontal pressure, the force for which is supplied by radioactivity
(5) vertical uplift due to converging plates

Answer—5

14 All but one of the following causes are responsible for the down fall of the Mauryan dynasty

(1) the successors of Askoa were all weak
(2) there was partition of the Empire after Asoka
(3) the northern frontier was not guarded effectively
(4) there was economic bankruptcy during post—Asokan era

Answer—4

15. Which of the following terms is applied by sociologists to members of a society who have developed symbols and values beyond those provided by their society ?

(1) Infraculture
(2) Infrastructure
(3) Sub-culture
(4) Contra-culture

Answer—3

16. Select the correct response

In a parliamentary form of government

(1) The Legislature is responsible to the judiciary
(2) The Legislature is responsible to the Executive
(3) The Executive is responsible to the Legislature
(4) The Executive is irresponsible
(5) Both the Executive and Legislature are irresponsible.

Answer—3

17 Learning teacheth more in one year than experience in twenty; and learning teacheth safely when experience maketh more miserable than wise He hazardeth sore that waxeth wise by experience An unhappy master is he that is made cunning by many shipwrecks; a miserable merchant that is neither rich nor wise but after some bankruptcies. It is costly wisdom that is bought by experience.

Qn. The effect of the style is best explained as one that

(1) shows the author as unable to make up his mind
(2) reinforces the comparison of learning and experience
(3) shows that experience is really more valuable than learning
(4) makes the author seem to be an intimate friend of the reader
(5) reinforces the nautical imagery by reproducing the rhythm of the tide

Answer—2

NOTE . These queshitons are given with a view to familiarise the candidates with the type of objective questions The questions do not indicate the coverage of topics or relative weightage given to each area. Questions of other types may also appear in the actual examination—

SPECIMEN ANSWER SHEET

Roll No.....	Centre	CODE NUMBER of test booklet	SERIAL NUMBER of test booklet .....

DIRECTIONS :

(1) All answers must be marked in the answer sheet. The serial number of the items (questions) in the TEST BOOKLET are printed inside. You have to Write against each item, the serial number of the correct or best response (answer) you have chosen for that item For example, if alternative "3" is the correct response to item number "16", you should mark as shown.

5	
16	3
17	

(2) You are required to mark one and **ONLY ONE** response (answer) for each item (question). If **you mark more than one response for any item, you will get no credit even if one of your responses is correct.**

(3) If you make a mistake and wish to correct it, be sure to make the change very clearly. If the correction you have made in the response to any item is not clear or is ambiguous, you will not get any credit for that item

15	
16	3
17	

(4) Use ink or ball point pen only for answering. Do not use pencil. Do not use red ink.

(Example for Correction)

Item (Question) No.	Response (Answer)	Item (Question) No	Response (Answer)	Item (Question) No.	Response (Answer)	Item (Question) No	Response (Answer)
1		11		21		31	
2		12		22		32	
3		13		23		33	
4		14		24		34	
5		15		25		35	
6		16		26		36	
7		17		27		37	
8		18		28		38	
9		19		29		39	
10		20		30		40	

SPACE FOR ROUGH WORK.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977